रजिस्टर्ड नं०-ए०डी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 76] प्रयागराज, शनिवार, 15 जनवरी, 2022 ई० (पौष 25, 1943 शक संवत्) [संख्या 3

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग.अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	45–60	3075
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	53–82	1500
भाग 1–ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1–ख (2)–श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2–आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख–नगर पंचायत, खण्ड ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ–जिला पंचायत	3–18	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6–(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6–क–भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 7–(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7–क–उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7–ख–इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8–सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	45–84	975
स्टोर्स–पचेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

आवश्यक सूचना

1—गजट के न मिलने की सूचना गजट में प्रकाशित होने से 15 दिन के अन्दर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को प्राप्त होनी चाहिये। उसके बाद के परिवादों की कोई सुनवाई न होगी। केवल गजट की वही प्रतियां पुनः बगैर कीमत भेजी जा सकेंगी जो डिलीवरी न होने के कारण वापस आई हों।

2—सम्पूर्ण गजट के ग्राहकों को असाधारण गजट की सम्पूर्ति की जाती है। असाधारण गजट नवीन राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ से वितरित होता है। अतः असाधारण गजट के सम्बन्ध में यदि कोई पत्र-व्यवहार करना हो तो कृपया उक्त पते पर ही करें। सम्पूर्ण गजट का वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक चन्दा 20 सितम्बर, 1997 से क्रमशः रु0 3,075.00 एवं रु0 1,560.00 हो गया है।

3—गजट के प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा प्रत्येक के सामने अलग-अलग अंकित है। भाग-1 का वार्षिक चन्दा रु0 1,500.00 तथा छमाही चन्दा रु0 780,00 है। स्टोर्स. पर्चेज का वार्षिक चन्दा रु0 1,425.00 तथा अर्द्धवार्षिक चन्दा रु0 750.00 है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा रु0 975.00 तथा अर्द्धवार्षिक रु0 555.00 है।

प्रत्येक गजट अथवा गजट (साधारण अथवा असाधारण) के भागों के वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक चन्दे की राशि में यदि कोई परिवर्तन किन्हीं अपरिहार्य कारणोंवश होता है तो उसकी सूचना अलग से दी जायेगी।

4—उत्तर प्रदेश राजपत्र (गजट) के स्थायी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि वे अर्द्धवार्षिक और वार्षिक चन्दा समाप्त होने की तारीख से एक मास पूर्व ही अपना नवीन चन्दा गजट के लिये इस कार्यालय को भेज देने की कृपा करें, जिससे गजट के भेजने का क्रम टूटने न पावे और नियमित रूप से उन्हें हम गजट भेजते रहें। इससे ग्राहकों को भी असुविधा नहीं होगी और वे निश्चित समय पर गजट प्राप्त कर सकेंगे।

इस सम्बन्ध में, मैं यह भी सूचित करना आवश्यक समझता हूं कि पूर्ण वर्ष के ग्राहक अब जनवरी से दिसम्बर तक के लिये ही बनाये जायेंगे। इनके बीच के महीनों में चन्दा प्राप्त होने पर ग्राहकों का नाम उसी वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक के लिये तथा जैसी स्थिति होगी, अंकित किया जायेगा।

ग्राहकों से यह भी निवेदन है कि वे अपने पत्रों का उत्तर शीघ्र पाने के लिये पत्र□व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें अन्यथा उत्तर देने में इस कार्यालय को कठिनाई या विलम्ब हो सकता है।

डॉ0 अनिल कुमार,
निदेशक,
मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, विभाग,
उ0प्र0, प्रयागराज।

भाग 1

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

नियुक्ति विभाग

अनुभाग-4

कार्यालय-ज्ञाप

16 नवम्बर, 2021 ई0

सं0 715/दो-4-2021-26/2(5)/2011—उप निबन्धक (एम0)/संयुक्त निबन्धक (एडमिन-1), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के विभिन्न पत्रों के क्रम में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा के अधिकारियों द्वारा अर्जित की गयी एल0एल0एम0 डिग्री/उपाधि को अधोलिखित तालिका में अंकित विवरणानुसार उनके सेवा सम्बन्धी अभिलेखों में रखे जाने की शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है—

क्र0 सं0	न्यायिक अधिकारी का नाम/पदनाम/तैनात स्थल	उप निबन्धक (एम0)/संयुक्त निबन्धक (एडमिन-1), मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से प्राप्त पत्र संख्या एवं दिनांक	विश्वविद्यालय का नाम	डिग्री/उपाधि	वर्ष
1	2	3	4	5	6
	सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री—				
1	विकास गोस्वामी, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मेरठ	संख्या 12810/IV-4449/एडमिन, (ए-1), दिनांक 22-10-2021	दिल्ली विश्वविद्यालय	एल0एल0एम0	2019
2	अविनाश कुमार मिश्रा, सिविल जज (जूनियर डिवीजन), बलिया	संख्या 12812/IV-4547/एडमिन, (ए-1), दिनांक 22-10-2021	दिल्ली विश्वविद्यालय	एल0एल0एम0	2017
3	एकता सिंह, अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर	संख्या 12858/IV-5314/एडमिन, (ए-1), दिनांक 23-10-2021	काशी हिन्दू विश्वविद्यालय	एल0एल0एम0	2019

आज्ञा से,
घनश्याम मिश्र,
विशेषसचिव।

विधान परिषद् सचिवालय उत्तर प्रदेश

[अधिष्ठान]

सेवानिवृत्ति

09 दिसम्बर, 2021 ई0

सं0 3432(अधिष्ठान)/वि0प0-267/84—श्री राजेन्द्र प्रसाद दूबे, डिप्टी मार्शल, विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 के अपराह्न से सेवानिवृत्ति हो जायेंगे।

आज्ञा से,
डा0 राजेश सिंह,
प्रमुख सचिव।

गृह विभाग

[पुलिस सेवायें]

अनुभाग-1

नियुक्ति

21 दिसम्बर, 2021 ई0

सं0 2082/छः-पु0से0-1/2021-03(अधीयाचन)/2020—गृह (गृह पुलिस सेवायें) अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश/विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 05/2021/आई/63109/2021 ई-फाइल संख्या 6-17001(001)/2/2020, दिनांक 08 अप्रैल, 2021, कार्यालय आदेश विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 08/2021/आई/66422/2021 ई-फाइल संख्या 6-17001(001)/2/2020, दिनांक 21 मई, 2021 व कार्यालय आदेश/विज्ञप्ति/नियुक्ति संख्या 11/2021/आई/75441/2021, ई-फाइल संख्या 6-17001(001)/2/2020, दिनांक 30 जून, 2021 द्वारा उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा संस्तुत सम्मिलित राज्य/प्रवर सेवा अधीनस्थ सेवा (सामान्य/विशेष चयन) परीक्षा, 2018 में चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों का उ0प्र0 पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस उपाधीाक के साधारण वेतन रु0 15,600-39,100 (पुनरिक्षित वेतन पे-मैट्रिक्स लेवल-10 रु0 56,100-1,57,700) में स्थायी रूप से कतिपय शर्तों के अधीन नियुक्ति प्रदान करते हुये चयनित अभ्यर्थिं को यह निर्देशित किया गया है कि पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा सूचित तिथि के अनुसार डा0 भीमराव अम्बेडकर, पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में उपस्थित होना सुनिश्चित करें, किन्तु निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों द्वारा अब तक डा0 भीमराव अम्बेडकर, पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में उपस्थित नहीं हुये हैं—

क्र0	मेरिट क्रमांक	अनुक्रमांक	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम	जन्म तिथि	स्थायी पता
1	2	3	4	5	6
			सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री—		
1	6	254934	ओंकार दत्त तिवारी पुत्र श्री ओम प्रकाश तिवारी	05-02-1990	श्री आशुतोष तिवारी, ग्राम व पोस्ट अखलाशपुर, जनपद-कैमूर, बिहार, पिन-821101
2	18	195495	नमिता सरन पुत्री श्री सत्येन्द्र सरन	09-09-1989	श्री सत्येन्द्र सरन, 146, इस्माइलपुर, गीता प्रेस, जनपद-गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, पिन-273005
3	48	197582	अनुराग कुमार सिंह पुत्र श्री कमल किशोर	15-08-1991	श्री कमल किशोर, ग्राम-हेरवल, पुरबवां, पोस्ट-कोतवाली मल्लावां, तहसील-बिलग्राम, जनपद-हरदोई, उत्तर प्रदेश, पिन-241303
4	57	464112	पूर्णिमा सिंह पुत्री श्री राम नारायन सिंह	29-10-1988	श्री राम नारायन सिंह, हाउस नं0-5-213, विपुल खण्ड-5, गोमती नगर, जनपद-लखनऊ, उत्तर प्रदेश पिन-226010

1	2	3	4	5	6
			सर्वश्री / श्रीमती / सुश्री–		
5	65	074774	पवन कुमार पुत्र श्री हरद्वारी लाल	30-12-1988	श्री पवन कुमार पुत्र श्री हरद्वारी लाल, गांव श्री माधव नगर, पोस्ट-गौरीगंज, जनपद-अमेठी, उत्तर प्रदेश, पिन-227409
6	77	505378	हरिशंकर लाल पुत्र श्री पारस नाथ	07-07-1993	श्री पारस नाथ, निवासी मकान नं0-7, मोहल्ला-पिपरा दरगाह, ग्राम-पिपरा दरगाह, पोस्ट-महुअबा शुक्ल, तहसील-महराजगंज, जनपद-महाराजगंज, उत्तर प्रदेश, पिन-273310
7	85	168739	गौरव आर्य पुत्र श्री बाल्मिक आर्य	19-01-1988	श्री गौरव आर्य, नियर सैयद, नंदन वन कालोनी, तैलरोज बाईपास, तहसील-कोल, जनपद-अलीगढ़, उत्तर प्रदेश, पिन-202001
8	88	401558	हिमांशु माथुर पुत्र श्री राधे श्याम माथुर	24-01-1994	श्री हिमांशु माथुर, 41 H.I.G. दयानन्द विहार फेज-1, कल्यानपुर, कानपुर, इन्दिरा नगर, कानपुर नगर, उत्तर प्रदेश, पिन-208026
9	89	164079	गौरव डी सिंह पुत्र श्री सिया राम जाटव	30-06-1987	श्री सिया राम जाटव, मोहल्ला तोपखाना, बिहाइन्ड डा0 अम्बेडकर इण्टर कालेज, जालौन, जनपद-जालौन, उत्तर प्रदेश, पिन-285123
10	15	333343	अमित कुमार पुत्र श्री संजय कुमार	07-11-1994	श्री संजय कुमार, नवाडीह, हंटरगंज, जनपद-चतरा, झारखण्ड, पिन-825403
11	70	172793	प्रतिमा वर्मा पुत्री श्री महावीर सिंह वर्मा	01-11-1989	श्री महावीर सिंह वर्मा, 23, अछनेरा, भरतपुर रोड, पहाड़ लाईन, आगरा, उत्तर प्रदेश, पिन-283101
12	11	598187	सिद्धार्थ गौतम पुत्र श्री उमेश कुमार	20-09-1990	श्री सिद्धार्थ गौतम पुत्र श्री उमेश कुमार ग्राम सेनुवरिया, नियर शिव मन्दिर, पोस्ट-मिसरौलिया पूर्व, जनपद-चम्पारण, बिहार, पिन-845415
13	28	313694	नीतीश कुमार पुत्र श्री सुनील कुमार	06-11-1991	श्री नीतीश कुमार पुत्र श्री सुनील कुमार ग्राम व पोस्ट-दामोदरपुर, जिला-लखीसराय, बिहार, पिन-811311

उक्त सूची के श्री ओंकारदत्त तिवारी, सुश्री नमिता सरन, श्री नितिश कुमार, श्री हिमांशु माथुरा, श्री अनुराग कुमार सिंह, श्री पवन कुमार एवं श्री सिद्धार्थ गौतम द्वारा विभिन्न कारणों से प्रशिक्षण अवधि में विस्तार प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है। इन चयनित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों पर विचार करते हुये शासन द्वारा उपर्युक्त विवरण के 13 चयनित अभ्यर्थियों को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुये यह निर्देशित किया जाता है कि पत्र प्राप्ति के एक माह के भीतर डा0 भीमराव अम्बेडकर, पुलिस अकादमी, मुरादाबाद में उपस्थित होकर अपना योगदान देना सुनिश्चित करें। यदि इस अवधि में कोई अभ्यर्थी अपना योगदान नहीं देता है तो यह अवधारणा कर ली जायेगी कि वह पुलिस सेवा में आने का इच्छुक नहीं है और इस आधार पर उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित अभ्यर्थी की होगी।

अनुभाग-2

कार्यालय-ज्ञाप

31 दिसम्बर, 2021 ई0

सं0 1222डीजी/छः पु0से0-2-21-522(87)/2021टीसी–राज्य पुलिससेवा से भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) में सेलेक्ट लिस्ट-2013 के आधार पर चयनित अधिकारियों की ज्येष्ठता मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खण्ड पीठ, लखनऊ में योजित रिट याचिकाओं के अन्तिम निर्णय के अधीन गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा अपने आदेश संख्या 1-15016/24/2021-आईपीएस-I (पार्ट-II), दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 के माध्यम से वर्ष 2008 के स्थान पर वर्ष 2007 बैच निर्धारित की गयी।

2–गृह मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के उक्त आदेश दिनांक 14 दिसम्बर, 2021 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सेलेक्ट लिस्ट 2013 के आधार पर चयनित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-4/5 में अंकित तिथि सेलेक्शन ग्रेड (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-13 रु0 1,23,100-2,15,900) एवं पुलिस उप माहनिरीक्षक (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-13ए रु0 1,31,100-2,16,600) के पद पर पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0	अधिकारी का नाम	बैच	सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य किये जाने की तिथि	पुलिस उपमहानिरीक्षक के पद पर दोन्नति की तिथि
1	2	3	4	5
	सर्वश्री/श्रीमती–			
1	भारती सिंह	2007	01-01-2020	01-01-2021
2	विपिन कुमार मिश्रा	2007	01-01-2020	01-01-2021
3	माधव प्रसाद वर्मा (से0नि0 30-06-2021)	2007	01-01-2020	01-01-2021
4	सभाराज	2007	01-01-2020	01-01-2021
5	स्वामी प्रसाद	2007	01-01-2020	01-01-2021
6	सौमित्र यादव	2007	01-01-2020	01-01-2021
7	रमेश	2007	01-01-2020	01-01-2021

नोट—भारत सरकार, गृह मंत्रालय द्वारा उपरोक्तानुसार आवंटन वर्ष निर्धारित करते हुये यह भी निर्देश दिये गये हैं कि जो अधिकारी अधिवर्षता आयु पूर्णकर सेवानिवृत्त हो चुके हैं उन्हें काल्पनिक लाभ ही प्रदान किया जायेगा। ''The Officers retired on superannution the benefits may be re-fixes notionally''.

पदोन्नति

सं0 1630/छः पु0से0-2-21-522(95)/2021—भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-3 में अंकित तिथि या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से पुलिस महानिदेशक के पद पर (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-16, रु0 2,05,400-2,24,400) पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0	अधिकारी का नाम/बैच	पदोन्नति की तिथि
1	2	3
1	श्री अविनाश चन्द्र, आरआर-1990	01-01-2022
2	डॉ0 संजय एम0 तरड़े, आरआर-1990	01-08-2022

2—श्री राज्यपाल यह भी स्वीकृति प्रदान करते हैं कि चयन वर्ष 2022 में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी यदि प्रतिनियुक्ति से कार्यमुक्त होकर उ0प्र0 संवर्ग में योगदान देंगे तो ऐसी स्थिति में उक्त तालिका में अंकित अधिकारियों की पुलिस महानिदेशक के पद पर पदोन्नति की तिथि में परिवर्तन हो जायेगा।

3—उपर्युक्त अधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 1631/छः पु0से0-2-21-522(96)/2021—भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के निम्नांकित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कालम-3 में अंकित तिथि या कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से अपर पुलिस महानिदेशक के पद पर (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-15, रु0 1,82,200-2,24,100) पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं—

क्र0	अधिकारी का नाम	पदोन्नति की तिथि
1	2	3
	सर्वश्री—	
1	नवीन अरोरा, आरआर-1997	01-01-2022
2	मोहित अग्रवाल, आरआर-1997	01-01-2022
3	डा0 गजेन्द्र कुमार गोस्वामी, आरआर-1997	01-01-2022
4	भजनी राम मीना, आरआर-1997	01-01-2022

2—उपर्युक्त अधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 1632/छः पु0से0-2-21-522(93)/2021—भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के निम्नलिखित अधिकारियों को पुलिस महानिरीक्षक के पद पर (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-14, रु0 1,44,200-2,18,200) दिनांक 01 जनवरी, 2022

अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0	अधिकारी का नाम	बैच
1	2	3
	सर्वश्री–	
1	डा0 प्रीतिन्दर सिंह	आईपीएस-आरआर-2004
2	लव कुमार	आईपीएस-आरआर-2004
3	चन्द्र प्रकाश-II	आईपीएस-आरआर-2004

2–उपर्युक्त अधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 1633/छः पु0से0-2-21-522(94)/2021–भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के निम्नलिखित अधिकारियों को पुलिस उपमहानिरीक्षक के पद पर (वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल-13ए, रु0 1,31,100-2,16,600) दिनांक 01 जनवरी, 2022 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, जो भी बाद में हो, से पदोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0	अधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष
1	2	3
	सर्वश्री–	
1	सुरेशराव आनन्द कुलकर्णी	आईपीएस-आरआर-2008
2	अमित वर्मा	आईपीएस-आरआर-2008
3	एन0 कोलान्ची	आईपीएस-आरआर-2008
4	सर्वेश कुमार राना	आईपीएस-एसपीएस-2008
5	श्रीपति मिश्र	आईपीएस-एसपीएस-2008
6	अजय कुमार सिंह	आईपीएस-एसपीएस-2008
7	जुगुल किशोर	आईपीएस-एसपीएस-2008
8	विनोद कुमार मिश्रा	आईपीएस-एसपीएस-2008
9	वालेन्दु भूषण सिंह	आईपीएस-एसपीएस-2008
10	देवेन्द्र प्रताप नारायन पाण्डेय	आईपीएस-एसपीएस-2008
11	सुधीर कुमार सिंह	आईपीएस-एसपीएस-2008
12	डा0 अरविन्द भूषण पाण्डेय	आईपीएस-एसपीएस-2008
13	राजीव मल्होत्रा	आईपीएस-एसपीएस-2008

2–उपर्युक्त अधिकारियों की तैनाती के सम्बन्ध में आदेश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

सं0 1634/छः पु0से0-2-21-522(97)/2021–भारतीय पुलिस सेवा (उ0प्र0 संवर्ग) के निम्नलिखित अधिकारियों के सम्मुख कालम-4 में अंकित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा का सेलेक्शन ग्रेड (वर्तमान पे मैट्रिक्स लेवल-13, रु0 1,23,100-2,15,900) अनुमन्य किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0	अधिकारी का नाम	आवंटन वर्ष	सेलेक्शन ग्रेड अनुमन्य किये जाने की तिथि
1	2	3	4
	सर्वश्री–		
1	केशव कुमार चौधरी	आईपीएस-आरआर-2009	01-01-2022
2	अजय कुमार साहनी	आईपीएस-आरआर-2009	01-01-2022
3	पवन कुमार	आईपीएस-आरआर-2009	01-01-2022
4	अनीस अहमद अन्सारी	आईपीएस-आरआर-2009	01-01-2022
5	अखिलेश कुमार चौरसिया	आईपीएस-आरआर-2009	01-01-2022
6	शिवासिम्पी वन्नप्पा	आईपीएस-आरआर-2009	01-01-2022
7	दिनेश कुमार पी0	आईपीएस-आरआर-2009	01-01-2022
8	मुनिराज जी0	आईपीएस-आरआर-2009	01-01-2022
9	बबलू कुमार	आईपीएस-आरआर-2009	01-01-2022
10	सन्तोष कुमार सिंह	आईपीएस-एसपीएस-2009	01-01-2022

आज्ञा से,
अवनीश कुमार अवस्थी,
अपर मुख्य सचिव।

चिकित्सा शिक्षा विभाग

अनुभाग-4

नियुक्ति

01 दिसम्बर, 2021 ई0

सं0 924/71-4-2021-एस-9/2014–उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा, अधिनियम, 2015 की धारा 11 (1) के प्राविधानों के अन्तर्गत डा0 प्रभात कुमार सिंह, निदेशक, एम्स पटना को उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा के कुलपति के रूप में नियत वेतनमान लेवल पे मैट्रिक्स-17, रु0 2,25,000 (रुपये दो लाख पचीस हजार मात्र) में कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 वर्ष की अवधि तक अथवा 68 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो के लिये नियुक्त किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
डा0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव।

आबकारी विभाग

अनुभाग-1

कार्यालय आदेश

13 दिसम्बर, 2021 ई0

सं0 2413/ई-1/तेरह-2021-146/2016—आबकारी विभाग के निम्नलिखित उप आबकारी आयुक्त को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से संयुक्त आबकारी आयुक्त के पद पर वेतनमान रु0 15,6,00-39,100 ग्रेड वेतन-7,600 (नया वेतनमान 78,800-2,09,200 लेबल-12) में वर्तमान तैनाती के स्थान पर ही मौलिक रूप से प्रोन्नति प्रदान की जाती है—

क्र0	नाम
1	श्री जैनेन्द्र उपाध्याय

2—उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी को उनके कार्यभार ग्रहण की तिथि से दो वर्ष के लिये परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3—उपर्युक्त अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल उप आबकारी आयुक्त के पद से कार्यमुक्त होकर संयुक्त आबकारी आयुक्त के पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

4—उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी की नियमित तैनाती के आदेश पृथक् से जारी किये जायेंगे। नियमित तैनाती होने तक वे पूर्ववत् कार्य करते रहेंगे।

आज्ञा से,
संजय आर0 भूसरेड्डी,
अपर मुख्य सचिव।

ग्राम्य विकास विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

17 दिसम्बर, 2021 ई0

सं0 R-667/38-1-2021-3518/2021—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री विकास सिंह पुत्र श्री रमेश सिंह को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500 पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद चन्दौली में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदार आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों को प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में है उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों, लागू शासनादेशों एवं कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के अधीन होगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेगी।

सं0 R-668/38-1-2021-3518/2021—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री अनिरुद्ध कुमार मिश्रा पुत्र श्री मिथिलेश कुमार को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500 पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद बदायूं में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदार आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों को प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में है उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों, लागू शासनादेशों एवं कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011—का—4—2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के अधीन होगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेगी।

सं0 R-669/38-1-2021-3518/2021—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री उत्कर्ष सक्सेना पुत्र श्री एम0के0 सक्सेना को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली,

1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500 पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद सोनभद्र में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदार आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों को प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में है उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों, लागू शासनादेशों एवं कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011—का—4—2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के अधीन होगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेगी।

सं0 R-670/38-1-2021-3518/2021—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री श्रवण प्रसाद गुप्ता पुत्र श्री त्रिभुवन प्रसाद गुप्ता को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500 पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद चित्रकूट में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदार आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों को प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में है उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों, लागू शासनादेशों एवं कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011—का—4—2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के अधीन होगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेगी।

सं0 R-671/38-1-2021-3518/2021—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत सुश्री आस्था पाण्डेय पुत्री श्री तरूण कुमार पाण्डेय को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500 पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद चित्रकूट में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदार आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों को प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में है उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों, लागू शासनादेशों एवं कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011—का—4—2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के अधीन होगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेगी।

सं0 R-672/38-1-2021-3518/2021—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री प्रकाश प्रसाद पुत्र श्री बालचन्द प्रसाद को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500 पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद बांदा में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2–सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदार आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनश्चित करायी जायेगी।

4–सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों को प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में है उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6–सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों, लागू शासनादेशों एवं कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के अधीन होगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7–सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेगी।

सं0 R-673/38-1-2021-3518/2021–लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत सुश्री बबिता गुप्ता पुत्री श्री भगवानदीन गुप्ता को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500 पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद प्रयागराज में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2–सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदार आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनश्चित करायी जायेगी।

4–सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5–सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों को प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में है उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों, लागू शासनादेशों एवं कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011-का-4-2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के अधीन होगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेगी।

सं0 R-674/38-1-2021-3518/2021—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री आशीष कुमार सिंह पुत्र श्री राम बहादुर सिंह को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान रु0 56,100-1,77,500 पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद रायबरेली में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदार आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों को प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में है उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों, लागू शासनादेशों एवं कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011—का—4—2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के अधीन होगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा-भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेगी।

सं0 R-675/38-1-2021-3518/2021—लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा आयोजित सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2019 के आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से खण्ड विकास अधिकारी के पद पर चयन हेतु संस्तुत श्री सतीश कुमार सिंह पुत्र श्री कुंवर सिंह को उत्तर प्रदेश प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली, 1991 (यथा संशोधित) में विहित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन खण्ड विकास अधिकारी के मौलिक पद पर वेतनमान

रु0 56,100-1,77,500 पे मैट्रिक्स 10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हुये उन्हें 02 वर्ष की परिवीक्षा अवधि (जिसे नियमानुसार बढ़ाया भी जा सकता है) पर रखते हुये जनपद बिजनौर में खण्ड विकास अधिकारी के रिक्त पद पर एतद्द्वारा तैनात किये जाने के आदेश श्री राज्यपाल प्रदान करते हैं।

2—सम्बन्धित अधिकारी नियुक्ति/तैनाती के जनपद में जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी के समक्ष 01 माह के अन्दर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेंगे। निर्धारित अवधि के अन्दर योगदार आख्या प्रस्तुत नहीं करने पर यह समझा जायेगा कि वह खण्ड विकास अधिकारी के पद पर योगदान करने के इच्छुक नहीं है और तद्नुसार उनका अभ्यर्थन निरस्त किये जाने पर विचार किया जायेगा।

3—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा जनपद में योगदान आख्या प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा उन्हें जनपद में रिक्त विकास खण्डों के सापेक्ष तैनात किये जाने से पूर्व विभिन्न विकास खण्डों में वरिष्ठ खण्ड विकास अधिकारियों के साथ सम्बद्ध कर ग्राम्य विकास विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में 01 माह का आधारभूत प्रशिक्षण दिलाये जाने की व्यवस्था सुनश्चित करायी जायेगी।

4—सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जनपद में कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उन्हें दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, उ0प्र0, लखनऊ में आधारभूत प्रशिक्षण कराया जायेगा।

5—सम्बन्धित अधिकारी द्वारा समस्त शैक्षिक अभिलेख, आयु सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और चरित्र सम्बन्धी दो राजपत्रित अधिकारियों को प्रमाण-पत्रों को कार्यभार ग्रहण करते समय उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। ऐसे अधिकारी जो पूर्व से किसी सेवा में है उन्हें पूर्व नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

6—सम्बन्धित अधिकारी की सेवा शर्तें शासन की प्रचलित नियमावलियों, लागू शासनादेशों एवं कार्मिक अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या 04/2021/1/4/2011—का—4—2021, दिनांक 29 अप्रैल, 2021 के अधीन होगी। सम्बन्धित अधिकारी को तैनाती के जनपद तक जाने/पहुंचने हेतु कोई मार्ग व्यय अथवा यात्रा भत्ता आदि देय नहीं होगा।

7—सम्बन्धित अधिकारियों की ज्येष्ठता पृथक् से निर्धारित की जायेगी।

आज्ञा से,
मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

पी0एस0यू0पी0—42 हिन्दी गजट—भाग 1—2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 15 जनवरी, 2022 ई० (पौष 25, 1943 शक संवत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
NOTIFICATION

June 25, 2021

No. 1717/Admin.(Services)-2021–In exercise of the powers conferred by Rule 27-A of U. P. Higher Judicial Service Rules, 1975 (as amended) and all other powers enabling in this behalf, the High Court is pleased to grant Super Time Pay Scale of Rs. 70,290-1,540-76,450, as per G.O. No. 3195/II-4-2003-45(12)/1991 T.C., dated August 04, 2003, read with G.O. No. 793/II-4-2010-45(12)/91 T.C.-VI, dated April 30, 2010, and No. 1122/II-4-2011-45(12)/91 T.C.-6, dated May 18, 2011 to the following officers of U. P. Higher Judicial Service, from the date mentioned against their names :

Sl. no.	Name of the Officer	Earlier date of grant of super time pay scale	Vacancy caused by	Readjust-ment date of super time pay scale	Vacancy caused by
1	2	3	4	5	6
	Sri/Smt.-				
1	Anil Kumar-X 21-04-71	01-02-2019	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	01-02-2019	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.
2	Santosh Rai 01-07-72	01-02-2019	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	01-02-2019	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.

1	2	3	4	5	6
	Sri/Smt.-				
3	Tej Pratap Tiwari 02-08-71	01-02-2019	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	01-02-2019	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.
4	Virjendra Kumar Singh 20-02-72	01-02-2019	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	01-02-2019	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.
5	Sandeep Jain 29-11-65	01-02-2019	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	01-02-2019	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.
6	Avnish Saxena 08-02-71	01-02-2019	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	01-02-2019	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.
7	Ashok Kumar Singh-VII 22-07-66	01-03-2019	Due to retirement of Sri Chandra Mauli Shukla on 28-02-2019.	01-02-2019	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.
8	Anil Kumar Jha 01-01-71	01-03-2019	Due to retirement of Sri Anil Kumar Upadhyay on 28-02-2019.	01-03-2019	Due to retirement of Sri Chandra Mauli Shukla on 28-02-2019.
9	Madan Pal Singh 02-01-71	01-04-2019	Due to retirement of Sri Jai Sheel Pathak on 31-03-2019.	01-03-2019	Due to retirement of Sri Anil Kumar Upadhyay on 28-02-2019.
10	Harvir Singh 13-03-67	29-04-2019	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	01-04-2019	Due to retirement of Sri Akhilesh Kumar Tiwari on 31-03-2019.
11	Zafeer Ahmad 30-01-70	29-04-2019	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	29-04-2019	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.

1	2	3	4	5	6
	Sri/Smt.-				
12	Babbu Sarang 10-09-68	29-04-2019	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	29-04-2019	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.
13	(Dr.) Ajay Kumar-II 06-06-72	01-05-2019	Due to retirement of Sri Prem Kumar Singh on 30-04-2019.	29-04-2019	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.
14	Chawan Prakash 05-07-71	01-05-2019	Due to retirement of Sri Raj Narain Pandey on 30-04-2019.	01-05-2019	Due to retirement of Sri Prem Kumar Singh on 30-04-2019.
15	Rameshwar 01-03-71	06-05-2019	Due to elevation to Bench of Sri Ali Zamin on 06-05-2019.	01-05-2019	Due to retirement of Sri Raj Narain Pandey on 30-04-2019.
16	Dinesh Chand 02-02-67	01-06-2019	Due to retirement of Sri Umesh Singh on 31-05-2019.	06-05-2019	Due to elevation to Bench of Sri Ali Zamin on 06-05-2019.
17	Divesh Chandra Samant 05-02-66	01-06-2019	Due to retirement of Sri Girjesh Kumar Pandey on 31-05-2019.	01-06-2019	Due to retirement of Sri Umesh Singh on 31-05-2019.
18	Saket Bihari 'Deepak' 15-03-69	01-07-2019	Due to retirement of Sri Upendra Kumar on 30-06-2019.	01-06-2019	Due to retirement of Sri Girjesh Kumar Pandey on 31-05-2019.
19	Vinai Kumar Dwivedi 01-11-66	01-07-2019	Due to retirement of Sri Vinod Kumar Srivastava-IV on 30-06-2019.	01-07-2019	Due to retirement of Sri Upendra Kumar on 30-06-2019.
20	Ravindra Nath Dubey 10-07-71	01-07-2019	Due to retirement of Sri Vidya Shanker Patel on 30-06-2019.	01-07-2019	Due to retirement of Sri Vinod Kumar Srivastava-IV on 30-06-2019.
21	Prashant Mishra 25-12-72	01-07-2019	Due to retirement of Sri Krishna Kumar Asthana on 30-06-2019.	01-07-2019	Due to retirement of Sri Vidya Shanker Patel on 30-06-2019.
22	Tarun Saxena 11-01-72	01-07-2019	Due to retirement of Sri Amar Nath Singh on 30-06-2019.	01-07-2019	Due to retirement of Sri Krishna Kumar Asthana on 30-06-2019.

1	2	3	4	5	6
	Sri/Smt.-				
23	Bhanu Deo Sharma 15-03-71	01-07-2019	Due to retirement of Sri Sarvesh Chandra Pandey on 30-06-2019.	01-07-2019	Due to retirement of Sri Amar Nath Singh on 30-06-2019.
24	Sudhir Kumar-V 18-10-70	01-07-2019	Due to retirement of Sri Jitender Kumar on 30-06-2019.	01-07-2019	Due to retirement of Sri Sarvesh Chandra Pandey on 30-06-2019.
25	Rajeev Bharti 21-01-71	01-08-2019	One supernumerary post created for the Officer in super Time Pay Scale *w.e.f.* 01-08-2019 to 30-09-2019 *vide* Govt. O. M. No. 737/II-4-2020-26/2 (24)/ 2005, dated 18-02-2021 and there-after, against the vacancy occurred on 01-10-2019 due to retirement of Sri Anil Kumar Pundir.	01-07-2019	Due to retirement of Sri Jitender Kumar on
26	Jai Prakash Yadav 01-10-69	01-10-2019	Due to retirement of Sri Allah Rakhai on 30-09-2019.	01-10-2019	Due to retirement of Sri Anil Kumar Pundir.
27	Anil Kumar Verma 03-12-68	01-10-2019	Due to retirement of Sri Surendra Kumar Yadav on 30-09-2019.	01-10-2019	Due to retirement of Sri Allah Rakhai on 30-09-2019.
28	Chandroday Kumar 21-12-68	01-12-2019	Due to retirement of Sri Rajive Goyal on 30-11-2019.	01-10-2019	Due to retirement of Sri Surendra Kumar Yadav on 30-09-2019.
29	Devendra Singh-I 14-11-68	01-12-2019	Due to retirement of Sri Badam Singh on 30-11-2019.	01-12-2019	Due to retirement of Sri Rajive Goyal on 30-11-2019.
30	Sanjay Shanker Pandey 22-06-63	01-01-2020	Due to retirement of Sri Bhopal Singh on 31-12-2019.	01-10-2019	Due to retirement of Sri Badam Singh on 30-11-2019.
31	Kaushalendra Yadav 13-09-61	01-01-2020	Due to retirement of Sri Shashi Kant Shukla on 31-12-2019.	01-01-2020	Due to retirement of Sri Bhopal Singh on 31-12-2019.
32	Ashok Kumar-VII 01-01-65	01-01-2020	Due to retirement of Smt. Prem Kala Singh on 31-12-2019.	01-01-2020	Due to retirement of Sri Shashi Kant Shukla on 31-12-2019.

1	2	3	4	5	6
	Sri/Smt.-				
33	Alok Kumar Trivedi 04-09-61	01-01-2020	Due to retirement of Sri Naveen Srivastava on 31-12-2019.	01-01-2020	Due to retirement of Smt. Prem Kala Singh on 31-12-2019.
34	Brijesh Kumar Mishra 05-10-63	01-01-2020	Due to retirement of Sri Dinesh Kumar Singh-II on 31-12-2019.	01-01-2020	Due to retirement of Sri Naveen Srivastava on 31-12-2019.
35	Narendra Bahadur Yadav 04-04-63	01-01-2020	Due to retirement of Sri Arun Chandra Srivastava on 31-12-2019.	01-01-2020	Due to retirement of Sri Dinesh Kumar Singh-II on 31-12-2019.
36	Smt. Mridula Kumar 25-09-63	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	01-01-2020	Due to retirement of Sri Arun Chandra Srivastava on 31-12-2019.
37	Sanjiv Kumar 08-02-66	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.
38	Bijendra Kumar Shailat 01-07-63	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.
39	Sudhir Kumar-III 04-09-62	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.
40	Sushil Kumar Rastogi 30-06-62	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.
41	Deepak Swaroop Saxena 23-09-62	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.

1	2	3	4	5	6
	Sri/Smt.-				
42	Ashok Kumar Yadav-I 01-01-64	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.
43	Ram Baran Saroj 20-01-61	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.
44	Sangeeta Srivastava 22-07-62	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.
45	Griesh Kumar Vaish 15-08-64	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.
46	Avinash Chandra Tripathi 02-07-62	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.
47	Brijendra Mani Tripathi 25-10-63	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.
48	Smt. Deepa Jain 15-03-60 (*Retired on* 31-03-2020)	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.
49	Rakesh Kumar-III 25-01-62	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.
50	Vikas Saxena-I 05-01-60 (*Retired on* 31-01-2020)	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.

1	2	3	4	5	6
	Sri/Smt.-				
51	Rakesh Kumar-IV 01-07-60 (*Retired on* 30-06-2020)	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.
52	Shakeel Ahmad Khan 06-01-63	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.
53	Jyoti Kumar Tripathi 08-06-62	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.
54	Veer Nayak Singh 01-05-62	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.
55	Santosh Kumar Srivastava 15-02-61	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.
56	Jitendra Kumar Pandey 31-03-63	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.
57	Ajai Kumar Srivastava-II 01-12-63	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.
58	Navneet Kumar 15-11-61	01-02-2020	Due to retirement of Sri Anil Kumar Gupta on 31-01-2020.	25-01-2020	In terms of Rule 27-A of "The Uttar Pradesh Higher Judicial Service Rules, 1975 read with G.O. dated 26-09-2003.
59	Mohd. Riyaz 28-04-62	01-02-2020	Due to retirement of Sri Arun Kumar Mishra on 31-01-2020.	01-02-2020	Due to retirement of Sri Anil Kumar Gupta on 31-01-2020.

1	2	3	4	5	6
	Sri/Smt.-				
60	Lal Chandra Gupta 12-08-63	01-02-2020	Due to retirement of Sri Pramod Kumar-I on 31-01-2020.	01-02-2020	Due to retirement of Sri Arun Kumar Mishra on 31-01-2020.
61	Sanjeev Yadav 07-06-60 (*Retired on* 30-06-2020)	01-02-2020	Vacancy released due to retirement of Sri Sanjay Kumar Dey on 31-01-2020.	01-02-2020	Due to retirement of Sri Pramod Kumar-I on 31-01-2020.
62	Kali Charan-II 28-05-62	01-02-2020	Due to retirement of Sri Vikas Saxena-I on 31-01-2020.	01-02-2020	Vacancy released due to retirement of Sri Sanjay Kumar Dey on 31-01-2020.
63	Harkesh Kumar 01-03-62	01-03-2020	Due to retirement of Sri Rajendra Kumar-III on 29-02-2020.	01-02-2020	Due to retirement of Sri Vikas Saxena-I on 31-01-2020.
64	Lalta Prasad-II 14-03-62	01-04-2020	Due to retirement of Sri Hasnain Qureshi on 31-03-2020.	01-03-2020	Due to retirement of Sri Rajendra Kumar-III on 29-02-2020.
65	Avinash Saksena 30-06-63	01-04-2020	Due to retirement of Sri Surendra Kumar Singh-I on 31-03-2020.	01-04-2020	Due to retirement of Sri Hasnain Qureshi on 31-03-2020.
66	Jitendra Kumar Singh 01-01-63	01-04-2020	Due to retirement of Sri Pradeep Kumar Gupta on 31-03-2020.	01-04-2020	Due to retirement of Sri Surendra Kumar Singh-I on 31-03-2020.
67	Irfan Qamar 28-06-62	01-04-2020	Due to retirement of Smt. Deepa Jain on 31-03-2020.	01-04-2020	Due to retirement of Sri Pradeep Kumar Gupta on 31-03-2020.
68	Smt. Vani Ranjan Agrawal 21-09-65	01-05-2020	Due to retirement of Sri Tanvir Ahmad on 30-04-2020.	01-04-2020	Due to retirement of Smt. Deepa Jain on 31-03-2020.
69	Surendra Singh-II 01-01-63	01-05-2020	Due to retirement of Sri Ramesh Chandra-V on 30-04-2020.	01-05-2020	Due to retirement of Sri Tanvir Ahmad on 30-04-2020.
70	Lallu Singh 20-04-64	01-06-2020	Due to retirement of Dr. Ashok Kumar Singh-IV on 31-05-2020.	01-05-2020	Due to retirement of Sri Ramesh Chandra-V on 30-04-2020.
71	Shyam Jeet Yadav 03-04-61	01-06-2020	Due to retirement of Sri Madan Lal Nigam on 31-05-2020.	01-06-2020	Due to retirement of Dr. Ashok Kumar Singh-IV on 31-05-2020.

1	2	3	4	5	6
	Sri/Smt.-				
72	Ravindra Kumar-I 10-06-64	01-06-2020	Due to retirement of Sri Shiv Mani Shukla on 31-05-2020.	01-06-2020	Due to retirement of Sri Madan Lal Nigam on 31-05-2020.
73	Achal Sachdev 31-12-69	01-06-2020	Due to retirement of Sri Gulab Singh-I on 31-05-2020.	01-06-2020	Due to retirement of Sri Shiv Mani Shukla on 31-05-2020.
74	Smt. Babita Rani 24-04-73	01-07-2020	Due to retirement of Sri Pradeep Kumar consul on 30-06-2020.	01-06-2020	Due to retirement of Sri Gulab Singh-I on 31-05-2020.
75	Kamlesh Kuchhal 13-02-72	01-07-2020	Due to retirement of Sri Rama Nand on 30-06-2020.	01-07-2020	Due to retirement of Sri Pradeep Kumar consul on 30-06-2020.
76	Utkarsh Chaturvedi 14-05-73	01-07-2020	Due to retirement of Smt. Neerja Singh on 30-06-2020.	01-07-2020	Due to retirement of Sri Rama Nand on 30-06-2020.
77	Jai Prakash Pandey 15-08-68	01-07-2020	Due to retirement of Sri Mushir Ahmad Abbasi on 30-06-2020.	01-07-2020	Due to retirement of Smt. Neerja Singh on 30-06-2020.
78	Vinay Kumar 12-07-70	01-07-2020	Due to retirement of Sri Manvendra Singh on 30-06-2020.	01-07-2020	Due to retirement of Sri Mushir Ahmad Abbasi on 30-06-2020.
79	Sunil Kumar-IV 25-09-67	01-07-2020	Due to retirement of Sri Sant Ram on 30-06-2020.	01-07-2020	Due to retirement of Sri Manvendra Singh on 30-06-2020.
80	Ram Sulin Singh 24-01-70	01-07-2020	Due to retirement of Sri Jai Shanker Mishra on 30-06-2020.	01-07-2020	Due to retirement of Sri Sant Ram on 30-06-2020.
81	Ashish Garg 13-09-72	01-07-2020	Due to retirement of Sri Rakesh Kumar-IV on 30-06-2020.	01-07-2020	Due to retirement of Sri Jai Shanker Mishra on 30-06-2020.
82	Raj Kumar Singh 05-08-69	01-07-2020	Due to retirement of Sri Sanjeev Yadav on 30-06-2020.	01-07-2020	Due to retirement of Sri Rakesh Kumar-IV on 30-06-2020.
83	Vishnu Kumar Sharma 05-06-66	01-08-2020	Due to retirement of Sri Anil Kumar Ojha on 31-07-2020.	01-07-2020	Due to retirement of Sri Sanjeev Yadav on 30-06-2020.

1	2	3	4	5	6
	Sri/Smt.-				
84	Satendra Kumar 01-01-71	01-08-2020	Due to retirement of Sri Govind Ballabh (Sharma) on 31-07-2020.	01-08-2020	Due to retirement of Sri Anil Kumar Ojha on 31-07-2020.
85	Vijay Shanker Upadhyay 01-03-67	01-08-2020	Due to retirement of Sri Vinod Kumar Singh-III on 31-07-2020.	01-08-2020	Due to retirement of Sri Govind Ballabh (Sharma) on 31-07-2020.
86	Vinod Singh Rawat 11-12-70	01-09-2020	Consequent to retirement of Sri Sushil Kumar-II on 31-08-2020.	01-08-2020	Due to retirement of Sri Vinod Kumar Singh-III on 31-07-2020.
87	Inder Preet Singh Josh 22-11-72	01-09-2020	Consequent to retirement of Sri Anoop Kumar Goel on 31-08-2020.	01-09-2020	Consequent to retirement of Sri Sushil Kumar-II on 31-08-2020.

By order of the Court,
ASHISH GARG,
Registrar General.

[ESTABLISHMENT SECTION]

NOTIFICATION

November 01, 2021

No. 88--From the date of taking over charge, following Section Officer, High Court of Judicature at Allahabad, is hereby promoted as Assistant Registrar in the pay scale Level-11 :

Sl. No.	Emp. No.	Name
1	7033	Sri Rajesh Kumar Tripathi

(The promotion shall be subject to result of Writ Petition (s), if any, filed before the Hon'ble Court).

By order of the Hon'ble Court,
ASHISH GARG,
Registrar General.

No. 89--From the date of taking over charge, Sri Suresh Chandra, Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, (Emp. No. 3355), High Court, Allahabad is hereby promoted as Joint Registrar-cum-Bench Secretary Grade-IV, High Court, Allahabad, in the pay scale of P. B.-4, Rs. 37,400-67,000, Grade Pay Rs. 8,700 (Level-13 Revised as per 7th Pay Commission) in the vacancy caused due to retirement of Sri Shree Kant.

No. 90--From the date of taking over charge, Sri Syed Waqar, Assistant Registrar-cum-Bench Secretary Grade-II, (Emp. No. 6069), High Court, Allahabad is hereby promoted as Deputy Registrar-cum-Bench Secretary Grade-III, High Court, Allahabad in the pay scale of P. B.-3, Rs. 15,600-39,100, Grade Pay Rs. 7,600 (Level-12, Revised as per 7th Pay Commission) in the vacancy caused due to promotion of Sri Suresh Chandra.

(The promotion, notified above, shall be subject to result of Writ Petition (s), if any, filed before the Hon'ble Court).

By order of
Hon'ble the Chief Justice,
(*Sd.)* ILLEGIBLE,
Registrar General.

NOTIFICATION
November 12, 2021

No. 91–In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make following amendments in the Allahabad High Court Private Secretaries (Conditions of Service) Rules, 2001 :

THE ALLAHABAD HIGH COURT PRIVATE SECRETARIES (CONDITIONS OF SERVICE) (AMENDMENT) RULES, 2021

1. Short title and commencement.–(1) These Rules may be called the Allahabad High Court Private Secretaries (Conditions of Service) (Amendment) Rules, 2021.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

2. Definition.–In these Rules, unless the context otherwise requires, "Rules" mean the Allahabad High Court Private Secretaries (Conditions of Service) Rules, 2001.

3. Substitution of sub-Rule (i) of Rule 4-A.–Sub-Rule (i) of Rule 4-A of the Rules shall be substituted as follows :

Existing Provision			***Amendment***		
4-A. Reservation for Scheduled Castes, etc.-(i) Reservation in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes--In direct recruitment to the various categories of posts in the establishment, the following percentages of vacancies to which recruitments are to be made shall be reserved in favour of the candidates belonging to Scheduled Castes of U. P., Scheduled Tribes of U. P. and Other Backward Classes of U. P.-			**4-A. Reservation for Scheduled Castes, etc.-(i)** Reservation in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Sections--In direct recruitment to the various categories of posts in the establishment, the following percentages of vacancies to which recruitments are to be made shall be reserved in favour of the candidates belonging to Scheduled Castes of U. P., Scheduled Tribes of U. P., Other Backward Classes of U. P. and Economically Weaker Sections of U. P. as per the provisions of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2020.-		
(*a*)	In case of Scheduled Castes	21%	(*a*)	In case of Scheduled Castes	21%
(*b*)	In case of Scheduled Tribes	02%	(*b*)	In case of Scheduled Tribes	02%
(*c*)	In case of Other Backward Classes	27%	(*c*)	In case of Other Backward Classes	27%
			(*d*)	In case of Economically Weaker Sections	10%

By order of
Hon'ble the Chief Justice,
(*Sd.)* ILLEGIBLE,
I/c Registrar General.

NOTIFICATION

November 12, 2021

No. 92–In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make following amendments in the Allahabad High Court Computer Cadre Service Rules, 2010 :

THE ALLAHABAD HIGH COURT COMPUTER CADRE SERVICE (AMENDMENT) RULES, 2021

1. Short title and commencement.–(1) These Rules may be called the Allahabad High Court Computer Cadre Service (Amendment) Rules, 2021.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

2. Definition.–In these Rules, unless the context otherwise requires, "Rules" mean the Allahabad High Court Computer Cadre Service Rules, 2010.

3. Amendment of sub-Rule (1) of Rule 14.–Sub-Rule (1) of Rule 14 of the Rules shall be amended as follows :

Existing Provision	*Amendment*
14. Reservation.-(1) There shall be reservation of 21% for the Scheduled Castes, 02% for the Scheduled Tribes and 27% for the Other Backward Classes on the vacant posts where selection is made through direct recruitment.	**14. Reservation.-(1)** There shall be reservation of 21% for the Scheduled Castes, 02% for the Scheduled Tribes, 27% for the Other Backward Classes and 10% for the Economically Weaker Sections (EWS) as per the provisions of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2020 on the vacant posts where selection is made through direct recruitment.

By order of
Hon'ble the Chief Justice,
(*Sd.)* ILLEGIBLE,
I/c Registrar General.

November 12, 2021

No. 93–In exercise of the powers conferred by clause (2) of Article 229 of the Constitution of India, Hon'ble the Chief Justice has been pleased to make following amendments in the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976 :

THE ALLAHABAD HIGH COURT OFFICERS AND STAFF (CONDITIONS OF SERVICE AND CONDUCT) (AMENDMENT) RULES, 2021

1. Short title and commencement.–(1) These Rules may be called the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) (Amendment) Rules, 2021.

(2) These Rules shall come into force from the date of publication in the official Gazette.

2. Definition.–In these Rules, unless the context otherwise requires, "Rules" mean the Allahabad High Court Officers and Staff (Conditions of Service and Conduct) Rules, 1976.

3. Substitution of sub-Rule (i) of Rule 23.–Sub-Rule (i) of Rule 23 of the Rules shall be substituted as follows :

Existing Provision			*Amendment*		
23. Reservation for Scheduled Castes, etc.- **(i)** Reservation in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes--In direct recruitment to the various categories of posts in the establishment, the following percentages of vacancies to which recruitments are to be made shall be reserved in favour of the candidates belonging to Scheduled Castes of U. P., Scheduled Tribes of U. P. and Other Backward Classes of U. P.-			**23. Reservation for Scheduled Castes, etc.-** **(i)** Reservation in favour of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes and Economically Weaker Sections--In direct recruitment to the various categories of posts in the establishment, the following percentages of vacancies to which recruitments are to be made shall be reserved in favour of the candidates belonging to Scheduled Castes of U. P., Scheduled Tribes of U. P., Other Backward Classes of U. P. and Economically Weaker Sections of U. P. as per the provisions of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Economically Weaker Sections) Act, 2020.-		
(*a*)	In case of Scheduled Castes	21%	(*a*)	In case of Scheduled Castes	21%
(*b*)	In case of Scheduled Tribes	02%	(*b*)	In case of Scheduled Tribes	02%
(*c*)	In case of Other Backward Classes	27%	(*c*)	In case of Other Backward Classes	27%
			(*d*)	In case of Economically Weaker Sections	10%

By order of
Hon'ble the Chief Justice,
(*Sd.)* ILLEGIBLE,
I/c Registrar General.

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

NOTIFICATION

June 25, 2021

No. 1718/Admin.(Services)-2021–Smt. Mehnaz Khan, Additional Civil Judge, (Junior Division), Amroha to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Amroha for trying cases of crime against women *vice* Sushri Priyanka Azad.

No. 1719/Admin.(Services)-2021–Sushri Priyanka Azad, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Amroha to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Amroha against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Sumit Kumar Yadav.

No. 1720/Admin.(Services)-2021–Sri Sumit Kumar Yadav, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Amroha to be Additional Civil Judge, (Junior Division), Hasanpur (Amroha).

No. 1721/Admin.(Services)-2021–Sushri Priyal Sharma, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Auraiya is appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Auraiya *vice* Sushri Meher Jahan.

No. 1722/Admin.(Services)-2021–Sushri Meher Jahan, Judicial Magistrate, First Class, Auraiya to be Civil Judge, (Junior Division), Auraiya *vice* Smt. Surabhi Shree Gupta.

No. 1723/Admin.(Services)-2021–Smt. Surabhi Shree Gupta, Civil Judge, (Junior Division), Auraiya to be Civil Judge, (Junior Division), Bidhuna (Auraiya) *vice* Sri Nepal Singh.

No. 1724/Admin.(Services)-2021–Sri Nepal Singh, Civil Judge, (Junior Division), Bidhuna (Auraiya) to be Additional Civil Judge, (Junior Division), Bidhuna (Auraiya) in the newly created court, created vide G.O. No. 10/2016/870/Saat-Nyay-2-2016-85G/2012 dated 06-07-2016.

No. 1725/Admin.(Services)-2021–Sushri Diksha Tyagi, Additional Civil Judge, (Junior Division), Bijnor to be Civil Judge, (Junior Division), Bijnor *vice* Sushri Indu Rani.

No. 1726/Admin.(Services)-2021–Sushri Indu Rani, Civil Judge, (Junior Division), Bijnor to be Additional Civil Judge, (Junior Division), Najibabad (Bijnor).

No. 1727/Admin.(Services)-2021–Sri Zaseem Khan, Additional Civil Judge, Junior Division, Budaun is appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Budaun *vice* Sushri Megha Chaudhary.

No. 1728/Admin.(Services)-2021–Sushri Megha Chaudhary, Judicial Magistrate, First Class, Budaun to be Additional Civil Judge, (Junior Division), Budaun.

No. 1729/Admin.(Services)-2021–Sushri Anchal Adhana, Additional Civil Judge, Junior Division, Budaun is appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Budaun *vice* Sushri Ankita Singh.

No. 1730/Admin.(Services)-2021–Sushri Ankita Singh, Judicial Magistrate, First Class, Budaun to be Civil Judge, (Junior Division), Budaun *vice* Sushri Nagma Khan.

No. 1731/Admin.(Services)-2021–Sushri Nagma Khan, Civil Judge, (Junior Division), Budaun to be Civil Judge, (Junior Division), Bisauli (Budaun) in the vacant court.

She is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Bisauli (Budaun).

No. 1732/Admin.(Services)-2021–Sri Rajat Singh Yadav, Additional Civil Judge, (Junior Division), Hamirpur to be Civil Judge, (Junior Division), Maudaha (Hamirpur) in the vacant court.

No. 1733/Admin.(Services)-2021–Sri Kuldeep Singh Yadav, Additional Civil Judge, (Junior Division), Hamirpur to be Civil Judge, (Junior Division), Rath (Hamirpur) in the vacant court.

He is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Rath (Hamirpur).

No. 1734/Admin.(Services)-2021–Sushri Sahlini Tyagi, Additional Civil Judge, (Junior Division), Hapur to be IInd Civil Judge, (Junior Division), Hapur *vice* Sushri Soumya Bhardwaj.

No. 1735/Admin.(Services)-2021–Sushri Soumya Bhardwaj, IInd Civil Judge, (Junior Division), Hapur is appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Hapur *vice* Smt. Farheen Khan.

No. 1736/Admin.(Services)-2021–Smt. Farheen Khan, Judicial Magistrate, First Class, Hapur to be Ist Civil Judge, (Junior Division), Hapur *vice* Sushri Anu Chaudhary.

No. 1737/Admin.(Services)-2021–Sushri Anu Chaudhary, Ist Civil Judge, (Junior Division), Hapur

to be Civil Judge, (Junior Division), Garhmukteshwar (Hapur) in the vacant court.

She is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Garhmukteshwar (Hapur).

No. 1738/Admin.(Services)-2021–Smt. Neha Chaudhary, Additional Civil Judge, (Junior Division), Hapur is appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Hapur *vice* Sri Shamsul Rahman.

No. 1739/Admin.(Services)-2021–Sri Shamsul Rahman, Judicial Magistrate, First Class, Hapur to be Additional Civil Judge, (Junior Division), Garhmukteshwar (Hapur).

No. 1740/Admin.(Services)-2021–Sushri Deepika Attri, Additional Civil Judge, (Junior Division), Hathras is appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Hathras *vice* Sushri Sakshi Singh.

No. 1741/Admin.(Services)-2021–Sushri Sakshi Singh, Judicial Magistrate, First Class, Hathras to be Civil Judge, (Junior Division), Hathras *vice* Sri Yogesh Jain.

No. 1742/Admin.(Services)-2021–Sri Yogesh Jain, Civil Judge, (Junior Division), Hathras to be Civil Judge, (Junior Division), Sadabad (Hathras) *vice* Sri Saurabh Kumar Gautam.

He is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Sadabad (Hathras).

No. 1743/Admin.(Services)-2021–Sri Saurabh Kumar Gautam, Civil Judge, (Junior Division), Sadabad (Hathras) to be Additional Civil Judge, (Junior Division), Sadabad (Hathras).

No. 1744/Admin.(Services)-2021–Sri Mohammad Arif, Additional Civil Judge, (Junior Division), Hathras to be Civil Judge, (Junior Division), Sikandra Rau (Hathras) in the vacant court.

No. 1745/Admin.(Services)-2021–Sri Manish Kumar Yadav, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Kushinagar at Padrauna to be Civil Judge, (Junior Division), Kushinagar at Padrauna *vice* Sri Navanit Kasyap.

No. 1746/Admin.(Services)-2021–Sri Navanit Kasyap, Civil Judge, (Junior Division), Kushinagar at Padrauna is appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Kasia (Kushinagar at Padrauna) *vice* Sri Chandra Prakash Tiwari.

No. 1747/Admin.(Services)-2021–Sri Chandra Prakash Tiwari, Judicial Magistrate, First Class, Kasia (Kushinagar at Padrauna) to be Additional Civil Judge (Junior Division), Kasia (Kushinagar at Padrauna).

No. 1748/Admin.(Services)-2021–Sushri Karishma Jaiswal, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Kushinagar at Padrauna is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Kushinagar at Padrauna *vice* Smt. Shweta Tiwari.

No. 1749/Admin.(Services)-2021–Smt. Shweta Tiwari, Judicial Magistrate, First Class, Kushinagar at Padrauna to be Additional Civil Judge (Junior Division), Kasia (Kushinagar at Padrauna).

No. 1750/Admin.(Services)-2021–Sushri Deeksha Bharti, Additional Civil Judge, (Junior Division), Lakhimpur Kheri is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Lakhimpur Kheri *vice* Sushri Ekta Singh.

No. 1751/Admin.(Services)-2021–Sushri Ekta Singh, Judicial Magistrate, First Class, Lakhimpur

Kheri to be Civil Judge (Junior Division), Lakhimpur Kheri *vice* Sushri Amrisha Srivastava.

No. 1752/Admin.(Services)-2021–Sushri Amrisha Srivastava, Civil Judge (Junior Division), Lakhimpur Kheri to be Additional Civil Judge (Junior Division), Mohammadi (Lakhimpur Kheri).

No. 1753/Admin.(Services)-2021–Sri Aman Shukla, Additional Civil Judge, (Junior Division), Mahoba is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Mahoba *vice* Sri Divyakant Singh Rathore.

No. 1754/Admin.(Services)-2021–Sri Divyakant Singh Rathore, Judicial Magistrate, First Class, Mahoba to be Civil Judge (Junior Division), Kulpahar (Mahoba) in the vacant court.

No. 1755/Admin.(Services)-2021–Sri Vivek Prajapati, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Mahoba to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Mahoba for trying cases of crime against women *vice* Sri Sumit Gupta.

No. 1756/Admin.(Services)-2021–Sri Sumit Gupta, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Mahoba is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Mahoba *vice* Sri Abhishek Tripathi.

No. 1757/Admin.(Services)-2021–Sri Abhishek Tripathi, Judicial Magistrate, First Class, Mahoba to be Civil Judge (Junior Division), Charkhari (Mahoba).

No. 1758/Admin.(Services)-2021–Sushri Shubhi Agrawal, Additional Civil Judge, (Junior Division), Pilibhit is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Pilibhit *vice* Sri Kunvar Mallikarjun.

No. 1759/Admin.(Services)-2021–Sri Kunvar Mallikarjun, Judicial Magistrate, First Class, Pilibhit to be Civil Judge (Junior Division), Pilibhit *vice* Sushri Pomela Srivastava.

No. 1760/Admin.(Services)-2021–Sushri Pomela Srivastava, Civil Judge (Junior Division), Pilibhit to be Civil Judge (Junior Division), Bisalpur (Pilibhit) in the vacant court.

No. 1761/Admin.(Services)-2021–Sushri Samali Mittal, Additional Civil Judge, (Junior Division), Pratapgarh is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Pratapgarh *vice* Sushri Kisa Zaheer.

No. 1762/Admin.(Services)-2021–Sushri Kisa Zaheer, Judicial Magistrate, First Class, Pratapgarh to be Civil Judge (Junior Division), Kunda (Pratapgarh) in the vacant court.

She is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Kunda (Pratapgarh).

No. 1763/Admin.(Services)-2021–Sushri Lalita Yadav, Additional Civil Judge (Junior Division), Pratapgarh to be Civil Judge (Junior Division)/ Judicial Magistrate, Lalganj Ajhara (Pratapgarh) in the vacant court.

No. 1764/Admin.(Services)-2021–Sri Himanshu Verma, Additional Civil Judge, (Junior Division), Ramabai Nagar is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Ramabai Nagar *vice* Sushri Diksha Yadav.

No. 1765/Admin.(Services)-2021–Sushri Diksha Yadav, Judicial Magistrate, First Class, Ramabai Nagar to be Civil Judge (Junior Division), Ramabai Nagar.

No. 1766/Admin.(Services)-2021–Smt. Komal Shukla, Additional Civil Judge, (Junior Division), Ramabai Nagar is appointed U/s 11(2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class, Ramabai Nagar *vice* Smt. Seema Singh.

No. 1767/Admin.(Services)-2021–Smt. Seema Singh, Judicial Magistrate, First Class, Ramabai Nagar to be Civil Judge (Junior Division), Ramabai Nagar *vice* Sri Pranav Tripathi.

No. 1768/Admin.(Services)-2021–Sri Pranav Tripathi, Civil Judge (Junior Division), Ramabai Nagar to be Civil Judge (Junior Division), Ghatampur (Ramabai Nagar) in the vaccant court.

No. 1769/Admin.(Services)-2021–Sushri Shilpa Jain, Additional Civil Judge (Junior Division), Saharanpur to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Saharanpur for trying cases of crime against women *vice* Sushri Zeenat Parveen.

No. 1770/Admin.(Services)-2021–Sushri Zeenat Parveen, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Saharanpur to be Additional Civil Judge (Junior Division), Deoband (Saharanpur).

No. 1771/Admin.(Services)-2021–Sushri Shweta Vishwakarma, Additional Civil Judge (Junior Division), Siddharth Nagar to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Siddharth Nagar against the Fast Track Court created under the scheme of 14th Finance Commission *vice* Sri Deependra Kumar Singh.

No. 1772/Admin.(Services)-2021–Sri Deependra Kumar Singh, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Siddharth Nagar to be Additional Civil Judge (Junior Division), Bansi (Siddharth Nagar).

No. 1773/Admin.(Services)-2021–Smt. Ashunaina Maurya, Additional Civil Judge (Junior Division), Siddharth Nagar to be Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Siddharth Nagar for trying cases of crime against women *vice* Sri Akhilesh Patel.

No. 1774/Admin.(Services)-2021–Sri Akhilesh Patel, Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Siddharth Nagar to be Civil Judge (Junior Division), Dumariaganj (Siddharth Nagar) in the vacant court.

No. 1775/Admin.(Services)-2021–Sushri Shraddha Lal, Additional Civil Judge, Junior Division (Fast Track Court), Sultanpur to be Civil Judge (Junior Division), (North), Sultanpur *vice* Sri Siddharth Verma.

No. 1776/Admin.(Services)-2021–Sri Siddharth Verma, Civil Judge (Junior Division), (North), Sultanpur to be Civil Judge (Junior Division), Musafirkhana (Sultanpur) in the vacant court.

No. 1777/Admin.(Services)-2021–Sri Sunil Kumar Tripathi, Additional Civil Judge, Senior Division, Kushi Nagar at Padrauna to be Additional Chief Judicial Magistrate, Kasia (Kushi Nagar at Padrauna).

No. 1778/Admin.(Services)-2021–Sri Amit Kumar Yadav-II, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Mirzapur to be Additional Chief Judicial Magistrate, Mirzapur *vice* Smt. Neha Gangwar.

He is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Mirzapur.

No. 1779/Admin.(Services)-2021–Smt. Neha Gangwar, Additional Chief Judicial Magistrate, Mirzapur to be Civil Judge, Senior Division, Mirzapur *vice* Sri Manoj Kumar Shasan.

No. 1780/Admin.(Services)-2021–Sri Manoj Kumar Shasan, Civil Judge, Senior Division, Mirzapur to be Chief Judicial Magistrate, Mirzapur *vice* Smt. Swati.

No. 1781/Admin.(Services)-2021–Smt. Swati, Chief Judicial Magistrate, Mirzapur to be Civil Judge, Senior Division, Lucknow *vice* Smt. Purnima Sagar.

No. 1782/Admin.(Services)-2021–Smt. Purnima Sagar, Civil Judge, Senior Division, Lucknow to be Civil Judge, Senior Division, Mohanlalganj sitting at Lucknow *vice* Sushri Kavita Singh.

No. 1783/Admin.(Services)-2021–Sushri Kavita Singh, Civil Judge, Senior Division, Mohanlalganj sitting at Lucknow to be Civil Judge, Senior Division, Malihabad sitting at Lucknow *vice* Smt. Shraddha Bhartiya.

No. 1784/Admin.(Services)-2021–Smt. Shraddha Bhartiya, Civil Judge, Senior Division, Malihabad sitting at Lucknow to be Special Chief Judicial Magistrate, Lucknow *vice* Sri Sunil Kumar-VI.

No. 1785/Admin.(Services)-2021–Sri Sunil Kumar-VI, Special Chief Judicial Magistrate, Lucknow to be Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow *vice* Smt. Bhavya Tiwari.

He is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of

1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Lucknow.

No. 1786/Admin.(Services)-2021–Smt. Bhavya Tiwari, Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow to be Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow.

No. 1787/Admin.(Services)-2021–Sri Satish Kumar Magan, Secretary (Full Time), District Legal Services Authority, Rae Bareli to be Additional Chief Judicial Magistrate, Rae Bareli *vice* Sri Abhinav Jain.

He is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Rae Bareli.

No. 1788/Admin.(Services)-2021–Sri Abhinav Jain, Additional Chief Judicial Magistrate, Rae Bareli to be Civil Judge, Senior Division, Rae Bareli *vice* Smt. Shilpe Rani.

No. 1789/Admin.(Services)-2021–Smt. Shilpe Rani, Civil Judge, Senior Division, Rae Bareli to be Chief Judicial Magistrate, Rae Bareli *vice* Smt. Richa Upadhyay.

No. 1790/Admin.(Services)-2021–Smt. Richa Upadhyay, Chief Judicial Magistrate, Rae Bareli to be Chief Judicial Magistrate, Gautam Buddh Nagar *vice* Sri Sushil Kumar-V.

No. 1791/Admin.(Services)-2021–Sri Sushil Kumar-V, Chief Judicial Magistrate, Gautam Buddh Nagar to be Civil Judge, Senior Division, Gautam Buddh Nagar *vice* Dr. Suresh Kumar.

No. 1792/Admin.(Services)-2021–Dr. Suresh Kumar, Civil Judge, Senior Division, Gautam Buddh Nagar to be Chief Judicial Magistrate, Gautam Buddh Nagar *vice* Sri Jaihind Kumar Singh.

He is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Gautam Buddh Nagar.

No. 1793/Admin.(Services)-2021–Sri Jaihind Kumar Singh, Additional Chief Judicial Magistrate, Gautam Buddh Nagar to be Additional Civil Judge, Senior Division/Additional Chief Judicial Magistrate, Gautam Buddh Nagar.

June 29, 2021

No. 1794/Admin.(Services)-2021–The Court's Notification No. 1778/Admin.(Services)-2021 to 1781/Admin.(Services)-2021, dated June 25, 2021 regarding posting of Judicial Officers are hereby cancelled.

No. 1795/Admin.(Services)-2021–Smt. Bhavya Tiwari, Additional Civil Judge, Senior Division/ Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow to be Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow *vice* Sri Sunil Kumar-VI.

She is also appointed under section 11 (2) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no. 2 of 1974) as Judicial Magistrate, First Class for trying cases relating to Economic Offences at Lucknow.

No. 1796/Admin.(Services)-2021–Sri Sunil Kumar-VI, Additional Chief Judicial Magistrate, Lucknow to be Special Chief Judicial Magistrate, Lucknow *vice* Smt. Shraddha Bhartiya.

No. 1797/Admin.(Services)-2021–Smt. Shraddha Bhartiya, Special Chief Judicial Magistrate, Lucknow to be Civil Judge, Senior Division, Malihabad sitting at Lucknow *vice* Sushri Kavita Singh.

No. 1798/Admin.(Services)-2021–Sushri Kavita Singh, Civil Judge, Senior Division, Malihabad sitting at Lucknow to be Civil Judge, Senior Division, Mohanlalganj sitting at Lucknow *vice* Smt. Purnima Sagar.

No. 1799/Admin.(Services)-2021–Smt. Purnima Sagar, Civil Judge, Senior Division, Mohanlalganj sitting at Lucknow to be Civil Judge, Senior Division, Lucknow.

By order of the Court,
ASHISH GARG,
Registrar General.

जनता के प्रयोजनार्थ भूमि नियोजन की विज्ञप्ति

28 दिसम्बर, 2020 ई0

सं0 684/आठ-वि0भू0अ0अ0/सिंचाई/ललितपुर–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, माताटीला (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन जमरार बांध परियोजना के भराव क्षेत्र हेतु जनपद ललितपुर, तहसील महरौनी, परगना महरौनी, ग्राम टीकरी में कुल 0.115 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है, जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 25 जून, 2020 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–"जमरार बांध के निर्माण हेतु अर्जित की जा रही शेष रकवे की भूमि (ग्राम टीकरी, परगना व तहसील महरौनी, जिला ललितपुर) रकवा 0.115 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त अर्जन से प्रभावित कृषकों में से अर्जन प्रक्रिया के दौरान कोई भी कृषक भूमिहीन व कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है। जमरार बांध का निर्माण लोक प्रयोजनार्थ हेतु किया जा रहा है और बांध के निर्माण हो जाने से कृषकों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी, उत्पादन में वृद्धि रोजगार व सामाजिक स्तर में सुधार, पर्यावरण में सुधार तथा पर्यटन की सम्भावना बढ़ेगी।"

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है, इस विस्थापन के लिये अपरिहार्य कारण निम्नवत् है–

भू-अर्जन से कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है, डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है–(भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है, इस लिये प्रशासक नियुक्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है।)

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं–

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
ललितपुर	महरौनी	महरौनी	टीकरी	289	0.050
				307/1-मि0	0.023
				352-मि0	0.006
				370-मि0	0.013
				429-मि0	0.023
				कुल योग. .	**0.115**

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार तथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

अन्नावि दिनेशकुमार,
जिला कलेक्टर, ललितपुर।

NOTIFICATION

December 28, 2020

No. 684/VIII-S.L.A.O./IRRIGATION/LALITPUR–Under Sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 0.115 hectares of land in required in the Village-Tikri, Pargana-Mehrauni, Tehsil-Mehrauni, District-Lalitpur is required for public purpose, namely, Project-Jamrar Dam through Executive Engineer, Sichai Nirmaan Khand, Matateela, Lalitpur (Name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated 25-06-2020.

3. The Summary of the Social Impact Assessment report as Follows : ''The remaining land being acquired for the construction of the Jamrar Dam (Village-Tikri, Pargana and Tehsil-Mehrauni, District-Lalitpur) area 0.115 hect. land is being acquired. None of the farmers are landless and no family is displaced during the procurement process out of the farmers affected by the above acquisition. Jamrar Dam is being constructed for public purpose and with the construction of the dam, farmers will get better irrigation facilities, increase in production, improve employment and social status, improve the environment and the chances of tourism will increase''.

4. Total zero family is likely to be displcaced due to the land acquisition. The inevitable reasons for this displacement are : No family is being displaced due to the land acquisition. Deputy Collector/Assistant Collector is appointed as an Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of affected families : (No family is being displaced due to the land acquisition. Hence there is no need to appoint and Administrator.)

5. Therefore, The Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Lalitpur	Mehrauni	Mehrauni	Tikri	289	0.050
				307/1-M	0.023
				352-M	0.006
				370-M	0.013
				429-M	0.023
				TOTAL. .	**0.115**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to takes necessary steps to entre upon and survey of land, take level of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8.Under section 11(4) of the Act, no person shall any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE–A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

ANNAVI DINESHKUMAR,
District Collector,
Lalitpur.

सं0 685/आठ-वि0भू0अ0अ0/सिंचाई/ललितपुर–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, माताटीला (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन जमरार बांध परियोजना के भराव क्षेत्र हेतु जनपद ललितपुर, तहसील महरौनी, परगना महरौनी, ग्राम खिरिया कुम्हैडी में कुल 0.043 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है, जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 25 जून, 2020 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–"जमरार बांध के निर्माण हेतु अर्जित की जा रही शेष रकवे की भूमि (ग्राम खिरिया कुम्हैडी, परगना व तहसील महरौनी, जिला ललितपुर) रकवा 0.043 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त अर्जन से प्रभावित कृषकों में से अर्जन प्रक्रिया के दौरान कोई भी कृषक भूमिहीन व कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है। जमरार बांध का निर्माण लोक प्रयोजनार्थ हेतु किया जा रहा है और बांध के निर्माण हो जाने से कृषकों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी, उत्पादन में वृद्धि रोजगार व सामाजिक स्तर में सुधार, पर्यावरण में सुधार तथा पर्यटन की सम्भावना बढ़ेगी।"

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है, इस विस्थापन के लिये अपरिहार्य कारण निम्नवत् है–

भू-अर्जन से कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है, डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है–(भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है, इसलिये प्रशासक नियुक्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है।)

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं–

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
ललितपुर	महरौनी	महरौनी	खिरिया कुम्हैडी	12	0.043

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार तथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

अन्नावि दिनेशकुमार,
जिला कलेक्टर, ललितपुर।

No. 685/VIII-S.L.A.O./IRRIGATION/LALITPUR–Under Sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 0.043 hectares of land in required in the Village-Khiriya Kumahdi, Pargana-Mehrauni, Tehsil-Mehrauni, District-Lalitpur is required for public purpose, namely, Project-Jamrar Dam through Executive Engineer, Sichai Nirmaan Khand, Matateela, Lalitpur (Name of requiring body).

2. Social Impact Assesment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated 25-06-2020.

3. The Summary of the Social Impact Assessment report as Follows : ''The remaining land being acquired for the construction of the Jamrar Dam (Village-Khiriya Kumahdi, Pargana and Tehsil-Mehrauni, District-Lalitpur) area 0.043 hect. land is being acquired. None of the farmers are landless and no family is displaced during the procurement process out of the farmers affected by the above acquisition. Jamrar Dam is being constructed for public purpose and with the construction of the dam, farmers will get better irrigation facilities, increase in production, improve employment and social status, improve the environment and the chances of tourism will increase''.

4. Total zero family is likely to be displcaced due to the land acquisition. The inevitable reasons for this displacement are : No family is being displaced due to the land acquisition. Deputy Collector/Assistant Collector is appointed as an administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of affected families : (No family is being displaced due to the land acquisition. Hence there is no need to appoint and Administrator.)

5. Therefore, The Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be Acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Lalitpur	Mehrauni	Mehrauni	Khiriya Kumahdi	12	0.043

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to takes necessary steps to entre upon and survey of land, take level of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE–A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

ANNAVI DINESHKUMAR,
District Collector,
Lalitpur.

सं0 687/आठ-वि0भू0अ0अ0/सिंचाई/ललितपुर–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, माताटीला (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन जमरार बांध परियोजना के भराव क्षेत्र हेतु जनपद ललितपुर, तहसील महरौनी, परगना महरौनी, ग्राम खटौरा में कुल 2.721 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है, जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–"जमरार बांध के निर्माण हेतु अर्जित की जा रही शेष रकवे की भूमि (ग्राम खटौरा, परगना व तहसील महरौनी, जिला ललितपुर) रकवा 2.721 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त अर्जन से प्रभावित कृषकों में से अर्जन प्रक्रिया के दौरान कोई भी कृषक भूमिहीन व कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है। जमरार बांध का निर्माण लोक प्रयोजनार्थ हेतु किया जा रहा है और बांध के निर्माण हो जाने से कृषकों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी, उत्पादन में वृद्धि रोजगार व सामाजिक स्तर में सुधार, पर्यावरण में सुधार तथा पर्यटन की सम्भावना बढ़ेगी।"

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है, इस विस्थापन के लिये अपरिहार्य कारण निम्नवत् है–

भू-अर्जन से कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है, डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है–(भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है, इसलिये प्रशासक नियुक्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है।)

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं–

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भू-खण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
ललितपुर	महरौनी	महरौनी	खटौरा	92	0.200
				160	0.329

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
ललितपुर	महरौनी	महरौनी	खटौरा	196	0.006
				218	0.290
				219	0.688
				232	0.004
				234	0.004
				235	0.004
				256	0.021
				257	0.041
				259	0.267
				260	0.202
				261	0.024
				262	0.107
				276	0.284
				696	0.250
				योग. .	**2.721**

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार तथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

अन्नावि दिनेशकुमार,
जिला कलेक्टर, ललितपुर।

No. 687/VIII-S.L.A.O./IRRIGATION/LALITPUR–Under Sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 2.721 hectares of land in required in the Village-Khatora, Pargana-Mehrauni, Tehsil-Mehrauni, District-Lalitpur is required for public purpose, namely, Project-Jamrar Dam through Executive Engineer, Sichai Nirmaan Khand, Matateela, Lalitpur (Name of requiring body).

2. Social Impact Assesment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated 07-12-2020.

3. The Summary of the Social Impact Assessment report as Follows : ‘‘The remaining land being acquired for the construction of the Jamrar Dam (Village-Khatora, Pargana and Tehsil-Mehrauni, District

Lalitpur) area 2.721 hect. land is being acquired. None of the farmers are landless and no family is displaced during the procurement process out of the farmers affected by the above acquisition. Jamrar Dam is being constructed for public purpose and with the construction of the dam, farmers will get better irrigation facilities, increase in production, improve employment and social status, improve the environment and the chances of tourism will increase''.

4. Total zero family is likely to be displcaced due to the land acquisition. The inevitable reasons for this displacement are : No family is being displaced due to the land acquisition. Deputy Collector/Assistant Collector is appointed as an Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of affected families : (No family is being displaced due to the land acquisition. Hence there is no need to appoint and Administrator.)

5. Therefore, The Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Lalitpur	Mehrauni	Mehrauni	Khatora	92	0.200
				160	0.329
				196	0.006
				218	0.290
				219	0.688
				232	0.004
				234	0.004
				235	0.004
				256	0.021
				257	0.041
				259	0.267
				260	0.202
				261	0.024
				262	0.107
				276	0.284
				696	0.250
				TOTAL. .	**2.721**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to takes necessary steps to entreupon and survey of land, take level of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall any transaction or cause any transaction of land i.e. sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE–A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

ANNAVI DINESHKUMAR,
District Collector,
Lalitpur.

सं0 688/आठ-वि0भू0अ0अ0/सिंचाई/ललितपुर–भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन उत्तर प्रदेश सरकार/कलेक्टर (समुचित सरकार के उद्देश्य हेतु) राय है कि अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड, माताटीला (आपेक्षक निकाय का नाम) के माध्यम से सार्वजनिक प्रयोजन जमरार बांध परियोजना के भराव क्षेत्र हेतु जनपद ललितपुर, तहसील महरौनी, परगना महरौनी, ग्राम कुम्हैडी में कुल 10.0765 हे0 भूमि की आवश्यकता है।

2–राज्य सामाजिक समाघात निर्धारण एजेन्सी द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन किया गया है तथा समुचित सरकार को अपनी अनुशंसा प्रस्तुत की गयी है, जिसे समुचित सरकार द्वारा दिनांक 07 दिसम्बर, 2020 को अनुमोदित किया गया है।

3–सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश इस प्रकार है–"जमरार बांध के निर्माण हेतु अर्जित की जा रही शेष रकवे की भूमि (ग्राम कुम्हैडी, परगना व तहसील महरौनी, जिला ललितपुर) रकवा 10.0765 हे0 भूमि का अर्जन किया जा रहा है। उक्त अर्जन से प्रभावित कृषकों में से अर्जन प्रक्रिया के दौरान कोई भी कृषक भूमिहीन व कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है। जमरार बांध का निर्माण लोक प्रयोजनार्थ हेतु किया जा रहा है और बांध के निर्माण हो जाने से कृषकों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्राप्त होगी, उत्पादन में वृद्धि रोजगार व सामाजिक स्तर में सुधार, पर्यावरण में सुधार तथा पर्यटन की सम्भावना बढ़ेगी।"

4–भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य परिवार के विस्थापित होने की संभावना है, इस विस्थापन के लिये अपरिहार्य कारण निम्नवत् है–

भू-अर्जन से कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है, डिप्टी कलेक्टर/असिस्टेंट कलेक्टर को प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के उद्देश्य से प्रशासक नियुक्त किया जाता है–(भू-अर्जन के कारण कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है, इसलिये प्रशासक नियुक्त किये जाने की आवश्यकता नहीं है।)

5–अतः राज्यपाल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निम्नलिखित अनुसूची में उल्लिखित भूमि को सामान्य सूचना हेतु अधिसूचित करने के लिये सहर्ष सहमति देते हैं–

अनुसूची

जनपद	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड सं0	अर्जित किये जाने वाला क्षेत्रफल
1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
ललितपुर	महरौनी	महरौनी	कुम्हैडी	508/2	0.117
				513-KA	0.027
				514-KA	0.027
				532	0.082
				513-mi	0.007
				514-mi	0.007
				516/4-mi	0.519
				530/2	0.047
				542	0.043
				531	0.096
				533	0.202

1	2	3	4	5	6
					हेक्टेयर
ललितपुर	महरौनी	महरौनी	कुम्हैडी	535	0.101
				536-mi	0.040
				538	0.111
				1901	0.161
				1902	0.0505
				560	0.370
				583	0.530
				562	1.072
				571/1	0.011
				590/4	0.809
				590/5	0.809
				590/7	0.809
				590/1/2-mi	0.809
				638	0.562
				639-mi	0.010
				770	0.008
				771	0.012
				774-mi	0.050
				774-mi	0.030
				774	0.048
				776	0.018
				777-mi	0.067
				782	0.495
				812	0.080
				813	0.457
				798	0.210
				801/2-mi	0.091
				801-mi	0.032
				819	0.594
				865-mi	0.117
				784	0.005
				786	0.004
				787	0.001
				790	0.019
				791/1	0.006

1	2	3	4	5	6
ललितपुर	महरौनी	महरौनी	कुम्हैडी		हेक्टेयर
				792	0.020
				793	0.002
				794	0.001
				795	0.001
				831	0.280
				कुल योग. .	**10.0765**

6–अधिनियम की धारा 12 के अन्तर्गत निर्दिष्ट एवं प्राविधानित भूमि अधिग्रहण के प्रयोजन हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के लिये तथा भूमि का सर्वेक्षण, किसी भूमि के लिये समतलीकरण, खुदाई करने तथा कार्य के समुचित क्रियान्वयन हेतु सभी आवश्यक क्रियायें करने के लिये राज्यपाल कलेक्टर प्राधिकृत करने हेतु निर्देश देते हैं।

7–अधिनियम की धारा 15 के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति जिसका हित भूमि में निहित हो अधिसूचना के प्रकाशन के 60 (दिन) के अन्दर अपने क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध लिखित रूप से कलेक्टर को आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है।

8–अधिनियम की धारा 11 (4) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने तक कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रारम्भिक अधिसूचना में निर्दिष्ट भूमि का संव्यवहार तथा विक्रय/क्रय या उस भूमि में कोई भार उत्पन्न नहीं कर सकता है।

टिप्पणी–उक्त भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

अन्नावि दिनेशकुमार,
जिला कलेक्टर, ललितपुर।

No. 688/VIII-S.L.A.O./IRRIGATION/LALITPUR–Under Sub-section (1) of Section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013. Whereas the Government of Uttar Pradesh/Collector (for the purpose of Appropriate Government) is satisfied that a total of 10.0765 hectares of land in required in the Village-Kumhaidee, Pargana-Mehrauni, Tehsil-Mehrauni, District-Lalitpur is required for public purpose, namely, Project-Jamrar Dam through Executive Engineer, Sichai Nirmaan Khand, Matateela, Lalitpur (Name of requiring body).

2. Social Impact Assessment study was carried out by the State Social Impact Assessment Agency and submits its recommendations to the Appropriate Government which has approved its recommendation on dated 07-12-2020.

3. The Summary of the Social Impact Assessment report as Follows : ''The remaining land being acquired for the construction of the Jamrar Dam (Village-Kumhaidee, Pargana and Tehsil-Mehrauni, District-Lalitpur) area 10.0765 hect. land is being acquired. None of the farmers are landless and no family is displaced during the procurement process out of the farmers affected by the above acquisition. Jamrar Dam is being constructed for public purpose and with the construction of the dam, farmers will get better irrigation facilities, increase in production, improve employment and social status, improve the environment and the chances of tourism will increase''.

4. Total zero family is likely to be displcaced due to the land acquisition. The inevitable reasons for this displacement are : No family is being displaced due to the land acquisition. Deputy Collector/Assistant Collector is appointed as an Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of affectd families : (No family is being displaced due to the land acquisition. Hence there is no need to appoint and Administrator.)

5. Therefore, The Governor is pleased to notify for general information that the land mentioned in the Schedule below is needed for public purpose.

SCHEDULE

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired
1	2	3	4	5	6
					Hectare
Lalitpur	Mehrauni	Mehrauni	Kumhaidee	508/2	0.117
				513-KA	0.027
				514-KA	0.027
				532	0.082
				513-mi	0.007
				514-mi	0.007
				516/4mi	0.519
				530/2	0.047
				542	0.043
				531	0.096
				533	0.202
				535	0.101
				536-mi	0.040
				538	0.111
				1901	0.161
				1902	0.0505
				560	0.370
				583	0.530
				562	1.072
				571/1	0.011
				590/4	0.809
				590/5	0.809
				590/7	0.809
				590/1/2-mi	0.809
				638	0.562
				639-mi	0.010
				770	0.008
				771	0.012
				774-mi	0.050
				774-mi	0.030
				774	0.048
				776	0.018
				777-mi	0.067
				782	0.495

1	2	3	4	5	6
					Hectare
Lalitpur	Mehrauni	Mehrauni	Kumhaidee	812	0.080
				813	0.457
				798	0.210
				801/2-mi	0.091
				801-mi	0.032
				819	0.594
				865-mi	0.117
				784	0.005
				786	0.004
				787	0.001
				790	0.019
				791/1	0.006
				792	0.020
				793	0.002
				794	0.001
				795	0.001
				831	0.280
				TOTAL. .	**10.0765**

6. The Governor is also pleased to authorise the Collector for the purpose of land acquisition to takes necessary steps to entre upon and survey of land, take level of any land, dig or sub soil into the sub-oil and do all the acts required for the proper execution of work as provided and specified under section 12 of the Act.

7. Under section 15 of the Act, any person interested in the land may within 60 (days) after the publication of this notification, make an objection to the acquisition of land in the locality in writing to the Collector.

8. Under section 11(4) of the Act, no person shall any transaction or cause any transaction of land *i.e.* sale/purchase, specified in the preliminary notification or create any encumbrances on such land from the date of publication of such notification till such as the proceedings of land acquisition is completed, without prior approval of the Collector.

NOTE–A plan of land may be inspected in the Office of the Collector for the purpose of acquisition.

ANNAVI DINESHKUMAR,
District Collector,
Lalitpur.

पी0एस0यू0पी0–42 हिन्दी गजट–भाग 1-क–2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 15 जनवरी, 2022 ई० (पौष 25, 1943 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क–नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख–नगर पंचायत, खण्ड-ग–निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ–जिला पंचायत।

खण्ड-घ–जिला पंचायत

15 जून, 2021 ई0

सं0 908/23-24/2014-16–उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239 (2) के अर्न्तगत प्रदत्त अधिकरों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत हापुड़ के अधीन ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत स्थापित विभिन्न दूर संचार एवं अन्य उद्देश्यों के लिये स्थापित टावरों आदि को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से जिला पंचायत, हापुड़ द्वारा बनायी गयी संलग्न उपविधियों को, मैं, सुरेन्द्र सिंह, आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ, उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 242 (4) के अन्तर्गत पुष्टि करता हूं, जो शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेंगी।

टॉवर की उपविधियाँ

1–यह उपविधियाँ जिला पंचायत हापुड़ के समस्त ग्राम्य क्षेत्र से दूर संचार तथा अन्य प्रकार के टॉवरों को नियंत्रित एवं विनियमित करने सम्बन्धी उपविधियॉ कहलायेंगी।

2–कोई भी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी/संस्था आदि जिला पंचायत की परिधि में निजी/किराये पर डीलरशिप अथवा दूरसंचार अथवा अन्य प्रकार के किसी टावर की स्थापना जिला पंचायत हापुड़ से अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं करेगा।

3–**इन उपविधियों के अर्न्तगत–**

(1) पंचायत का तात्पर्य जिला पंचायत हापुड़ से है।

(2) अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष जिला पंचायत हापुड़ से है।

(3) अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत हापुड़ से है।

(4) लाईसेंस अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत हापुड़ से है।

(5) जनपद का तात्पर्य जनपद हापुड़ से है ।

(6) ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य जनपद की समस्त नगर निगम, नगरपालिका परिषद, नोटीफाईड एरिया (नगर) नगर पंचायत, छावनी परिषद, के क्षेत्र को छोड़कर जनपद के ग्रामीण क्षेत्र से हैं ।

(7) भवन का तात्पर्य ग्राम्य क्षेत्र के आवासीय भवन व्यक्तिगत/संस्थागत भवन एवं औद्योगिक भवन आदि से है ।

4—किसी भी दूरसंचार टावर के स्थापित करने से कम से कम एक माह पूर्व अपना आवेदन.पत्र लाईसेंस हेतु सक्षम अधिकारी को उसके मानकों के अनुरूप टावर की ऊँचाई, चौडाई स्थान, प्लान सहित आदि आवेदन.पत्र में स्पष्ट करते हुए प्रस्तुत करना होगा ।

5—लाईसेंस अधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना स्थापित टॉवर को जब्त करने का अधिकार जिला पंचायत में सुरक्षित होगा ।

6—ग्रामीण क्षेत्र में पूर्व से स्थापित टावरों के निर्माण को विनियमित तथा नियंत्रित करने के सम्बन्ध में उपविधियों के प्रकाशन के दो माह के भीतर अपना आवेदन.पत्र मानकों के सहित लाईसेंस अधिकारी को प्रस्तुत करने पर स्वीकार किया जायेगा । नये टावर का निर्माण पंचायत से लाईसेंस प्राप्त करने के उपरांत ही किया जायेगा ।

7—कोई भी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी एवं संस्था को इस आशय का शपथ.पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उनके द्वारा स्थापित दूर संचार से पर्यावरण एवं जनसाधारण को कोई क्षति नहीं होगी ।

8—कोई भी दूर संचार टावर किसी पब्लिक भवन/निजि भवन की छत, सार्वजनिक मार्ग पर स्थापित नहीं किया जायेगा ।

9—टॉवरों की विद्युत आपूर्ति के लिए यदि आवश्यक हो तो कैनोपी युक्त जनरेटर का प्रयोग अनिवार्य होगा ।

10—प्रत्येक टावर के लिए लाईसेंस शुल्क रु0 50,000.00 (पचास हजार रुपया) प्रति वर्ष होगा, जिसकी अवधि प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु 01 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। आगामी वर्ष के लिए 31 मार्च से पूर्व नवीनीकरण कराना होगा। नवीनीकरण न करने पर 01 अप्रैल के बाद 50 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के साथ नवीनीकरण कराया जा सकता है। लाईसेंस शुल्क और नवीनीकरण शुल्क रु0 50,000.00 सम्पूर्ण वर्ष अथवा उसके किसी भाग के लिए समान होगा।

11—लाईसेंस शुल्क/नवीनीकरण शुल्क वसूली का कार्य ठेके पर भी दिया जा सकता है।

12—दूर संचार टावर के फर्म/कम्पनी संस्था के मालिक को जिसकी भूमि पर टावर स्थापित किया जा रहा है, भूमि/ स्थल स्वामी के अनुबंध की प्रमाणित प्रति एवं सहमति पत्र जिला पंचायत में जमा करना होगा ।

13—यदि किसी टावर के कारण कोई दुर्घटना होती है तो उसकी प्रतिपूर्ति सम्बन्धित फर्म/कम्पनी को करनी होगी ।

14—किसी भी आवेदन पत्र स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार लाईसेंस अधिकारी का होगा ।

15—किसी भी टावर में किसी भी प्रकार का परिवर्तन बिना लाईसेंस अधिकारी की पूर्व अनुमति के नहीं किया जायेगा ।

16—लाईसेंस अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध 30 दिन के भीतर अध्यक्ष जिला पंचायत के सम्मुख आवेदन कर अपील की जा सकती है। अध्यक्ष, जिला पंचायत का निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 240 में प्रदत्त अधिकारों के अर्न्तगत जिला पंचायत हापुड़ यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो रु0 1,000.00 तक होगा, और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, तो प्रथम दोष सिद्व के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्व हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 50.00 प्रतिदिन अर्थदण्ड हो सकेगा अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जो कि तीन माह तक हो सकेगा।

15 जून, 2021 ई0

सं0 909/23-25/2014-16–उ0प्र0 क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239 (2) के अर्न्तगत प्रदत्त अधिकरों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत हापुड़ ने जनपद के अधीन ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत विज्ञापन पट्ट, होर्डिंग्स, यूनीपोल, क्यास दीवार प्रचार आदि सामग्री को नियोजित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से पूर्व में प्रचलित उपविधियों में संशोधन सहित नवीन उपविधियां बनायी गयी हैं, जिसकी मैं, सुरेन्द्र सिंह, आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ, उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के अन्तर्गत पुष्टि करता हूं, जो शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेंगी।

उपविधियां

1–यह उपविधियॉ ग्रामीण क्षेत्र विज्ञापन पट, क्यास, दीवार प्रचार, प्रचार सामग्री आदि के कार्य को नियत्रिंत करने एवं विनियमन की उपविधियॉ कहलायेंगी।

2–यह उपविधियॉ मण्डलायुक्त द्वारा पुष्टि होने एवं तत्पश्चात् गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

3–**परिभाषाएं**–(अ) ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 यथा संशोधित 94 की धारा 2 (10) में यथा परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र है।

(ब) विज्ञापन पट्ट या यूनीपोल का तात्पर्य ऐसी होर्डिंग से है जो किसी लोहे के स्तम्भ के सहारे खड़ी की गयी या लगायी गई हो।

(स) क्यास का तात्पर्य ऐसे साइन बोर्ड से है जो किसी बिजली के खम्बे, टेलीफोन के खम्बे अथवा किसी दीवार या वृक्ष के सहारे लगाया हो।

(द) दीवार प्रचार का तात्पर्य ऐसी विज्ञापन सामग्री से है जो किसी दीवार पर चूना, खड़िया, गेरू आदि से लिखित, चित्रित एवं चिन्हित करके किया गया हो।

(य) अन्य प्रचार सामग्री का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी टीन, पम्पलेट या कपड़े में लिखित चित्रित एवं चिन्हित करके लगाया गया हो और किसी वाहन द्वारा प्रचार किया जाता हो।

(र) अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, हापुड़ से है।

(ल) अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, हापुड़ से है।

4–कोई भी व्यक्ति हापुड़ जनपद के ग्रामीण क्षेत्र में उपविधि की धारा 10 के अन्तर्गत निर्धारित लाइसेंस शुल्क जमा करके तथा विधिवत अनुमति प्राप्त करके ही विज्ञापन पट्ट/यूनीपोल, क्यास लगायेगा तथा दीवार प्रचार व अन्य प्रचार कार्य करेगा अन्यथा किसी भी दिशा में नहीं।

5–इन उपविधियों के अन्तर्गत मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी लाइसेंस अधिकारी होंगे या उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी भी लाइसेंस जारी कर सकते हैं।

6–लाइसेंस अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील आदेश की सूचना मिलने पर 15 दिन के अन्दर अध्यक्ष जिला पंचायत के समक्ष ही हो सकेगी और अध्यक्ष, जिला पंचायत का आदेश मानना दोनों पक्षों को बाध्यकारी होगा।

7–केवल उन्हीं विज्ञापन पटों/यूनीपोल, क्यास व दीवार प्रचार व अन्य प्रचार सामग्रियों को प्रदर्शित स्थापित एवं चित्रित करने की अनुमति दी जायेगी जो अश्लील न हो और किसी तरह समाज विरोधी न हो।

8–लाइसेंस/ठेका के इच्छुक व्यक्ति संख्या, फर्म, अथवा कम्पनी को विज्ञापन सामग्री का विवरण विज्ञापन पट/यूनीपोल, क्यास दीवार प्रचार तथा अन्य प्रचार सामग्री की साइज व किस-किस स्थान पर विज्ञापन प्रदर्शित करना है, को भी इंगित करते हुए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करना होगां। लाइसेंस अधिकारी स्वयं या अधिकृत रखा जायेगा कि उक्त विज्ञापन पट/यूनीपोल, क्यास, दीवार प्रचार तथा अन्य सामग्री किसी ऐसे स्थान पर न हो जिससे यातायात में बाधा उपस्थित हो और वाहन चालकों की असुविधा के कारण दुर्घटना सम्भव न हो,तदोपरान्त निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात् लाइसेन्स जारी करेगा।

9–लाइसेन्सिंग अधिकारी किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट/यूनीपोल, क्यास, दीवार प्रचार या अन्य प्रचार सामग्री को हटवा सकता है जो इन उपविधियों के अन्तर्गत उपयुक्त न पाये गये हों। लाइसेन्स अधिकारी को यह अधिकार होगा

कि ऐसे विज्ञापन पट्ट/यूनीपोल, क्यास, दीवार प्रचार व अन्य प्रचार सामग्री हटाने में जो व्यय आयेगा व सम्बन्धित व्यक्ति, फर्म संस्था, कम्पनी से राजस्व की भांति वसूल कर सकता है।

10–विज्ञापन पट्ट/यूनीपोल, क्यास, दीवार प्रचार व अन्य प्रचार सामग्री की शुल्क दरें निम्न प्रकार होंगीं–

पूर्व प्रचलित दरें एवं वर्तमान प्रस्तावित संशोधित दरों का विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	जनपद हापुड़ की ग्रामीण क्षेत्रों से गुजरने वाली समस्त सड़कें	विज्ञापन पट्ट/यूनीपोल की दरें		क्यास की दरें		दीवार प्रचार एवं अन्य प्रचार पम्पलेट चलित वाहनों द्वारा	
	नगरपालिका एवं टाउन एरिया व नगर निगम की सीमा को छोड़कर	पूर्व प्रभावी दरें प्रति फुट/प्रति वर्ष	वर्तमान/संशोधित प्रस्तावित दरें प्रति वर्ग फुट प्रति वर्ग	पूर्व प्रभावी दरें प्रति वर्ग फुट/प्रति वर्ष	वर्तमान/संशोधित प्रस्तावित दरें प्रति वर्ग फुट/ प्रति वर्ग	पूर्व प्रभावी दरें प्रति वर्ग फुट/प्रति वर्ष	वर्तमान/संशोधित प्रस्तावित दरें, प्रति वर्ग फुट/प्रति वर्ग
1	2	3	4	5	6	7	8
		रु0	रु0	रु0	रु0	रु0	रु0
1	हापुड़-गढ-बृजघाट मार्ग	50.00	100.00	50.00	100.00	150.00	300.00
2	हापुड-मेरठ मार्ग	35.00	100.00	35.00	100.00	100.00	200.00
3	हापुड़-बुलन्दशहर मार्ग	35.00	100.00	35.00	100.00	150.00	300.00
4	हापुड़-मसूरी मार्ग	50.00	100.00	50.00	100.00	150.00	300.00
5	पिलखुआ-धौलाना मार्ग	50.00	100.00	50.00	100.00	150.00	300.00
6	मसूरी- धौलाना-गुलावठी मार्ग	50.00	100.00	50.00	100.00	150.00	300.00
7	गढ- स्याना मार्ग	50.00	100.00	50.00	100.00	150.00	300.00
8	हापुड़-किठोर मार्ग	50.00	100.00	50.00	100.00	100.00	200.00
9	गढ़-मेरठ मार्ग	50.00	100.00	50.00	100.00	150.00	300.00
10	कुचेसर चौपला-स्याना मार्ग	50.00	100.00	50.00	100.00	150.00	300.00
11	सिम्भावली से लोदी पुर (ढाना) मार्ग	50.00	100.00	50.00	100.00	100.00	200.00
12	अन्य आदि मार्ग जनपद हापुड़ के	50.00	100.00	50.00	100.00	100.00	200.00

11–अस्थायी टूरिंग टाकीज तथा सर्कस प्रदर्शन के लिए विज्ञापन पट्ट, क्यास, दीवार प्रचार तथा अन्य प्रचार सामग्री की धारा-1 में वर्णित दरों को एक चौथाई होगी।

12–धारा-10 के अन्तर्गत निर्धारित दरों का परिवर्तन/परिवर्तन, भले ही प्रदर्शन की अवधि तीन माह से कम हो। धन जिला पंचायत में विशेष प्रस्ताव से किया जा सकता है।

13–केन्द्र सरकार की नीतियों/कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु सरकारी विभागों द्वारा लगाये गये विज्ञापन पट्ट/यूनीपोल, क्यास, दीवार प्रचार व अन्य प्रचार सामग्री इन उपविधियों के अन्तर्गत स्वतः लाईसेंस मुक्त होंगी।

14–भारत सरकार व उत्तर प्रदेश के किन्हीं अधिनियमों नियमावली अथवा शासनादेश में विज्ञापन/यूनीपोल क्यास, दीवार प्रचार तथा अन्य प्रचार सामग्री के सम्बन्ध में जारी दिशा निर्देश यथावत लागू माने जायेंगे।

15–भारत निर्वाचन आयोग अथवा राज्य निर्वाचन आयोग के अधीन नियन्त्रण एवं निर्देशन में सम्पन्न होने वाले चुनाव से सम्बन्धित प्रचार सामग्रियों इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेंस व्यवस्था से मुक्त समझी जायेंगी। शर्त यह है कि उपरोक्त से सम्बन्धित निर्वाचन आयोग द्वारा अन्यथा दिशा निर्देशन जारी किये गये हों।

16–इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेंस/ठेका की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च होगी। लाइसेंस /ठेका की समयावधि के सम्बन्ध में नीलाम समिति द्वारा लिया गया निर्णय भी मान्य होगा।

17–गत वर्ष के लाइसेंस/ठेका की धनराशि में 25 प्रतिशत बढ़ाकर आगामी 30 अप्रैल तक उपविधि की धारा 10 में निर्धारित शुल्क जमा करके वार्षिक नवीनीकरण किया जा सकेगा। यदि लाइसेन्स धारी 30 अप्रैल तक अपना लाइसेंस/ठेका नवीनीकरण नहीं कराता है, तो प्रति तिमाही शुल्क का 25 प्रतिशत अतिरिक्त विलम्ब शुल्क देने पर नवीनीकरण किया जा सकेगा।

दण्ड

जिला पंचायत हापुड़ उ0प्र0 क्षेंत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है, कोई भी व्यक्ति, कम्पनी,पार्टनरशिप, फर्म या संस्था इन उपविधियों को या उपविधि के अंश का उल्लंघन करेगा/करेगी, वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो रु0 1,000.00 (रु0 एक हजार) तक हो सकेगा और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिवस के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 50.00 (रु0 पचास) तक हो सकेगा, अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन मास तक का हो सकेगा।

30 जून, 2021 ई0

सं0 950/23.21/2014.16–उ0प्र0 क्षेत्र समिति तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत हापुड़ ने जनपद की सीमान्तर्गत स्थित कारखानों, व्यवसाइयों, दुकानात, संस्थाओं/कालिजों आदि को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से पूर्व में प्रचलित उपविधियों में संशोधन सहित नवीन उपविधियां बनायी गयी हैं, जिसकी मैं,सुरेन्द्र सिंह, आयुक्त मेरठ मण्डल, मेरठ उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के अन्तर्गत पुष्टि करता हूं, जो शासकीय गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

उपविधियाँ

कारखानों, व्यवसायों, दुकानों, संस्थाओं, कालेजों आदि

1–ये उपविधियाँ कारखाना, व्यवसाय, दुकानात, संस्थाएं, कालिज एवं संग्रह केन्द्र आदि उपविधियाँ कहलायेंगी।

2–ये उपविधियाँ जनपद के समस्त ग्रामीण क्षेत्र पर प्रभावी होंगी, ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 2 (1) के अनुसार होगी।

3–ये उपविधियाँ सभी वर्तमान एवं आगामी समय में स्थापित एवं संचालित होने वाले सभी कारखानों, व्यवसाय, दुकानात, संग्रह केन्द्रों एवं संस्थानों तथा कालिज आदि पर प्रभावी होंगी तथा उन्हें नियन्त्रित एवं विनियमित करेंगी।

4–इन उपविधियों के प्रभावी होने के दिनांक से इस विषय से सम्बन्धित पूर्व प्रचलित उपविधियां उक्त सीमा तक संशोधित हो जायेंगी। ये उपविधियाँ शासकीय गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

5–शक्ति का अर्थ कारखाना अधिनियम 1948 (यथा संशोधित) में दी गई परिभाषा के अनुसार होगा।

6–"औषधि भेषज" का वहीं अर्थ होगा जो ड्रग्स अधिनियम, 1940 की धारा 3-बी में औषधि भेषज का है।

7–"विषद भेषज से तात्पर्य उस भेषज से है जिसकी ड्रग्स अधिनियम, 1940 (यथा संशोधित) के अधीन वैसा घोषित किया गया है।

8–"पेट्रोलियम पदार्थ" का तात्पर्य वही होगा जो पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 यथा संशोधित के अनुसार है।

9–"चीनी मिल" का वही अर्थ होगा जो उ0प्र0 चीनी नियन्त्रण अधिनियम, 1933 की धारा 3 के क्रमशः खण्ड जे0वी0 में परिभाषित है।

10–"कारखाना" का अर्थ ऐसे अहाता अथवा तत्सम्बन्धी उसकी पूरी सीमाओं की भूमि एवं भवन से है जिसके किसी भाग में किसी वस्तु को उत्पादन क्रिया में साधरणतया शक्ति का प्रयोग किया जाता है।

11–व्यवसाय दुकानात का तात्पर्य ऐसे विक्रय केन्द्रों से है जो ऐसे स्थान दुकान आहता व तत्सम्बन्धी उसकी पूरी सीमाओं तक की भूमि एवं भवन से है जिसके किसी भाग में किसी वस्तु का क्रय विक्रय किया जाता हो।

12–सग्रह केन्द्रों का अर्थ ऐसे अहाते भवन एवं भूमि व तत्सम्बन्धी उनकी पूरी सीमाओं की भूमि से है जिसके किसी भाग में किसी वस्तु का संग्रह किया सम्बन्धी रीति से साधारणतया किया जाता है।

13–संस्थाओं का तात्पर्य ऐसे भवन तथा उसकी तत्सम्बन्धी भूमि से है जिसके किसी भाग का व्यावसायिक रूप में प्रयोग किया जाता है।

14–कोई भी व्यक्ति ,कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या अन्य संस्था आदि जनपद हापुड़ के ग्रामीण क्षेत्र में कारखाना, व्यवसाय, दुकानात, संग्रह केन्द्र व संस्थाओं कालिज आदि की स्थापना एवं संचालन तब तक नहीं करेगा जब तक उनके द्वारा जिला पंचायत हापुड़ से अनुज्ञा-पत्र प्राप्त न कर लिया हो।

15–इन उपविधियों के प्रयोजन हेतु अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत हापुड़ लाइसेंस अधिकारी होंगे, उनको अधिकार होगा कि वह यह कार्य कार्य अधिकारी को सौप सकते हैं।

16–स्वामी का अर्थ मालिक, भागीदार, निदेशक एवं प्रबन्धक तथा उस व्यक्ति से है जो कारखाना, व्यवसाय, दुकानात, संग्रह केन्द्र, कालिज व संस्थाओं आदि की देख रेख कर रहा हों।

17–लाइसेंस अधिकारी को अधिकार होगा कि वह इन उपविधियों के अन्तर्गत किसी भी धारा का ऑशिक या पूर्ण उल्लंघन करने की दशा में अनुज्ञा-पत्र निलम्बित अथवा निरस्त कर दें।

18–लाइसेंस अधिकारी के आदेश के विरुद्ध 15 दिनों के अन्दर अध्यक्ष, जिला पंचायत हापुड़ को अपील की जा सकेगी, अध्यक्ष, जिला पंचायत हापुड़ का निर्णय अन्तिम होगा।

19–लाइसेंस की अवधि 1 अप्रैल से आगामी 31 मार्च तक होगी। यदि अनुज्ञा-पत्र कालावधि में जारी किया गया है, तो भी उसकी अवधि आगामी 31 मार्च को समाप्त हो जायेगी।

20–अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र का स्वरूप पत्र कार्यालय रु0 25.00 मूल्य पर प्राप्त किया जा सकता है।

21–कारखाना, व्यवसाय, दुकानात, संग्रह केन्द्र एवं संस्थाओं व कालिज आदि के प्रारम्भिक कार्य करने के एक माह पूर्व आवेदन-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। नवीनीकरण की दशा में अनुज्ञा-पत्र की तिथि समाप्त होने के कम से कम 15 दिन पूर्व आगामी वर्ष हेतु अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होगा।

22–1 अप्रैल से 30 जून तक अनुज्ञा-पत्र का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा इसके उपरान्त 1 जुलाई से 30 सितम्बर तक निर्धारित लाइसेन्स शुल्क 50 प्रतिशत विलम्ब शुल्क देय होगा, इसके उपरान्त अनुज्ञा-पत्र प्राप्त न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध न्यायालय में धारा 240 के अन्तर्गत चालान की कार्यवाही की जायेगी।

23–कारखाना, व्यवसाय, दुकानात, संग्रह केन्द्रों कालिज एवं संस्थाओं आदि की इकाई के मालिक/स्वामी यदि लाइसेंस अधिकारी के आदेश/निर्देशों का पालन न करें तो उनके विरुद्ध सी0 आर0 पी0 सी0 की धारा 133 के अधीन कार्यवाही जिला प्रशासन के द्वारा की जायेगी।

24–कारखाना, व्यवसाय, दुकानात, संग्रह केन्द्र कालिज व संस्थाओं आदि के स्थल का निरीक्षण शासन के स्वास्थ्य विभाग के जिले में तैनात स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला पंचायत हापुड़ के अपर मुख्य अधिकारी, कार्य

अधिकारी, कर अधिकारी या जिला पंचायत हापुड़ के किसी भी अधिकृत कर्मचारी द्वारा किया जायेगा तथा मालिक/स्वामी उक्त अधिकारियों का निरीक्षण की पूरी-पूरी सुविधा देंगे।

25—कोई व्यक्ति, फर्म, कम्पनी आदि कोई ऐसी सूचना नहीं देंगे जो असत्य हो तथा इन उपविधियों से सम्बन्धित सूचना अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी या जिला पंचायत हापुड़ का कोई कर्मचारी जिसकी नियुक्ति उक्त कार्य के लिए की गई हो तो मॉगे तो इन्कार नहीं करेगा।

26—18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति तथा संक्रामक या घृणात्मक रोगी को कार्य करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

27—जिला पंचायत हापुड़ के सन्तोषानुकूल सम्बन्धित इकाई को सभी समय स्वास्थ्यप्रद ठीक-ठाक मरम्मत रखनी होगी।

28—कारखानों की चिमनी पड़ोस की सबसे ऊॅची इमारत से 15 फिट से कम ऊॅचाई की नहीं होनी चाहिए।

29—कारखानों में शोरगुल रोकने हेतु ध्वनि निरोधक यन्त्र लगाने होंगे।

30—कारखाने से निकलने वाले प्रदूषित पानी अथवा किसी गन्दे क्षोभकर अथवा हानि पदार्थ के किसी नदी तालाब या जल सम्भरण के अन्य स्रोत या उसके किसी ऐसे निर्दिष्ट भाग में जिसका पानी पीने या स्नान करने के प्रयोजनों के उपयोग में लगाया जाता हो नहीं डाला जायेगा। कारखाना स्वामी को प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा प्रमाणित ऐसे यन्त्र लगाने अनिवार्य होंगे जिसके स्वच्छ एवं स्वास्थ्यप्रद पानी कारखाने के बाहर निकले तथा पानी निकासी हेतु पक्की नालियां बनानी होंगी।

31—औषधि भेषजों को रखने उनके विक्रय करने एवं औषधि योजना विनियमन तत्समय संशोधित अधिनियमों के उपबन्धों के अधीन होंगे तथा नियत अवधि समाप्त होने के पश्चात् उनका विक्रय नहीं किया जायेगा।

32—यदि कोई औषधि भेषज पदार्थ अनुपयुक्त हो तो लाइसेंस अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी उसका अधिग्रहण कर सकता है या उसको नष्ट करवा सकता है ताकि विक्री के लिए प्रर्दशित या उपयोग में न लाया जा सके।

33—यदि समुचित रूप से सन्देह हो जाये कि किसी भेषज में अपमिश्रण किया गया है अथवा नियत अवधि समाप्त हो जाने अथवा जलवायु के प्रभाव के कारण अस्वास्थ्यकर हो गया है तो लाइसेंस अधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी, कर्मचारी उसके लिए एक रसीद देकर हटा सकता है और उसके मजिस्ट्रेट के सम्मुख प्रस्तुत कर सकता है। यदि मजिस्ट्रेट को यह सुनिश्चित हो जाये कि भेषज अस्वस्थ्यकर हो गया तो वह उसको नष्ट करने का आदेश दे सकता है और यह प्रकट हो जाये कि उसने कोई अपराध किया गया है तो वह उसकी एफ0आई0आर0 दर्ज करने की कार्यवाही कर सकता है।

34—बिक्री के लिए वस्तुओं की सफाई का आवश्यक प्रबन्ध किया जायेगा।

35—पेट्रोलियम, डीजल के संग्रह टैंकों का पूरा पक्का फर्श करवाना होगा।

36—इन उपविधियों की धारा 31, 32, 33 की कार्यवाही तब तक सम्पादित नहीं की जायेगी जब तक कि लाइसेंस अधिकारी द्वारा अनुज्ञा-पत्र जारी न कर दिया गया हो।

37—इन उपविधियों की एक प्रति लाइसेंसधारी को निशुल्क दी जायेगी। जिसे वह कारखाना व्यवसाय, दुकानात, संग्रह केन्द्र, कालिज व संस्था के प्रमुख भाग पर लगाकर प्रदर्शित करेगा।

38—कारखाना, व्यवसाय, दुकानात, संग्रह केन्द्र कालिज व संस्थाओं आदि के स्वामी को एक निरीक्षण पंजिका रखनी अनिवार्य होगी, जो क्षेत्रीय कर निरीक्षक से अभिप्रमाणित होगी तथा निरीक्षण के समय अधिकारियों, कर्मचारियों के मॉगने पर उक्त पंजिका प्रस्तुत करनी होगी, जिससे निरीक्षण कर्ता अपनी निरीक्षण टीप उक्त पंजिका पर अंकित कर सकें एवं अनुज्ञा-पत्र नवीनीकरण के समय लाइसेंस अधिकारी निरीक्षण टीपों का भली-भॉति अध्ययनोपरान्त ही नवीनीकरण सम्बन्धी कार्यवाही करेगा।

39–विक्रय केन्द्रों पर मूल्य सूची एवं स्टाक सूची को बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा उक्त बोर्ड का परिमाप 1 मीटर लम्बाई 1/2 मीटर चौड़ाई से कम नहीं होगा।

40–कारखाना, संग्रह केन्द्रों, कालिज व संस्थाओं आदि पर शौचालय की आवश्कतानुसार व्यवस्था करनी होगी।

41–इन उपविधियों के अन्तर्गत निर्धारित लाइसेंस शुल्क की देनदारी यदि किसी व्यक्ति पर किसी वर्ष या पूर्व गामी वर्षों का देय है तो उसकी वसूली अधिनियम के चैप्टर 8 की धारा 147 से लेकर धारा 160 के प्राविधानानुसार यथास्थिति की जायेगी।

42–विक्रय केन्द्रों पर वाट एवं माप विभाग के प्रमाणित माप-तोल के उपकरण रखने होंगे।

43–कूड़े तथा खाद के गड्डे के 50 मीटर के अन्दर कोई भी व्यवसाय दुकान आदि नहीं खोली जायेगी।

44–जिला पंचायत हापुड़, जनपद हापुड़ के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित कारखानों, व्यवसाय, दुकानों, संग्रह केन्द्रों कालिजों व संस्थाओं आदि के लिए निम्नलिखित सुविधायें मुहैया करायेगी।

1–जिला पंचायत हापुड़ के अभियन्ता, अवर अभियन्ता की तकनीकी सेंवाएं निःशुल्क प्रदान की जायेगी।

2–जिला पंचायत हापुड़ की सड़क के समीप स्थापित कारखाना, व्यवसाय, दुकानात, संग्रह केन्द्रों, कालिज संस्थाओं आदि को ध्यान में रखते हुए उक्त सड़क की मरम्मत को वरीयता दी जायेगी।

45–कारखानों, व्यवसाय दुकानों संग्रह केन्द्रों, कालिजों एवं संस्थाओं आदि को अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने हेतु निम्नानुसार प्रति वर्ष लाइसेंस शुल्क /नवीनीकरण शुल्क देय होगा।

क्रमांक	मद का नाम	पूर्व प्रभावी दरें	प्रस्तावित दरें
1	2	3	4
		रु0	रु0
1	चीनी मिल	50,000.00	1,00,000.00
2	क्रेशर हाईड्रालिक सल्फीटेशन	3,500.00	5,000.00
3	क्रेशर नान हाईड्रोलिक सल्फीटेशन	3,500.00	5,000.00
4	क्रेशर नान हाईड्रोलिक नान सल्फीटेशन	2,000.00	3,000.00
5	शक्ति चालित गन्ने पेरने का कोल्हू	300.00	1,000.00
6	शक्ति चालित केन्द्रापग (खाण्ड मशीन)	700.00	1,000.00
7	आटा चक्की	150.00	500.00
8	धान कूटने की मशीन	200.00	500.00
9	धान कूटने का मिनी सेलर	1,000.00	2,000.00
10	रुई अथवा ऊन धुनने की मशीन	100.00	200.00
11	वर्मा मशीन	300.00	500.00
12	बैल्डिंग मशीन	300.00	500.00
13	सेपर मशीन	300.00	500.00
14	हवा मशीन	250.00	400.00
15	रसायन मशीन	250.00	500.00
16	धान निकालने का मिनी मिल	5,000.00	10,000.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
17	धान निकालने का राईस मिल (बड़ा मिल)	15,000.00	1,00,000.00
18	एक्सपेलर	500.00	1,000.00
19	आरा मशीन	1,500.00	5,000.00
20	खराद मशीन	1,000.00	1,500.00
21	पावर लूम प्रत्येक	1,000.00	2,000.00
22	रेशम व कपड़े बनाने का कारखाना	4,000.00	15,000.00
23	सरिया बनाने का कारखाना	10,000.00	1,00,000.00
24	लोहा बनाने का कारखाना (प्रत्येक भट्टी)	5,000.00	10,000.00
25	बर्फ बनाने का कारखाना (200 सिल्ली तक)	2,500.00	3,000.00
26	बर्फ बनाने का कारखाना (उपरोक्त से अधिक)	4,000.00	5,000.00
27	आइसक्रीम बनाने का कारखाना	500.00	2,000.00
28	गत्ता बनाने का कारखाना (बड़ा)	7,000.00	25,000.00
29	गत्ता बनाने का कारखाना (छोटा)	2,000.00	4,000.00
30	पेपर कोन का कारखाना	4,000.00	6,000.00
31	पेपर रोल बनाने का कारखाना	7,000.00	10,000.00
32	कागज बनाने का कारखाना (10 टन क्षमता तक)	10,000.00	20,000.00
33	कागज बनाने का कारखाना (10 टन से अधिक 20 टन तक)	15,000.00	30,000.00
34	कागज बनाने का कारखाना (20 टन से अधिक 30 टन क्षमता तक)	30,000.00	50,000.00
35	कागज बनाने का कारखाना (30 टन क्षमता तक)	50,000.00	1,00,000.00
36	दूध का पाउडर या दूध से अन्य पदार्थ बनाने का कारखाना	10,000.00	30,000.00
37	चिलिंग प्लान्ट	7,000.00	10,000.00
38	स्टील आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना (3"मोटाई तक)	20,000.00	50,000.00
39	स्टील आयरन आदि से पाइप बनाने का कारखाना(3"मोटाई अधिक)	50,000.00	1,00,000.00
40	मशीन या यन्त्र बनाने का कारखाना	4,000.00	7,000.00
41	फल सब्जियॉ एवं खाद्य पदार्थ सुरक्षित रखने का कारखाना (कोल्ड स्टोरेज 50 हजार बैग तक)	7,000.00	15,000.00
42	फल सब्जियॉ एवं खाद्य पदार्थ बनाने का कारखाना (50 हजार से अधिक बैग)	10,000.00	25,000.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
43	पिक्चर टयूव बनाने का कारखाना	5,000.00	10,000.00
44	हाटमिक्स प्लान्ट	7,000.00	10,000.00
45	रबड़ की वस्तुएं बनाने का कारखाना	1,500.00	4,000.00
46	चीनी मिट्टी के वर्तन या टाइल्स बनाने का छोटा कारखाना	1,500.00	5,000.00
47	चीनी मिट्टी के वर्तन या टाइल्स बनाने का बड़ा कारखाना	5,000.00	10,000.00
48	मशाले की ईंट आदि बनाने का कारखाना सिरेमिक्स	7,000.00	10,000.00
49	पीतल, एल्यूमिनियम, स्टील, शीशा तॉबा व टीन से वस्तुएं बनाना	3,000.00	5,000.00
50	वनस्पति/देशी घी या रिफाइन्ड बनाने का कारखाना	10,000.00	50,000.00
51	शराब, स्प्रिट या एल्कोहल बनाने का कारखाना	50,000.00	1,00,000.00
52	कृषि सम्बन्धी यन्त्र बनाने का कारखाना	3,500.00	5,000.00
53	फर्टीलाइजर या कीटनाशक दवाई बनाने का कारखाना	7,000.00	15,000.00
54	खाण्डसारी उद्योग के यन्त्र बनाने का कारखाना	4,000.00	7,000.00
55	प्लास्टिक का दाना, फिल्म या बैग बनाने का कारखाना	3,000.00	6,000.00
56	प्लास्टिक के पाइप, टैंक आदि बनाने का कारखाना	5,000.00	10,000.00
57	बिजली के सामान बनाने का कारखाना	3,000.00	7,000.00
58	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना (छोटा)	1,500.00	3,000.00
59	कपड़ा, कम्बल आदि की रंगाई/छपाई या फिनिशिंग का कारखाना	7,000.00	15,000.00
60	सीमेंन्ट बनाने का कारखाना	7,000.00	15,000.00
61	फ्लोर मिल मिनी	5,000.00	7,000.00
62	फ्लोर मिल बड़ा	7,000.00	20,000.00
63	दाल मिल	3,000.00	5,000.00
64	रिईनफोर्स्ड, सीमेंट व कंक्रीट आदि से ह्यूम पाइप बनाने का कारखाना	8,000.00	15,000.00
65	टेलीविजन बनाने का कारखाना	5,000.00	10,000.00
66	माचिस बनाने का कारखाना	4,000.00	6,000.00
67	बटन बनाने का कारखाना	4,000.00	5,000.00
68	मोमबत्ती बनाने का कारखाना	3,000.00	5,000.00
69	विनियर एन्ड शॉ मिल	5,000.00	10,000.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
70	पेय पदार्थ बनाने का कारखाना	50,000.00	1,00,000.00
71	कोयले की राख से बाई प्रोडक्टसर टिक्ली बनाने का कारखाना	600.00	1,000.00
72	गंधक या कल्मी शोरा बनाने का कारखाना	800.00	2,000.00
73	मिनरल वाटर बनाने का कारखाना	7,000.00	10,000.00
74	शाकिट बनाने का कारखाना	4,000.00	5,000.00
75	प्लाईबुड या माईका बनाने का कारखाना	5,000.00	. .
76	दवाई बनाने का कारखाना	5,000.00	15,000.00
77	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना (छोटा)	1,500.00	3,000.00
78	गत्ते के डिब्बे बनाने का कारखाना (बड़ा)	5,000.00	10,000.00
79	लैमिनेशन का कारखाना	3,500.00	7,000.00
80	फिटकरी बनाने का कारखाना	7,000.00	10,000.00
81	दूध पैकेजिंग का कारखाना	5,000.00	10,000.00
82	कैमिकल्स बनाने का कारखाना	7,000.00	10,000.00
83	डवल रोटी या विस्कुट बनाने का कारखाना	4,000.00	5,000.00
84	गैस/चूल्हा आदि के पार्ट्स बनाने का कारखाना	4,000.00	10,000.00
85	गैस के सिलेन्डर बनाने का कारखाना	7,000.00	15,000.00
86	बेल्डिंग राड्स बनाने का कारखाना	5,000.00	10,000.00
87	पीतल की राड्स बनाने का कारखाना	5,000.00	10,000.00
88	ढलाई करने का कारखाना	5,000.00	10,000.00
89	स्टील, अलमारी, मेज आदि बनाने का कारखाना	5,000.00	10,000.00
90	पशु आहार बनाने का कारखाना	4,000.00	6,000.00
91	धागा बनाने का कारखाना	4,000.00	10,000.00
92	धागा डवलिंग का कारखाना	7,000.00	10,000.00
93	दरी कालीन आदि बनाने का कारखाना	7,000.00	15,000.00
94	साबुन बनाने का कारखाना	1,500.00	3,000.00
95	डिटरजैंट पाउडर/टिक्की बनाने का कारखाना	5,000.00	10,000.00
96	पट्टा बनाने का कारखाना	2,500.00	5,000.00
97	कमानी पट्टा बनाने का कारखाना	5,000.00	7,000.00
98	रबड़ के ट्यूब-टायर बनाने का कारखाना	15,000.00	25,000.00
99	टायर रिट्रेडिंग	4,000.00	6,000.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
100	तिरपाल बनाने का कारखाना	10,000.00	25,000.00
101	आतिश/पटाखे आदि सामान बनाने का कारखाना	10,000.00	15,000.00
102	ग्रीश, मोबिल आयल, काला तेल आदि बनाने का कारखाना	4,000.00	5,000.000
103	चार पहिया बनाने का कारखाना	50,000.00	1,00,000.00
104	दो पहिया बनाने का कारखाना	25,000.00	1,00,000.00
105	तार बनाने का कारखाना	7,000.00	15,000.00
106	तार की जाली बनाने का कारखाना	2,500.00	4,000.00
107	लालटेन बनाने का कारखाना	4,000.00	5,000.00
108	रेगमाल बनाने का कारखाना	4,000.00	5,000.00
109	बैट्री बनाने का कारखाना	4,000.00	5,000.00
110	पंखा या कूलर बनाने का कारखाना	4,000.00	5,000.00
111	रंग बनाने का कारखाना	5,000.00	7,000.00
112	गम,टेप बनाने का कारखाना	4,000.00	5,000.00
113	ऑटो मोटर्स बनाने का कारखाना	5,000.00	10,000.00
114	निकिल पोलिस (प्लेटिंग) बनाने का कारखाना	4,000.00	6,000.00
115	रॉगा बनाने का कारखाना	4,000.00	5,000.00
116	गैस चूल्हा या उसके पार्ट्स बनाने का कारखाना	5,000.00	7,000.00
117	हड्डी मिल	20,000.00	30,000.00
118	सरेश मिल	5,000.00	6,000.00
119	पेट्रोल पम्प	4,000.00	10,000.00
120	डीजल पम्प	4,000.00	10,000.00
121	गैस वाटलिंग प्लॉट	50,000.00	1,00,000.00
122	सादा या काला नमक बनाने का कारखाना	1,500.00	2,000.00
123	प्रिंटिंग प्रेस या आफसेट प्रेस	2,000.00	2,500.00
124	सिनेमा हाल	4,000.00	5,000.00
125	वीडियो सिनेमा हाल	2,500.00	3,000.00
126	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कारखाना (कुटीर उद्योग)	3,000.00	5,000.00
127	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कारखाना (लघु उद्योग)	5,000.00	10,000.00
128	उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कारखाना (वृहत उद्योग)	15,000.00	1,00,000.00
129	इन्टर मीडियेट कालिज	7,000.00	25,000.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
130	जूनियर हाई स्कूल	7,000.00	10,000.00
131	हाई स्कूल	7,000.00	15,000.00
132	आई0टी0 आई0 कालिज	7,000.00	1,5000.00
133	प्राइवेट संस्थाओं मैनेजमेंट कालेज आदि	7,000.00	1,00,000.00
134	अन्य वर्गीकरण व्यवसाय/गोदाम/जूनियर हाई स्कूल/हाई स्कूल	7,000.00	10,000.00
135	टीन के बक्से, सन्दूक, सैफ, आदि मरम्मत की दुकान	600.00	1,000.00
136	इमारती लकड़ी की सामान की दुकान	500.00	1,000.00
137	सीमेंट या खाद की दुकान	1,000.00	1,500.00
138	देशी व अंग्रेजी शराब की दुकान	5,000.00	10,000.00
139	वीयर की दुकान	5,000.00	10,000.00
140	कपड़े की दुकान	400.00	1,000.00
141	परचून की दुकान	200.00	400.00
142	किराना की दुकान	400.00	800.00
143	वर्तनों की दुकान	400.00	800.00
144	हलवाई, मिठाई, खाण्ड बतासे की दुकान	500.00	1,000.00
145	विसातखाना की दुकान	400.00	700.00
146	चाय, पान, बीड़ी की दुकान	100.00	200.00
147	ढाबा रोटी बनाने की दुकान	400.00	100.00
148	होटल एवं रेस्टोरेंट आदि	500.00	1,000.00
149	बेकरी	600.00	1,500.00
150	ठण्डे पेय की दुकान	400.00	800.00
151	हेयर कटिंग की दुकान	250.00	500.00
152	ब्यूटी पार्लर	400.00	1,000.00
153	पुस्तक स्टेशनरी आदि की दुकान	400.00	1,000.00
154	दवाई की दुकान मेडीकल स्टोर	400.00	800.00
155	हकीम, वैद्य, डाक्टर की दुकान	400.00	1,000.00
156	नर्सिंग होम या प्रसूति गृह	500.00	1,500.00
157	जूते की दुकान	300.00	1,000.00
158	आढ़त की दुकान	500.00	1,000.00
159	अनाज, खल चूरी की दुकान	400.00	800.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
160	अनाज, खल चूरी दाने की दुकान (10 कुन्तल सामान से अधिक	500.00	1,000.00
161	अण्डा आदि बेचने की दुकान	400.00	800.00
162	स्वर्णकार की दुकान	500.00	1,000.00
163	कृषि सम्बन्धी मशीनरी की दुकान	400.00	1,000.00
164	साइकिल स्टोर/मरम्मत की दुकान	250.00	500.00
165	मशीनरी, मिट्टी तेल या चिकनाई की दुकान	400.00	700.00
166	फोटोग्राफर/फोटो स्टूडियो की दुकान	400.00	800.00
167	कीटनाशक दवाईयों की दुकान	400.00	1,000.00
168	नल, ट्यूवेल आदि के बोरिंग की दुकान	400.00	800.00
169	ईंजन, टैक्टर मशीनरी आदि मरम्मत की दुकान	400.00	1,000.00
170	चटाई मुड्डे आदि बनाने व बेचना	500.00	800.00
171	बीज की दुकान	400.00	1,000.00
172	कोयले का डिपो	800.00	2,000.00
173	टेन्ट, क्राकरी आदि की दुकान	500.00	1,000.00
174	फर्नीचर की दुकान	500.00	1,000.00
175	बैन्ड बाजा की दुकान	300.00	600.00
176	खड्डी (हस्तचालित)	400.00	700.00
177	सर्विस स्टेशन या वर्कशाप	1,000.00	2,000.00
178	घड़ी या रेडियो की दुकान	400.00	800.00
179	टेलीविजन बेचने की दुकान	800.00	2,000.00
180	टेलीविजन आदि मरम्मत की दुकान	300.00	1,000.00
181	लोहे की कतरन प्लास्टिक अादि भंडारण का कार्य	500.00	1,500.00
182	फल सब्जी आदि बेचने की दुकान	400.00	500.00
183	कपड़ा सिलाई की दुकान	400.00	500.00
184	घी या तेल की दुकान	400.00	1,000.00
185	तेल का पेटी डीलर	500.00	1,000.00
186	लकड़ी की टाल	400.00	1,000.00
187	रेडीमेड गारमेन्ट्स की दुकान	800.00	1,200.00
188	बॉस-बल्ली, रेत रोड़ी, बदरपुर आदि की दुकान	500.00	1,000.00
189	सस्ते गल्ले की दुकान	400.00	1,000.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
190	बिजली मोटर पंखे वल्व तार आदि सामान की दुकान	400.00	1,000.00
191	इमारती लोहे की दुकान(छोटी)	400.00	1,000.00
192	इमारती लोहे की दुकान(बड़ी)	2,000.00	3,000.00
193	गैस, चूल्हा, पैट्रोमैक्स, स्टोव आदि बेचने मरम्मत का कार्य	500.00	1,000.00
194	चूड़ियों की दुकान	400.00	1,000.00
195	चश्मों की दुकान	300.00	500.00
196	दूध कार्य (मिल्क वेंडर)	300.00	1,000.00
197	दूध की डेरी (छोटी)	400.00	1,500.00
198	दूध की डेरी (बड़ी)	1,000.00	3,000.00
199	मावा बनाने का कार्य करना	1,000.00	2,000.00
200	क्रीम निकालना	500.00	1,000.00
201	कमीशन ऐजेंट या ट्रासपोर्ट एजेन्ट	1,500.00	2,500.00
202	गैस सर्विस या गैस गोदाम	4,000.00	10,000.00
203	फर्सी कॉटा या धर्मकॉटा	400.00	2,000.00
204	स्कूटर मोटर साईकिल मोपेड एजेसी	2,000.00	4,000.00
205	कार, टैक्टर, थ्री व्हीलर एजेंसी	3,000.00	7,000.00
206	बस ट्रक आदि की बाडी बनाना	1,000.00	3,000.00
207	लोहे की जाली गेट आदि बनाना	500.00	1,000.00
208	अफीम, गॉजा, भॉग, ताड़ी डोडे, पोस्त की दुकान	500.00	2,000.00
209	बैकेंट हाल या लोजिंग हाल	3,000.00	10,000.00
210	भूसा या चारे की टाल	500.00	700.00
211	शरीर संवर्धन केन्द्र	500.00	1,000.00
212	सार्वजनिक नर्सरी	500.00	3,000.00
213	मुर्गी फार्म	500.00	1,000.00
214	सीमेंट कंक्रीट की जाली पिलर आदि बनाना	500.00	1,000.00
215	दूध से पनीर बनाना	500.00	1,000.00
216	पटाखा या आतिशबाजी बेचने की दुकान	1,500.00	2,000
217	उपरोक्त के अतिरिक्त कोई व्यवसाय या दुकान (छोटी)	400.00	800
218	उपरोक्त के अतिरिक्त कोई व्यवसाय या दुकान (बड़ी)	1,000.00	2,500
219	मुर्गा मुर्गी दाना बनाने का कारखाना	—	3,000.00
220	पेट्रोल पम्प का टैंक बनाने का कारखाना	—	10,000.00

1	2	3	4
		रु0	रु0
221	रेडीमेड गारमेंट बनाने का कारखाना	—	15,000.00
222	फोम के गद्दे बनाने का कारखाना	—	15,000.00
223	सलोटर हाउस, इंटिग्रेटिड फूड प्रोसेसिंग प्लांट	—	1,00,000.00
224	ट्रांसफार्मर फैक्ट्री	—	20,000.00
225	स्टील के बर्तन बनाने का कारखाना	—	15,000.00
226	एयरकंडीशनर बनाने का कारखाना	—	10,000.00
227	जूट, सन व नायलान बनाने का कारखाना	—	5,000.00
228	सीसा बनाने का कारखाना	—	3,000.00
229	पिपरमेंट बनाने का कारखााना	—	2,000.00
230	चमड़ा टेनरी का कारखाना	—	25,000.00
231	जैविक कारखाना	—	5,000.00
232	स्टोन क्रेसर कारखाना	—	15,000.00
233	मध्यम उद्योग (लागत 5 करोड़ से 50 करोड तक)	—	50,000.00

दण्ड

जिला पंचायत हापुड़ उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्देश देती है, कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप, फर्म या संस्था इन उपविधियों को या उपविधि के अंश का उल्लंघन करेगा/करेगी वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो रु0 1,000.00 (रुपये मात्र एक हजार) तक हो सकेगा और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के पश्चात एसे प्रत्येक दिवस के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है रु0 50.00 (रु0 पचास) तक हो सकेगा अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डनीय होगा, जो तीन मास तक का हो सकेगा।

सुरेन्द्र सिंह,
आयुक्त,
मेरठ मण्डल, मेरठ।

पी0एस0यू0पी0—42 हिन्दी गजट—भाग 3—2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

रजिस्टर्ड नं०–ए०डी०–4
लाइसेन्स सं०–डब्ल्यू०पी०–41
(लाइसेन्स टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 15 जनवरी, 2022 ई० (पौष 25, 1943 शक संवत्)

भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

कार्यालय, नगर पंचायत गोवर्धन, जनपद मथुरा

15 दिसम्बर, 2021 ई0

सं0 1500/न0प0गो0/2021-22–उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम संख्या 2 सन् 1916 एवं संशोधित अधिनियम सं0 12 सन् 1994 की धारा 128 (1) (13 ख) एवं 131 (2) के अन्तर्गत नगर पंचायत गोवर्धन की सीमा में अन्तर्गत स्थिति अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण के अभिलेखों पर कर आरोपण। यह उपविधि दैनिक समाचार-पत्र "अमर उजाला" में दिनांक 11 नबम्बर, 2021 एवं दैनिक समाचार-पत्र स्वदेश में दिनांक 11 नवम्बर, 2021 को 30 दिन के लिए प्रकाशित कराई गयी थी। नियत अवधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए।

नगर पंचायत गोवर्धन, जनपद मथुरा ने नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 एवं उसमें दी गई विविध उप धाराओं तथा शासन द्वारा समय-समय पर जारी शासनादेशों में दिये गये निर्देश के क्रम में 1–वाणिज्य नियंत्रण एवं लाइसेन्स शुल्क उपनियमावली 2–भवन मानचित्र एवं भवन निर्माण उपनियमावली 3–बिल एवं विज्ञापन शुल्क उपनियमावलियों को बनाया गया। जिसको निकाय बोर्ड की बैठक दिनांकः 20 अक्टूबर, 2021 द्वारा बोर्ड ने अनुमोदन प्रदान किया।

उपनियमावलियों का विवरण निम्नलिखित है–

विविध नियमावली

परिभाषा–विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इन उपविधियों में–

1–उपविधि'' का तात्पर्य अधिनियम के द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके नगर पंचायत गोवर्धन, मथुरा द्वारा बनाई गई उपविधि से है,

2– ''अधिनियम'' से तात्पर्य उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

3–''नगर पंचायत'' का तात्पर्य नगर पंचायत गोवर्धन, मथुरा से है।

4–अधिसूचना'' से तात्पर्य सरकारी गजट में प्रकाशित अधिसूचना से है।

5–विहित अधिकारी'' का तात्पर्य ऐसे अधिकारी से है, जिसे राज्य सरकार ने गजट में अधिसूचना के द्वारा नियुक्त किया हो।

6–कर/शुल्क का तात्पर्य विभिन्न उप नियमावलियों में में वर्णित विविध मदों पर लगाये गये कर/शुल्क से है।

7–नगर पंचायत क्षेत्र से तात्पर्य नगर पंचायत गोवर्धन, मथुरा की सीमा के अर्न्तगत आने वाले उसके अधिसूचित क्षेत्र से है।

8–नगर पंचायत गोवर्धन, मथुरा से तात्पर्य संविधान के अनुच्छेद 243-घ के खण्ड-1 के उपखण्ड (क) के अधीन व उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन गठित नगर पंचायत से है।

9–सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य ऐसी जगह से है, जो किसी की निजी सम्पत्ति न हो और आम जनता के उपयोग, उपभोग के लिये खुला हो। चाहे ऐसी जगह नगर पंचायत में निहित हो अथवा नहीं।

10–संक्रमित क्षेत्र से तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जो नगर पंचायत के अधिसूचित क्षेत्र में नहीं आते हैं लेकिन वर्तमान में निकाय के आबादी क्षेत्र में प्रसार होने के कारण ऐसे क्षेत्रों में नागरिकों को मूलभूत सुविधायें जैसे-सड़क, नाला-नाली आदि का निर्माण, साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था नगर पंचायत गोवर्धन द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं, पर भी यह नियमावलियॉ लागू समझी जायेंगी।

11–अध्यक्ष नगर पंचायत से तात्पर्य निकाय गोवर्धन की जनता द्वारा चुने गये अध्यक्ष से है।

12–अधिशासी अधिकारी से तात्पर्य नगर पंचायत गोवर्धन में अधिशासी अधिकारी के पद पर नियुक्त/कार्यरत अधिशासी अधिकारी से है।

13–प्रभारी अधिकारी से तात्पर्य निकाय के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा नियुक्त किये गये प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय से है।

14–प्रशासक से तात्पर्य सक्षम अधिकारी द्वारा नगर पंचायत गोवर्धन, मथुरा के लिए प्रशासक के पद पर नियुक्त किये गये अधिकारी से है।

15–लेखाकार/लेखा लिपिक से तात्पर्य शासन के आदेश के अनुक्रम निकाय में नियुक्त किये गये लेखाकार/लेखा लिपिक से है।

16–कर समाहर्ता/राजस्व लिपिक/राजस्व निरीक्षक/लिपिक से तात्पर्य नगर पंचायत गोवर्धन में इन पदों पर कार्यरत कर समाहर्ता/राजस्व लिपिक/राजस्व निरीक्षक/लिपिक से है।

17–अन्य बातों के रहते हुए अगर किसी शब्द की परिभाषा उपविधियों में प्रसारित नही है, तब उसका अर्थ नगरपालिका अधिनियम में दी गई परिभाषा से लिया जायेगा।

18–''नगर पंचायत सेवक'' से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जो नगर पंचायत से वेतन प्राप्त करता हो और उसकी सेवा में हो,

19–''ठेकेदार'' से तात्पर्य किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसने सीलबन्द निविदा देकर या सरेआम बोली लगाकर ठेके को वसूलने का नगर पंचायत से एक अधिकार प्राप्त किया हो।

वाणिज्य नियंत्रण एवं लाइसेन्स शुल्क उपनियमावली

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति–

1–नगर पंचायत गोवर्धन, मथुरा की वाणिज्य नियंत्रण लाइसेन्स शुल्क उप नियमावली कहलायेगी जो गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

2–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 में दिये गये प्रावधान तथा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों के प्रावधान इस नियमावली पर प्रभावी होंगे।

3–इस नियमावली के लागू होने के बाद निकाय द्वारा इसके सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त उपनियमावली एवं आदेश निष्प्रभावी माने जायेंगे।

नियम व शर्तें–

क्र0सं0	विवरण	प्रस्तावित दरें
1	2	3
		रु0
1	होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 10 शैया	1,000.00 प्रतिवर्ष
2	तीन सितारा होटल	9,000.00 प्रतिवर्ष
3	पांच सितारा होटल	12,000.00 प्रतिवर्ष

1	2	3
		रु0
	नर्सिंग होम	
4	नर्सिंग होम (20 बेड तक)	2,000.00 प्रतिवर्ष
5	नर्सिंग होम (20 बेड से 50 बेड तक)	5,000.00 प्रतिवर्ष
6	प्रसूति गृह (20 बेड तक)	4,000.00 प्रतिवर्ष
7	प्रसूति गृह (20 बेड से 50 बेड तक)	5,000.00 प्रतिवर्ष
8	प्राइवेट अस्पताल	5,000.00 प्रतिवर्ष
9	पैथालाजी सेन्टर	1,000.00 प्रतिवर्ष
10	एक्सरे/अलट्रा साउण्ड क्लीनिक	2,000.00 प्रतिवर्ष
11	डेन्टल क्लीनिक	4,000.00 प्रतिवर्ष
12	प्राइवेट क्लीनिक	3,000.00 प्रतिवर्ष
	परिवहन	
13	आटो रिक्शा (2 सीटर)	360.00 प्रतिवर्ष
14	आटो रिक्शा (7 सीटर)	720.00 प्रतिवर्ष
15	आटो रिक्शा (4 सीटर)	500.00 प्रतिवर्ष
16	मिनी बस	1,500.00 प्रतिवर्ष
17	बस	2,500.00 प्रतिवर्ष
18	तांगा	50.00 प्रतिवर्ष
19	रिक्शा किराये पर	150.00 प्रतिवर्ष
20	रिक्शा निजी चालित	75.00 प्रतिवर्ष
21	ठेला/ठेली	100.00 प्रतिवर्ष
22	हाथ ठेला	25.00 प्रतिवर्ष
23	बैलगाड़ी/भैंसा गाड़ी	150.00 प्रतिवर्ष
24	ट्राली	150.00 प्रतिवर्ष
	अन्य व्यवसाय	
25	फाइनेन्स कम्पनी/चिट फण्ड	6,000.00 प्रतिवर्ष
26	इन्श्योरेन्स कम्पनी प्रति शाखा	12,000.00 प्रतिवर्ष
27	बार/बीयर	6,000.00 प्रतिवर्ष
28	आइस फैक्ट्री	100.00 प्रतिवर्ष
	दुकान	
29	बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	5,000.00 प्रतिवर्ष
30	देशी शराब की दुकान (प्रति दुकान)	6,000.00 प्रतिवर्ष
31	अंग्रेजी शराब/बीयर की दुकान (प्रति दुकान)	12,000.00 प्रतिवर्ष
	पशुपालन	
32	पालतू पशु प्रति पशु	10.00 प्रतिवर्ष
33	कांजी हाउस में बन्द जानवरों पर जुर्माना	350.00 पशु प्रतिदिन
34	कांजी हाउस में बन्द जानवर प्रति खुराकी छोटे जानवर बकरी आदि	10.00 प्रतिदिन
35	प्रति खुराकी बड़े जानवर (गाय, भैस, घोड़ा आदि)	25.00 प्रतिवर्ष

दण्ड

नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत गोवर्धन, मथुरा यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि में दिये उपनियमों में किसी प्रकार का उल्लंघन करने पर मु0 रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) अर्थदण्ड दिया जायेगा जो किसी भी दशा में रु0 250.00 (दो सौ पचास रुपये) से कम न होगा। यदि अपराध निरन्तर करता रहा हो या करता मिलता है तो दोष सिद्ध होने के दिनांक से अंकन रु0 25.00 प्रतिदिन की दर से जुर्माना दण्डनीय होगा।

खैमचन्द शर्मा,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, गोवर्धन,
मथुरा।

भवन मानचित्र एवं भवन निर्माण उप नियमावली

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति–

1–यह उप नियमावली नगर पंचायत गोवर्धन, मथुरा की भवन मानचित्र एवं भवन निर्माण सम्बन्धी उप नियमावली कहलायेगी जो गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

2–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 में दिये गये प्रावधान तथा समय-समय पर जारी किये गये विभिन्न शासनादेशों के प्रावधान इस नियमावली पर प्रभावी होंगे।

3–इस नियमावली के लागू होने के बाद निकाय द्वारा इसके सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त उप नियमावली एवं आदेश निष्प्रभावी माने जायेंगे।

4–'भवन'' का तात्पर्य किसी मकान, उपग्रह, अस्तवज, झादक (शेड) झोपड़ी या अन्य बाड़ा या ढांचे से है, चाहे वह पक्की ईट, लकड़ी, मिटटी धातु या चाहे किसी भी अन्य पदार्थ से बना हो, चाहे उसका उपयोग मनुष्य के रहने के लिये अथवा किसी अन्य कार्य के लिए किया गया हो और उसके अन्तर्गत कोई बरामदा, चबूतरा, मकान की कुर्सी जीना, देहली दीवार जिसमें किसी उद्यान या कृषि भूमि जो किसी भवन से अनलग्न न हो की चारदीवारी से भिन्न किसी आहते की दीवार सम्मिलित है, किन्तु इसके अन्तर्गत कोई तम्बू या अन्य कोई परिवहनीय अस्थाई आश्रय स्थल नही है।

5–नक्शा नफीस/मानचित्रकार'' का अभिप्राय नगर पंचायत गोवर्धन, मथुरा के अनुज्ञा/लाइसेन्स प्राप्त मानचित्र/नक्शा से है,

6–व्यवसायिक निर्माण'' से तात्पर्य ऐसे निर्माण से है जो व्यापार, उद्योग या अन्य व्यवसायिक उपयोग हेतु निर्मित किया गया हों,

7–जनउपयोगी सेवा के निर्माण'' से तात्पर्य ऐसे निर्माण से जो कि जनकल्याण किये जाने से होगा, जिसमें वृद्धाश्रम व गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले व्यक्तियों के लिए निर्मित आवास से है,

8–शासकीय सम्पत्ति'' से तात्पर्य उस सम्पत्ति से है जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश शासन अथवा केन्द्र सरकार के द्वारा अपने धन से नगर पंचायत गोवर्धन, मथुरा की सीमा में किया गया हो जिसमें अस्पताल, थाना व अन्य सरकारी विभागों के कार्यालय आदि के भवन से है,

9–''निवास गृह'' से तात्पर्य ऐसे भवनों से है, जिसका उपयोग तीर्थयात्रियों को ठहरने के लिए अथवा यात्रियों के आवास के लिए निर्मित हो, से है।

नियम व शर्तें

1–आवासीय भवन निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्रफल पर 1–प्रथम 100 वर्ग मीटर तक 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से, 101–200 वर्ग मीटर तक 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा 200 वर्ग मीटर से उपर प्रत्येक वर्ग मीटर पर 15 रुपये शुल्क देय होगा तथा बेसमेन्ट बनाने का शुल्क 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देय होगा।

2–व्यवसायिक भवन निर्माण दुकानों, व्यापारिक, गोदाम, बैंक, सिनेमा, थियेटर, स्केटिंग हाल, बारात घर, नर्सिंग होम, व्यवसायिक काम्पलेक्स, क्लब एवं शोरूम आदि उपरोक्त प्रकार के भवन के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक

मंजिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर प्रथम 100 वर्ग मीटर पर 15 रुपये प्रतिवर्ग मीटर, 101 वर्ग मीटर या इससे अधिक पर 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से शुल्क देय होगा तथा बेसमेन्ट बनाने का शुल्क 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देय होगा।

3–औद्योगिक भवन के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक हेतु प्रत्येक मंजिल के आच्छादित क्षेत्रफल पर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देय शुल्क होगा।

4–शैक्षिक, धार्मिक तथा धर्मार्थ एवं जनउपयोगी सेवा के निर्माण के मानचित्र की स्वीकृति हेतु प्रत्येक मंजिल, के आच्छादित क्षेत्रफल पर 12 रुपये प्रति वर्ग मीटर तथा बेसमेन्ट 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से देय होगा–

(क) भूतल सहित तीन मंजिला अथवा 12 मीटर से अधिक ऊंचाई के समस्त भवन/मंजिल,तल अथवा बहुमंजिल भवन, भूकम्परोधी तथा शासन द्वारा निर्धारित मानक के अनुरूप निर्मित किये जायेंगे।

(ख) निर्मित किये जाने वाले भवनों में 101-200 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के भू-खण्ड पर भवन निर्माण करते समय जल संचयन हेतु सोकपिट का निर्माण कराना अनिवार्य होगा, 201-300 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के भू-खण्ड पर भवन निर्माण करते समय क्षेत्रफल सम्पूर्ण क्षेत्रफल का दस प्रतिशत भाग कंकरीट रहित कच्चा छोड़ना होगा तथा 300 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड पर भवन निर्माण करने के लिए छत वर्षा जल संचयन प्रणाली/रूफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली सिस्टम बनाना अनिवार्य होगा।

(ग) वह व्यक्ति जिसके स्वामित्व/प्रबन्धन या नियंत्रण में कोई बाजार, स्कूल, थियेटर, सिनेमा, सार्वजनिक अभिगम आदि या औद्योगिक भवन (फैक्ट्री आदि) हो, उनमें संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (2) की धारा 268 के अन्तर्गत पर्याप्त शौचालयों और मूत्रालयों की उचित व्यवस्था और दैनिक सफाई सुनिश्चित कराना अनिवार्य होगा।

(घ) ऐसे समस्त भवनों जिनके लिए अग्निशमन विभाग द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र अपेक्षित हो, उनके निर्माण पूर्व होने के उपरान्त अग्निशमन का अनापत्ति प्रमाण-पत्र नगर पंचायत कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा करने में विफल रहने पर स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

(ङ) पूर्व से निर्मित/स्थापित धार्मिक भवन उदाहरणार्थ मन्दिर, गुरूद्वारा एवं गिरजाघर आदि से 200 मीटर उर्द्धव्यास क्षेत्र में किसी नये धार्मिक भवन का निर्माण नही किया जायेगा। परन्तु उपयोग दूरी के सापेक्ष यदि शासन द्वारा कोई दूरी निर्धारित की जाती है तो वह मान्य होगी।

(च) उपरोक्त धार्मिक भवन निर्माण की स्वीकृति से पूर्व शासन/प्रशासन की अनुमति अनिवार्य होगी।

5–स्वीकृति की अवधि–

(क) पुनः वैधीकरण/स्वीकृत उस समय प्रचलित नियमों के अनुसार एक बार में केवल एक वर्ष के लिये होगा जिसके लिये प्रथम स्वीकृति शुल्क की 1/2 भाग धनराशि देय होगी। इसके उपरान्त पुनः वैधीकरण/स्वीकृति नही दी जायेगी तथा पुनः नोटिस दिया जायेगा।

(ख) यदि भवन स्वामी उपनियम 5 (क) के अनुसार अवधि बीतने से पूर्व स्वीकृति को पुनः वैध नही कराता है, तो अवधि दिनांक से तीन माह तक पुनः वैधीकरण शुल्क के साथ रु0 50.00 प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देय होगा तभी आवेदन-पत्र पर विचार किया जा सकेगा। इसके उपरान्त पुनः वैधीकरण शुल्क विलम्ब शुल्क सहित सामान्य दर पर जुर्माना अदा करने पर ही आवेदन-पत्र पर विचार किया जायेगा।

(ग) भवन मानचित्र स्वीकृति की अवधि के दिनांक से एक वर्ष की अवधि हेतु पुनः वैधीकरण प्रभावी होगा।

6–नगर पंचायत के द्वारा स्वीकृत मानचित्र के संशोधन के आवेदन पर पूर्व शुल्क की राशि का 1/2 देय होगा।

7–प्रत्येक प्रकार की चारदीवारी के लिए प्रथम 100 वर्ग मीटर के लिए रु0 1,000.00 तथा प्रत्येक अतिरिक्त 50 वर्ग मीटर या उसके भाग पर रु0 50 की दर से शुल्क देय होगा।

8–संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 (2) की धारा 121-क द्वारा प्रदत्त शक्ति के अधीन नियत दूरी नगर पंचायत क्षेत्र के बाहर ऐसी शर्तों और परिसीमा के अधीन जो विहित की जाये, किसी भवन, मार्ग या नाली के निर्माण को नियंत्रित तथा विनियमित कर सकेगी।

9–उपरोक्त उपनियम/भवन निर्माण के सम्बन्ध में संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 में शासन द्वारा यदि कोई संशोधन किया जाता है अथवा शासनादेश निर्गत किया जाता है तो ऐसा संशोधन/शासनादेश इस भवन निर्माण उपनियम में यथासमय सम्मिलित/प्रभावी माना जायेगा।

10–नगर पंचायत की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत प्रत्येक प्रकार के निर्माण का मानचित्र नगर पंचायत गोवर्धन, मथुरा के द्वारा लाइसेन्स प्राप्त मानचित्रकार/नक्शा नफीस के द्वारा ही हस्ताक्षरित होगा।

11–**मानचित्रकार/नक्शा नफीस के सम्बन्ध में–**

(क) नगर पंचायत द्वारा एक मानचित्रकार/नक्शा नवीस प्रत्येक वर्ष मानचित्र निर्माण हेतु रखा जायेगा। मानचित्रकार का लाइसेन्स प्रत्येक वित्तीय वर्ष से पूर्व माह फरवरी या मार्च में आगामी वर्ष के लिए अधिशासी अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा।

(ख) मानचित्रकार के लाइसेन्स स्वीकृत होने के नियम व शर्तें नगर पंचायत कार्यालय द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(ग) प्रत्येक मानचित्र को बनाने का शुल्क सौ वर्ग मीटर तक पाँच सौ रुपये प्रति मानचित्र तथा सौ वर्ग मीटर से अधिक आठ सौ रुपये प्रति मानचित्र पर देय होगा जिसका भुगतान आवेदनकर्ता द्वारा किया जायेगा, और शुल्क प्राप्ति की रसीद मानचित्रकार द्वारा आवेदनकर्ता को उपलब्ध कराया जायेगी, जिसकी सूचना मानचित्रकार नगर पंचायत कार्यालय को देगा।

(घ) मानचित्रकार का लाइसेन्स शुल्क दस हजार रुपये वार्षिक होगा।

(ङ) निकाय बोर्ड द्वारा दो तिहाई बहुमत से अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी महोदय/प्रभावी अधिकारी स्थानीय निकाय से स्वीकृति प्राप्त कर मानचित्र बनाने के शुल्क एवं मानचित्रकार के लाइसेन्स शुल्क में वृद्धि की जा सकती है। लेकिन इन शुल्कों में किसी भी स्थिति में कटौती/कमी नही की जा सकती है।

12–व्यवसायिक भवनों को अपने भवन में पार्किंग की व्यवस्था स्वयं करनी होगी।

13–नगर पंचायत की सीमा में किसी भी आवासीय/व्यवसायिक कालोनी का निर्माण बिना नगर पंचायत की स्वीकृति के नही होगा, तथा प्रत्येक कालोनी के मानचित्र की स्वीकृति के लिए कुल भूमि का रु0 2.00 प्रति वर्ग मीटर की दर से विकास शुल्क देय होगा तथा उक्त कालोनी के निर्माण की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा–

(क) कालोनी की सड़कें कम से कम 3 मीटर चौड़ी होंगी तथा मुख्य सड़क से एप्रोच रोड़ कम से कम 6 मीटर चौड़ी होगी।

(ख) कालोनी में नाली, पानी की निकासी आदि की व्यवस्था कालोनी स्वीकृत कराने वाले को करनी होगी।

(ग) कालोनी की सड़क पक्की करने की जिम्मेदारी भी कालोनी स्वीकृत कराने वाले की होगी।

(घ) कालोनी में पेड़ो आदि की व्यवस्था भी कालोनी स्वीकृत कराने वाले को करनी होगी।

(ङ) कालोनी में 15 प्रतिशत भूमि पर पार्क आदि का निर्माण करना होगा तथा सम्पूर्ण क्षेत्रफल के केवल 65 प्रतिशत भाग पर ही भवनों का निर्माण किया जा सकेगा।

(च) यथा सम्भव सड़के समकोण पर मिलाई जायेगी।

(छ) कालोनी में जलपूर्ति के लिए पाइप लाइन व बिजली की व्यवस्था भी कालोनी स्वीकृत वाले को करनी होगी।

(ज) कालोनी स्वीकृत कराने वाले को कालोनी का पूर्ण निर्माण करने के पश्चात पूर्णतया प्रमाण-पत्र नगर पंचायत से प्राप्त करना अनिवार्य होगा तथा उसके पश्चात उक्त कालोनी नगर पंचायत के प्रबन्धन में हो जायेगी और कालोनी से गृहकर/जलकर आदि देय प्राप्त करने का अधिकार नगर पंचायत का होगा, तथा कालोनी में विभिन्न सुविधाओं एवं उसके रख-रखाव की जिम्मेदारी नगर पंचायत की होगी।

(झ) जहाँ पर निर्माण सम्बन्धित नियम स्पष्ट नही है वहाँ पर नेशनल विल्डिंग (एन0वी0सी0) के प्रावधान लागू होंगे।

14–किसी भी मानचित्र की स्वीकृति से पूर्व भूमि के स्वामित्व सम्बन्धी अभिलेख एवं शपथ-पत्र दिया जाना अनिवार्य होगा।

15–मानचित्र स्वीकृत होने के पश्चात् यदि भूमि का स्वामित्व किसी अन्य व्यक्ति/संस्था/सार्वजनिक पाई जाती है तो स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

16–भवन निर्माण के सम्बन्ध में नगरपालिका अधिनियम में दिये गये प्रावधान एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेश इस उपनियमावली पर प्रभावी होंगे।

17–भवन निर्माण मानचित्र स्वीकृति के उपरान्त भवन निर्माण करते समय नगर पंचायत कार्यालय द्वारा समय-समय पर उसका निरीक्षण कराया जाना अनिवार्य होगा और निरीक्षण के उपरान्त नगर पंचायत कार्यालय द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

18–मानचित्र स्वीकृति के बाद भवन निर्माण पूर्ण होने पर भवन स्वामी द्वारा नगर पंचायत कार्यालय से भवन निर्माण पूर्ण सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

19–बोर्ड अपने दो तिहाई सदस्यों की स्वीकृति से अथवा अधिशासी अधिकारी जिलाधिकारी महोदय/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय की स्वीकृति से उपनियमावली के किसी भी धारा में परिवर्तित कर सकता है या कोई नई धारा जोड़ सकता है जो उपनियमावली पर प्रभावी समझी जायेगी, लेकिन उपनियमावली में वर्णित किसी भी शुल्क में कोई कमी नहीं की जा सकती है।

दण्ड

अगर कोई व्यक्ति बिना मानचित्र स्वीकृत करवाये किसी भी प्रकार का निर्माण करता है, तब उस निर्माण को अवैध निर्माण माना जायेगा तथा उस अवैध निर्माण को हटवाने का पूर्ण अधिकार नगर पंचायत को प्राप्त होगा, लेकिन प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा निर्माण अगर नियमानुसार निर्मित है तब वह व्यक्ति अपना मानचित्र लाइसेन्सधारी नक्शा नफीस से बनवाकर तथा उपविधियों में नियत शुल्क अदा करके अपना मानचित्र स्वीकृत करवाने के लिये नगर पंचायत में प्रस्तुत कर सकेगा और नगर पंचायत ऐसे मानचित्र को समझौता शुल्क रु0 500.00 लेकर निर्माण को नियमित कर सकेगा, लेकिन व्यवसायिक निर्माण के लिए समझौता शुल्क रु0 1,000.00 लिया जायेगा।

खैमचन्द शर्मा,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत, गोवर्धन,
मथुरा।

बिल एवं विज्ञापन शुल्क उप नियमावली

संक्षिप्त शीर्ष नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति–

1–यह उपनियम नगर पंचायत गोवर्धन, मथुरा बिल एवं विज्ञापन शुल्क उप नियमावली कहलायेगी, जो नगर पंचायत नगर पंचायत गोवर्धन के अधिसूचित क्षेत्र एवं संक्रमित क्षेत्र में राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

2–नगर पंचायत के बोर्ड द्वारा दो तिहाई बहुमत से अथवा अधिशासी अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी/प्रभारी अधिकारी, स्थानीय निकाय की सहमति से इस नियमावली के नियम व शर्तों में परिवर्तन किया जा सकता है जो नियमावली पर प्रभावी होगा लेकिन नियमावली के प्रभाव क्षेत्र में कमी करने एवं शुल्क में कमी करने का कोई भी स्वीकृत प्रस्ताव/सहमति नियमावली पर प्रभावी नहीं होगा।

3–नियमावली के नियमों एवं शर्तों को क्रियान्वित कराने का दायित्व नगर पंचायत कार्यालय पर होगा।

4–उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 में दिये गये प्रावधान तथा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेश इस नियमावली पर प्रभावी होंगे।

5–इस नियमावली के लागू होने के बाद इसके सम्बन्ध में पूर्व में जारी समस्त उपनियमावली एवं आदेश निष्प्रभावी माने जायेंगे।

नियम व शर्तें–

1–नगर पंचायत की सीमा के अन्दर अथवा संक्रमित क्षेत्र में जो व्यक्ति अपनी कम्पनी फर्म अपने विज्ञापन के द्वारा अपने उत्पादों का प्रचार-प्रसार करने हेतु सार्वजनिक स्थानों पर ग्लोसाईन/साईन बोर्ड वाल पेन्टिग, बैनर,

कटआउट, विज्ञापन पर बोर्ड पोस्टर, हैण्ड बिल लगायेगा उसे नगर पंचायत से या नगर पंचायत द्वारा नामित ठेकेदार से अनुमति लेकर ही लगाना होगा और उसका भुगतान नगर पंचायत को सीधे अथवा ठेकेदार के माध्यम से निर्धारित शुल्क अदा करना होगा।

2–विज्ञापनदाता विज्ञापन का प्रचार-प्रसार ऐसे स्थानों को करेंगे ताकि कम्पनी, के प्रचार-प्रसार से मर्ज स्थान ऐतिहासिक स्थल की सूचना पर या अन्य किसी कम्पनी के प्रचार-प्रसार हेतु लगाये गये धारा (21) में प्रकाशित ग्लोसाईन आदि का विलुप्तिकरण न हो।

3–विज्ञापनदाता अपने आवेदन में एक सप्ताह पूर्व विज्ञापन का साइज, प्रकार आकार एवं समय सहित देगा तथा उपविधि में वर्णित शुल्क जमा करेगा।

4–विज्ञापन की अवधि समाप्त होने पर विज्ञापनदाता आवेदन करके विज्ञापन अवधि बढायेगा। यदि 30 दिन के अन्दर विज्ञापनदाता ऐसा नही करता है, जो उपनियम की धारा 2 में प्रकाशित ग्लोसाईन को नगर पंचायत या नगर पंचायत द्वारा नामित ठेकेदार जब्त कर लेगा।

5–ग्लोसाईन बोर्ड आदि केवल सरकारी तथा सार्वजनिक स्थानों पर ही लगाये जायेंगे। भले ही ये स्थान नगर पंचायत की सीमा के अन्दर किसी भी अन्य विभाग के हों।

6–नगर पंचायत प्रत्येक वर्ष के फरवरी, मार्च के माह में विज्ञापन शुल्क वसूली हेतु एक वर्ष के लिए ठेका उठांयेगी और ठेका सील बन्द निविदा/कुटेशन पर उठाया जायेगा।

7–ठेका प्राप्तकर्ता ठेकेदार को निर्धारित स्टाम्प पर अनुबन्ध करना होगा तथा ठेके का समस्त धन एकमुश्त स्वीकृति के दिनांक के सात दिन के अन्दर जमा करना होगा।

8–विज्ञापन शुल्क सरह–(1) दुकानों के नाम के साथ-साथ या स्वतंत्र रूप से अन्य किसी चीज का ग्लोसाईन/साईन बोर्ड लगाकर लिए जा रहे विज्ञापन के रु0 50 प्रति फिट प्रति वर्ष की दर से विज्ञापन शुल्क की वसूली की जायेगी।

(2) वाल पेन्टिंग रु0 300 प्रति वर्ग फिट वार्षिक।

(3) बैनर 20 वर्ग फिट रु0 10.00 प्रतिदिन।

(4) साईन बोर्ड/ग्लोसाईन बोर्ड (केवल कम्पनियों के लिए) रु0 50.00 प्रति वर्ग फिट प्रति वर्ष।

(5) कटाउट विज्ञापन एक नग रु0 30.00 प्रति वर्ष।

(6) बोर्ड पोस्टर रु0 400.00 प्रति सैकड़ा प्रति बार।

(7) पोस्टर हेड बिल रु0 200.00

9–शुल्क मुक्त सूची–

1–दुकानों के सूचक, राजकीय एवं शासकीय तथा राष्ट्रीय पर्वों पर लगाये गये विज्ञापन बोर्ड विज्ञापन शुल्क से मुक्त होंगे।

दण्ड

दण्ड उपविधि का उल्लंघन उक्त नियम या उपविधि का भंग किया जाना जुर्माने से दण्डनीय होगा, जो रु0 1,000.00 (एक हजार रुपये) तक हो सकेगा और जब भंग निरन्तर किया जाये तो अग्रेतर जुर्माना किया जा सकेगा, जो प्रथम दोषसिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो। रु0 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा।

खैमचन्द शर्मा,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत गोवर्धन,
मथुरा।

कार्यालय नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज़

11 अक्टूबर, 2021 ई0

विविधकर (शुल्क) उपविधि

सं0 154/न0पं0सिढ़0/2021-22–उ0प्र0 नगरपालिका 1916 की धारा 298 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज़ के सीमा हेतु विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019 प्रस्तावित करती हैं। उपरोक्त नियमावली के धारा 301 के अन्तर्गत प्रकाशन दैनिक समाचार-पत्र "पंजाब केसरी" दिनाकं 27दिसम्बर, 2021 व "हिन्दुस्तान" दिनांक 29 दिसम्बर, 2020 में प्रकाशन इस आशय से किया गया कि जिस किसी व्यक्ति/समूह को आपत्ति हो या सुझाव हो तो अपनी लिखित आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज के कार्यालय में प्रकाशन तिथि के 21 दिन के अन्दर प्राप्त करा सकते हैं, जिसका नियमानुसार निस्तारण किया जायेगा परन्तु 21 दिन के बाद प्राप्त आपत्ति व सुझाव पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।. प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों का निस्तारण के पश्चात् उक्त प्रस्तावित विविध कर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019 उ0 प्र0 राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

विविधकर (शुल्क) उपविधि 2019

उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों से नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज में विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019 कहलायेगी जिसका विवरण निम्नानुसार है–

1–संक्षिप्त नाम, प्रसार एवं प्रारम्भ–(1) यह उपविधि विविधकर (शुल्क) उपविधि नियमावली, 2019 कहलायेगी।

(2) यह नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज़ की सीमा में प्रवृत्त होगा।

(3) यह उपविधि उ0प्र0 राजपत्र में प्रकाशन होने से नगर पंचायत सिढ़पुरा जनपद कासगंज़ में प्रवृत्त होगा।

2–परिभाषायें विषय या प्रयोग में कोई शर्त प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में उल्लिखित शब्द अर्थ यह पढें–

(1) अधिनियम का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

(2) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज़ से है।

(3) नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज से है।

(4) अध्यक्ष/प्रशासक का तात्पर्य नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज के अध्यक्ष/प्रशासक से है।
विविधकर (शुल्क) की दरें–

(5) कर निर्धारण पंजिका नकल (शुल्क) रु0 200.00 (दो सौ रुपया) मात्र तत्काल रु0 300.00 (तीन सौ रुपया) मात्र प्रतिमाह देय होगा।

(6) नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज में घरेलू जल उपभोक्ताओं से जल मूल्य रु0 50.00 (पचास रुपया) मात्र एवं व्यवसायिक उपभोक्ताओं से रु0 200.00 (दो सौ रुपया) मात्र प्रतिमाह तथा नये कनेक्शन लगवाने पर 1,000.00 रु0 (एक हजार रुपया) मात्र नवीन नल संयोजन के रुप में लिया जायेगा।

(7) कस्बा क्षेत्र के अन्दर आर0 ओ0 प्लांट व्यवसायिकों के लिये जो अपनी बोरिंग से आर0ओ0 प्लांट की व्यवस्था करते हैं। उनसे अनुमति शुल्क रु0 5,000.00 (पांच हजार रुपया) मात्र तथा जल सम्भरन शुल्क रु0 200.00 (दो सौ रुपया) मात्र प्रतिमाह लागू होगा।

(8) जलापूर्ति हेतु निकाय टैंकर उपयोग (शुल्क) (नगर पंचायत की सीमा मे बरात/तिलक कार्य हेतु) रु0 500.00 (पांच सौ रुपया) मात्र प्रति चक्कर नगर पंचायत की सीमा मे निर्माण कार्य हेतु रु0 500.00 (पांच सौ रुपया) मात्र प्रति चक्कर देय होगा।

(9) नाला/नाली या सार्वजनिक जगह पर गंदगी पर पैनाल्टी शुल्क रु0 100.00 मात्र प्रति प्रकरण तथा पुनरावृत्ति करने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ रुपया) मात्र प्रतिप्रकरण देय होगा।

(10) नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज की सीमा में स्थित पेट्रोल पम्प पर व्यावसायिक शुल्क रु0 10,000.00 (दस हजार रुपया) मात्र वार्षिक लागू होगा।

(11) नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज की सीमा में व्यवसाय करने वाले गेस्ट हाउस/अतिथि गृह/रेस्टोरन्ट/बरात घर शुल्क रु0 10,000.00 (दस हजार रुपया) मात्र वार्षिक देय होगा।

(12) नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज की सीमा में व्यवसाय करने वाले ढावा/होटल पर व्यावसायिक शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया) मात्र वार्षिक देय होगा।

(13) नगर पंचायत सीमा में स्थित राईसमिल पर व्यावसायिक शुल्क रु0 5,000.00 (पांच हजार रुपया) मात्र वार्षिक देय होगा।

(14) नगर पंचायत सीमा में गल्ला/अनाज की आढ़त व्यावसायिक शुल्क रु0 5,000.00 (पांच हजार रुपया) मात्र वार्षिक देय होगा।

(15) नगर पंचायत सीमा में स्थित मोटरसाइकिल एजेंसी/कार एजेंसी/ट्रैक्टर एजेन्सी पर व्यावसायिक शुल्क रु0 10,000.00 (दस हजार रुपया) मात्र वार्षिक देय होगा।

(16) नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज़ की सीमा में व्यवसाय करने वाले छोटे दुकानदारों पर व्यावसायिक शुल्क रु0 1000.00 (एक हजार रुपया) मात्र वार्षिक, मध्यम वर्ग शुल्क रु0 3,000.00 (तीन हजार रुपया) मात्र तथा सभी बड़े दुकानदारों पर व्यावसायिक शुल्क रु0 5,000.00 (पाँच हजार रुपया) मात्र वार्षिक व्यावसायिक शुल्क देय होगा।

(17) नगर पंचायत सीमा में चलने वाले ई-रिक्शा/ गाड़ी पर लाईसेंस शुल्क रु0 500.00 (पाँच सौ रुपया) मात्र वार्षिक व्यावसायिक शुल्क देय होगा।

(18) भैंस/गाय/सुअर इत्यादि सभी प्रकार के पालतू जानवर को खुला छोड़ने पर पकड़े जाने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 500.00 (पाँच सौ रुपया) मात्र प्रति प्रकरण प्रतिदिन देय होगा।

(19) नगर पंचायत सीमा में निर्मित होने वाले सार्वजनिक शौचालय के टॉयलेट प्रयोक्ता से रु0 3.00 (तीन रुपया) मात्र प्रति व्यक्ति एवं बाथरुम प्रयोक्ता चार्ज रु0 5.00 (पाँच रुपया) प्रति व्यक्ति लिया जायेगा।

(20) नगर पंचायत सीमा में देशी भाराब/अंग्रेजी शराब/बियर ठेका का व्यावसायिक शुल्क रु0 10,000.00 (दस हजार रुपया) मात्र वार्षिक देय होगा।

(21) नगर पंचायत सीमा में मीट/मुर्गा की दुकान का व्यावसायिक शुल्क रु0 3,000.00 (तीन हजार रुपया) मात्र वार्षिक देय होगा।

(22) नगर पंचायत सीमा में बस अड्डे का व्यावसायिक शुल्क रु0 5,000.00 (पाँच हजार रुपया) मात्र वार्षिक देय होगा।

(23) नगर पंचायत सीमा में गल्ला/अनाज की आढत व्यावसायिक शुल्क रु0 5,000.00 (पांच हजार रुपया) मात्र वार्षिक देय होगा।

(24) नगर पंचायत सीमा में आयोजित नुमाइश/मेला आदि पर अनापत्ति प्रमाण-पत्र पर शुल्क रु0 2,000.00 (दो हजार रुपया) मात्र वार्षिक देय होगा।

(25) नगर पंचायत सीमा में स्थित नाला/नाली/अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पर अवैध कब्जा पाये जाने पर पेनाल्टी शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया) और पुनरावृत्ति करने पर रु0 5,000.00 (पांच हजार रुपया) मात्र देय होगा।

(26) छोटी बाउण्ड्रीयुक्त भूखण्ड या मकानों के मध्य खाली भूखण्ड पर पड़ोसियों के द्वारा कूड़ा करकट फेंकने को दृष्टिगत रखते हुए उनके द्वारा अपने खाली भूखण्ड एवं छोटी बाउण्ड्रीवाल पर न्यूनतम दो मीटर ऊँची बाउण्ड्रीवाल निर्मित न करने पर पेंनाल्टी भाुल्क रु0 5000.00 (पांच हजार रुपया) मात्र प्रति प्रकरण देय होगा।

(27) नगर पंचायत सीमा में अधिष्ठापित बिजली के ट्रांसफार्मर पर शुल्क रु0 2,000.00 (दो हजार रुपया) मात्र प्रति ट्रांसफार्मर वार्षिक देय होगा।

(28) नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज़ में अधिष्ठापित बिजली के पावर हाउस/सब स्टेशन पर शुल्क रु0 15,000.00 (पन्द्रह हजार रुपया) मात्र वार्षिक देय होगा।

(29) नगर पंचायत सीमा में आयोजित आरा मशीन/आइस फैक्ट्री/गाड़ी धुलाई केन्द्र आदि पर व्यावसायिक शुल्क रु0 5,000.00 (पांच हजार रुपया) मात्र वार्षिक देय होगा।

(30) नगर पंचायत सीमा में गलियों में बांधे गये जानवरों को पकड़े जाने पर शुल्क रु0 100.00 (एक सौ रुपया) मात्र प्रति प्रकरण और पुनरावृत्ति करने पर रु0 500.00 (पांच सौ रुपया) मात्र देय होगा।

(31) नगर पंचायत सीमा में स्थित डेरी/आटा चक्की पर व्यावसायिक शुल्क रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया) मात्र वार्षिक देय होगा।

(32) नगर पंचायत सीमा में इमारत कर सूची में भवन नामान्तरण (दाखिल खारिज) शुल्क रु0 500.00 (पांच सौ रुपया) मात्र प्रति पीढ़ीप्रति प्ररिण देय होगा।

(33) नगर पंचायत सीमा के अन्तर्गत भवन/दुकान निर्माण आदि के लिये दिये जाने वाले की भूमि से संबधित अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिये निम्न दरें लागू होंगी–

[1] आवेदन शुल्क 100 वर्ग मी0 तक रु0 300.00 (तीन सौ रुपया) मात्र।

[2] आवेदन शुल्क अगले प्रत्येक 50 मी0 पर रु0 300.00 (तीन सौ रुपया) मात्र लागू होगा।

इसके अतिरिक्त अम्बार शुल्क रुपया मात्र प्रति वर्ग मी0 की दर से देय होगा। तथा शुद्धीकरण शुल्क रु0 20.00 (बीस रुपया) मात्र प्रति वर्ग मी0 के रुप में देय होगा।

इसके अतिरिक्त भवन निर्माण की अनुमानित लागत का 01 प्रतिशत लेवर से देय होगा।

(34) नगर पंचायत सीमा के अन्दर भवनों एवं अन्य स्थानों पर विज्ञापन/होर्डिंग/पोस्टर सूचना एवं कपड़े बैनर बॉल पेन्ट एवं साईन बॉर्ड पूनी पोलों पर शुल्क की दरें निम्नवत् होंगी–

क्रम सं0	आकार का विवरण	बोर्ड द्वारा स्वीकृत शुल्क की दरें		
		वार्षिक	मासिक	प्रतिदिन
1	2	3	4	5
		रु0	रु0	रु0
1	8 वर्ग मी0/होर्डिंग्स	4,000.00	600.00	30.00
2	4 वर्ग मी0/होर्डिंग्स2	2,000.00	300.00	20.00
3	2 वर्ग मी0/होर्डिंग्स	1,500.00	200.00	15.00
4	1 वर्ग मी0/होर्डिंग्स	1,000.00	100.00	10.00
5	कपडे का प्रति बैनर	500.00	200.00	50.00
6	कागज के छोटे पोस्टर	250.00	. .	. .
7	बॉल पेन्टर प्रति वर्ग	500.00	. .	. .
8	यूनी पोल/गेट एन्ट्री 8 वर्ग मी0	6,000.00	800.00	40.00
9	पेल क्रास	3,000.00	400.00	20.00

35–शहर/कस्बा स्वच्छ रखने के लिये डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण, परिवहन तथा निस्तारण हेतु दरें निम्नवत् हैं–

(1) निम्न आय वर्ग (अन्त्योदय) रु0 10 (दस रुपया) प्रतिमाह

(2) मध्यम आय वर्ग रु0 20 (बीस रुपया) प्रतिमाह

(3) उच्च आय वर्ग रु0 50 (पचास रुपया) प्रतिमाह

(4) छोटे दुकानदार–चाय/खोमचे/पान/नास्ता की दुकान रु0 50.00 (पचास रुपया) मात्र प्रतिमाह

(5) होटल/रेस्तरां/धर्मशाला/निजी अस्पताल/निजी स्कूल रु0 100.00 (सौ रुपया) प्रतिमाह देय होगा।

37–उ0 प्र0 पथ विक्रेता जीविका संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत–

(1) नगर पंचायत सीमा में पथकर नियमावली के अनुसार 2 × 2 वर्ग मी0 भूमि में ढकेल आदि लगाने पर निम्न दरें लागू होंगी।

प्रतिदिन दरें	मासिक दरें	वार्षिक दरें
1	2	3
रु0	रु0	रु0
15.00 मात्र प्रतिदिन	400.00 मात्र मासिक	4,000 मात्र वार्षिक

38–(1) नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज की सीमा के अन्तर्गत नगर पंचायत की दुकानें/भूखण्ड आदि के किराये का पुनः निर्धारण प्रति 05 वर्ष में किया जायेगा। जिन आवंटित दुकानों की समय सीमा उल्लेखित नहीं है। उनके किराये का निर्धारण भी प्रति पाँच वर्ष में किया जायेगा।

(2) नगर पंचायत की दुकान/भूखण्ड आदि का किरायानामा स्टाम्प अधिनियम के अनुसार रजिस्टर्ड कराना होगा।

दण्ड

यू0पी0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 की धारा 299 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज यह आदेश देती है कि इस नियमावली में किसी प्रकार का उल्लंघन करने पर रु0 10,000.00 (दस हजार रुपया) मात्र दण्ड किया जायेगा और यदि अपराध निरन्तर जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड लगाया जायेगा जो प्रथम दोष सिद्ध होने के दिनांक से यह सिद्ध हो जाने पर किसी अपराधी के द्वारा निरन्तर अपराध जारी रखने पर रुपये 100.00 (एक सौ रुपया) मात्र प्रतिदिन हो सकता है।

कंचन गुप्ता,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत सिढ़पुरा,
जनपद कासगंज

कार्यालय, नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज

11 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 82/न0पं0सिढ़/2019–नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज जनपद (कासगंज) अपनी सीमा के अन्तर्गत आने-जाने वाले ऐसे वाहनों पर जो व्यापारिक एवं व्यवसायिक प्रयोजन से निकाय क्षेत्र सीमा में अथवा निकाय अन्तर्गत स्थित स्टैण्ड/पार्किंग स्थलों पर ठहराव करते हों अथवा पार्किंग करते हों ऐसे वाहन जो निकाय सीमा में सवारियों को उतारते या चढ़ाते हों या विनियमित एवं नियंत्रण के उद्देश्य से शासनादेश सं0 3596/नौ-9-2001-9 जा/98 दिनांक 26 नवम्बर, 2001 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में सं0 प्रा0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 व 299 (1) के अन्तर्गत उपविधि/नियमावली प्रकाशित की गयी थी निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। उपविधि का सरकारी गजट में प्रकाशन किया जाना है।

उपविधि

संक्षिप्त नाम–(क) यह उपविधि/नियमावली नगर पंचायत सिढ़पुरा जनपद कासगंज की सीमा के अन्तर्गत वाहनों को विनियमित एवं नियंत्रण हेतु स्टैण्ड/ पार्किंग फीस नियमावली, 2008 कहलायेगी।

(ख) यह उपविधि/नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशन होने की तिथि से लागू होगी।

2–**परिभाषायें**–विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में–

(क) अधिनियम का तात्पर्य सं0 प्रा0 नगर पालिका अधिनियम 1916 (यू0पी0 अधिनियम संख्या 2, 1916) से है।

(ख) नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत सिढ़पुरा जनपद कासगंज जनपद से है।

(ग) फीस का तात्पर्य नगर पंचायत सिढ़पुरा जनपद कासगंज में वर्णित मदों पर लगायी गयी फीस से है।

(घ) प्रकाशक/अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी/प्रभारी अधिकारी/का तात्पर्य नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज से है।

(च) निरीक्षणकर्ता का तात्पर्य कर निरीक्षक या जिसे नगर पंचायत सिढ़पुरा जनपद कासगंज अधिकृत करे।

3–नियमावली में दी गई तालिका में वर्णितम दों पर वर्णित एवं निर्धारित राशि की नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज की सीमा में चालकों/परिचालकों/मालिकों द्वारा स्टैण्ड/पार्किंग स्थलों पर ठहरने तथा निकाय सीमान्तर्गत सवारियों को उतारने/चढ़ाने पर स्टैण्ड/पार्किंग फीस के रुप में धनराशि देनी होगी।

4–देय धनराशि की रसीद प्राप्त करनी होगी तथा अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी के मांगने पर दिखानी होगी।

5–वाहनों का तात्पर्य उन वाहनों से है जो नगर पंचायत की सीमा के अन्तर्गत स्टैण्ड/पार्किंग स्थलों अथवा किसी भी स्थान पर ठहरते हों अथवा सवारी उतारते चढ़ाते हों।

6–सीमा से तात्पर्य नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज की सीमान्तर्गत सड़कों एवं पटरियों से है।

7–वाहनचालक/परिचालक/मालिको द्वारा तालिका में वर्णित मदों के अनुरुप महसूल अदा करना होगा।

8–नगर पंचायत स्टैण्ड/पार्किंग फीस/महसूल को अपने कर्मचारियों से अथवा ठेकेदार से वसूल करायेगी।इस महसूल को ठेका उठाने के लिये नगर पंचायत पूर्ण रुप से स्वतंत्र है।

तालिका

क्र0 सं0	विवरण	धनराशि
1	2	3
		रु0
1	**होटल रेस्टोरेन्ट–**	
	(1) होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 10 शैय्या तथा बारात घर	10,000.00
	(2) होटल लाजिंग तथा गेस्ट हाउस 11 शैय्या से 20 शैय्या तक	5,000.00
	(3) सामान्य होटल/ढाबा	1,000.00
2	**नर्सिंग होम–**	
	(1) नर्सिंग होम (20 बेड तक)	4,000.00
	(2) नर्सिंग होम (20 बेड से ऊपर)	5,000.00
	(3) प्रसूति गृह (20 बेड तक)	5,000.00
	(4) प्राइवेट अस्पताल	5,000.00
	(5) पैथोलोजी सेन्टर	5,000.00
	(6) एक्सरे क्लीनिक	2,000.00
	(7) डेन्टल क्लीनिक	1,500.00
	(8) प्राइवेट क्लीनिक	2,000.00
	(9) राईस मिल	500.00

1	2	3
		रु0
3	**परिवहन–**	
	(1) ट्रांसपोर्ट बिना वाहन के (एजेन्सी)	5,000.00
	(2) ट्रांसपोर्ट ट्रैक्टर एजेन्सी (वाहन सहित)	10,000.00
	(3) ऑटो रिक्शा (2 सीटर)	1,000.00
	(4) ऑटो रिक्शा (7 सीटर)	700.00
	(5) ऑटो रिक्शा (4 सीटर)	500.00
	(6) मिनी बस	1,500.00
	(7) बस	2,500.00
	(8) तांगा	100.00
	(9) रिक्शा किराये पर	200.00
	(10) रिक्शा निजी चालित	100.00
	(11) ठेला/ठेली	50.00
	(12) हाथठेला	50.00
	(13) बैलगाड़ी/भैंसा गाड़ी	200.00
	(14) ट्राली	300.00
	(15) अन्य चार पहियों के वाहन तथा व्यापारिक प्रयोग हेतु सभी वाहन	500.00
	(16) मोटर गैरिज	200.00
	(17) नुमाइश/मेला इत्यादि	5,000.00
	(18) (मोटर वाहन ऐजेन्सी सेल्स सर्विस)	15,000.00
	(19) स्कूटर/मोटर साईकिल एजेन्सी (2 पहिया/3 पहिया)	10,000.00
	(20) साईकिल की दुकान	200.00
4	**पेट्रोलियम–**	
	(1) दुकान मिट्टी के तेल 100 गैलेन तक	100.00
	(2) मिट्टी के तेल की दुकान 100 गैलेन से अधिक	100.00
	(3) पेट्रोलपम्प/डीजल पम्प थ्रो ऑयल कम्पनी	15,000.00
	(4) पेट्रोलपम्प/ डीजल पम्प फुटकर	10,000.00
	(5) जनरेटर डीजल	1,000.00
	(6) दुकान अन्य पेट्रोलियम उत्पादन	1,000.00
5	**अन्य व्यवसाय–**	
	(1) धुलाई ग्रह (लाण्ड्री)	500.00
	(2) ड्राई क्लीनर	500.00
	(3) साबुन फैक्ट्री	3,000.00

1	2	3
		रु0
	(4) गुड़ गोदाम	1,000.00
	(5) कंकड़ तथा सुर्खी भट्टा	3,000.00
	(6) चूना	10,000.00
	(7) ईंट भट्टा	10,000.00
	(8) पेठा बनाने का कारखाना	5,000.00
	(9) जूता बनाने का कारखाना	2,000.00
	(10) लोहा व्यापारी, टिम्बर मर्चेन्ट, सीमेन्ट, ईंट बालू (थोक मोरम, बालू) मारबल, टाइल्स, हार्डवेयर	2,000.00
	(11) बिजली के सामान के विक्रेता	1,000.00
	(12) कपड़ा फुटकर एवं थोक व्यापारी	2,000.00
	(113) चाय के थोक विक्रेता	1,000.00
	(14) नट फैक्ट्री	2,000.00
	(15) खाल एवं बाल उतारने वालों पर	1,000.00
	(16) वेटरिंग	600.00
	(17) बेकरी	1,000.00
	(18) बेकरी (पावर)	1,500.00
	(19) हेयर कटिंग सैलून	500.00
	(20) मोबाइल टावर	10,000.00
	(21) कार, बाइक आदि धुलाई सेन्टर	2,000.00
	(22) ब्यूटी पार्लर	2,000.00
	(23) कुकिंग गैस ऐजेंसी	5,000.00
	(24) जनरल मर्चेंट (फुटकर एवं थोक)	500.00
	(25) कोयला थोक विक्रेता	2,000.00
	(26) कोयला फुटकर विक्रेता	1,000.00
	(27) मसाला/पान मसाला फैक्ट्री	2,000.00
	(28) पेन्ट की दुकान (रंग रोगन)	1,000.00
	(29) ज्वैलर्स (बड़े) 5 लाख टर्न ओवर	3,000.00
	(30) ज्वैलर्स (छोटे) 5 लाख टर्न ओवर तक	2,000.00
	(31) विज्ञापन ऐजेन्सी	1,000.00
	(32) डेरी फार्म	2,000.00
	(33) भूसा विक्रेता थोक	1,000.00
	(34) भूसा विक्रेता फुटकर	500.00
	(35) ऑडियो लाइब्रेरी	500.00
	(36) वीडियो लाइब्रेरी	500.00

1	2	3
		रु0
	(37) केबिल टी0वी0	2,000.00
	(38) आर्किटेक्ट कन्सलटेन्ट विधि एकाउन्टेन्ट कास्ट एकाउन्टेन्ट	4,000.00
	(39) फाइनेन्स कम्पनी चिटफण्ड	6,000.00
	(40) इंश्योरेन्स कम्पनी प्रति शाखा	12,000.00
	(41) फाउन्डिंग कम्पनी/इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रियल	1,000.00
	(42) ढलाई भट्टी, खराद मशीन	1,000.00
	(43) पशु वध (छोटा)	1,000.00
	(44) पशु वध (बड़ा)	2,000.00
	(45) सब्जीगोदाम/फलगोदाम	1,000.00
	(46) हड्डी, खाल, सींग, चमड़ा आदि गोदाम	1,000.00
	(47) अनाज, तिलहन, चीनी, गुड़, खांड सारी आदि फुटकर विक्रेता	1,000.00
	(48) बार/ बीयर	10,000.00
	(49) शीरा फैक्ट्री	5,000.00
	(50) टेन्ट हाउस	2,000.00
6	**दुकान**–	
	(1) पान/तम्बाकू की दुकान	500.00
	(2) चाय की दुकान	500.00
	(3) जनरल मर्चेन्ट की फुटकर दुकान/ किराना मर्चेन्ट	1,000.00
	(4) किताबों की थोक दुकान	1,000.00
	(5) किताबों की फुटकर दुकान	500.00
	(6) न्यूज पेपर विक्रेता	500.00
	(7) लकड़ी की टाल थोक विक्रेता	2,000.00
	(8) लकड़ी की टाल फुटकर विक्रेता	1,000.00
	(9) टिम्बर मर्चेन्ट	2,000.00
	(10) रेडियों मैकेनिक, टी0वी0 मरम्मत	500.00
	(11) टी0वी0 /मोबाइल /इलैक्ट्रोनिक/इन्वेटर, कार बैट्री आदि शॉप	2,000.00
	(12) फर्टिलाइजर (शॉप)	2,000.00
	(13) प्लास्टिक फैक्ट्री	3,000.00
	(14) प्लास्टिक ट्रेडर्स	4,000.00
	(15) मिठाई की दुकान	1,000.00
	(16) पानी बतासा की दुकान	500.00
	(17) ड्राईफ्रूट की दुकान	2,000.00
	(18) ड्राईफ्रूट फुटकर	1,000.00
	(19) गैस फिलिंग प्लान्ट	20,000.00

1	2	3
		रु0
	(20) गैस फिलिंग ऐजेन्सी	5,000.00
	(21) सब्जी की दुकान	500.00
	(22) बिल्डर्स (रजिस्टर्ड)	5,000.00
	(23) मसाले के थोक विक्रेता	1,000.00
	(24) मसाले के फुटार विक्रेता	500.00
	(25) पीतल एवं स्टील बर्तन/पीतल से बनी वस्तुओं के थोक विक्रेता	5,000.00
	(26) पीतल एवं स्टील बर्तन/पीतल से बनी वस्तुओं के फुटकर विक्रेता	2,000.00
	(27) देशी शराब की प्रति दुकान	10,000.00
	(28) अंग्रेजी शराब की प्रति दुकान	10,000.00
	(29) पशु वधशाला (स्लाटर हाउस)	5,000.00
	(30) भैंस, भैंसा (बड़ा) पशुमांस की दुकान	1,000.00
	(31) बकरा/बकरी (छोटा) पशुमांस की दुकान	3,000.00
	(32) फर्नीचर की दुकान (शोरुम)	2,000.00
	(33) फर्नीचर विक्रेता	1,000.00
	(34) क्राकरी विक्रेता	1,000.00
	(35) चूड़ी विक्रेता	500.00
	(36) जूता (चमड़ा, प्लास्टिक) विक्रेता	1,000.00
	(37) ग्लास फैक्ट्री/कांच से बनाने वाली समस्त फैक्ट्री	5,000.00
	(38) अंग्रेजी व आयुर्वेदिक दवा की दुकान फुटकर/थोक	1,000.00
	(39) रस्सी/बान/बांस बल्ली आदि की दुकान	500.00
	(40) अन्य सभी प्रकार की दुकान एवं प्रतिष्ठान	500.00
	(41) अन्य सभी प्रकार की फक्टरियाँ, स्पेलर सरसों आदि	2,000.00
7	**पशुपालन**–	
	(1) प्रति पशु (बड़ा)	50.00
	(2) प्रति पशु (छोटा)	20.00
	(3) कांजी हाउस उसमें बन्द जानवरों पर जुर्माना	500.00
	(क) छोटा जानवर	. .
	(ख) बड़ा जानवर	. .
	(4) प्रतिदिन खुराकी छोटे जानवर बकरी आदि	20.00
	(5) प्रतिदिन खुराकी बड़े जानवर गाय, भैंस, घोड़े आदि	50.00

विलम्ब शुल्क

सभी दुकानों व कारखानों पर प्रतिमाह रु0 10.00 (दस रुपया मात्र) विलम्ब शुल्क देय होगा।

दण्ड

नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (1) के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करके नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज यह आदेश देता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अंकन रुपये 1,000.00 (एक हजार रुपये मात्र) तक का जुर्माना किया जा सकता है। यदि उल्लंघन जारी रहे तो प्रथम दोष सिद्ध के दिनांक से रु0 25.00 (पच्चीस रुपये मात्र) प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना किया जा सकता है और जुर्माना अदा न करने पर तीन मास तक का कारावस का दण्ड भी सक्षम न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है।

उपरोक्त वाहन नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज की सीमा के अन्तर्गत सवारी उतारते व चढ़ाते हैं तो सवारी भाड़े के वाहन चालक/परिचालक/मालिक को उपरोक्त दरों से महसूस देना होगा।

निम्नांकित वाहन महसूल से मुक्त होंगे–

1–सरकारी वाहन, शव वाहन, कृषि वाहन एवं रोडवेज बसें।

2–सरकारी कर्मचारी के स्थानान्तरण एवं उनका निजी घरेलू सामान जो किसी वाहन पर हो, महसूल से मुक्त होगा। किन्तु प्रतिबन्ध यह होगा कि उस व्यक्ति को सम्बन्धित विभाग का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।

दण्ड

संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगर पंचायत यह आदेश देती है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंधन करने वालों पर रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया) तक का जुर्माना किया जा सकता है। यदि उल्लंघन बराबर जारी रखा जाय तो अर्थदण्ड दिया जायेगा, जो अपराधी द्वारा प्रथम बार अपराध किये जाने की तिथि से रु0 25.00 (पच्चीस रुपया) प्रतिदिन के हिसाब से हो सकता है।

कंचन गुप्ता,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत सिढ़पुरा,
जनपद कासगंज।

कार्यालय, नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज

11 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 83/न0पं0सिढ़/2019–नगर पंचायत वि0/उपविधियाँ–संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम 1916 की धारा 298 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत सिढ़पुरा जनपद कासगंज में दुकानों व अन्य लाइसेन्सिंग की नियमित एवं नियन्त्रित करने हेतु निम्नलिखित उपनियम बनाये हैं–

इस नियमावली के प्रकाशन द्वारा जनसाधारण की जानकारी व आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये गये है। यदि कोई आपत्ति प्राप्त न होने की दशा में उपविधि को सरकारी गजट में प्रकाशित कराया जाये।

उपविधि

1–संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और प्रवृत्ति–(1) यह नियमावली नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज की सीमान्तर्गत वाणिज्य, नियंत्रण लाइसेंस व अन्य शुल्क उपनियमावली, 2008 कहलायेगी।

(ख) यह नियमावली सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी मानी जावेगी।

2–परिभाषायें–विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस नियमावली में–

(क) ''अधिनियम'' का तात्पर्य सं0प्रा0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 (यू0पी0 अधिनियम संख्या 2, 1916) से है।

(ख) ''नगर पंचायत'' का तात्पर्य नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज से है।

(ग) ''शुल्क'' का तात्पर्य नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज द्वारा वर्णित मदों पर लगाये गये 'शुल्क से है

(घ) ''प्रभारी अधिकारी'' का तात्पर्य प्रभारी अधिकारी नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज से है।

(ड) ''अधिशासी अधिकारी'' का तात्पर्य अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सिढ़पुरा से है।

(च) ''निरीक्षणकर्ता'' से तात्पर्य नगर पंचायत सिढ़पुरा जनपद कासगंज द्वारा अधिकृत अधिकारी/कर्मचारी से है।

उपनियम

1–यह नियम नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज की सीमा के अन्तर्गत लागू होंगे।

2–नियमावली में निर्धारित दरें धनराशि शुल्क के रूप में कार्यालय, नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज में अदा करके लाइसैंस प्राप्त कर लिया जायेगा।

3–लाइसेंस शुल्क की अवधि प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी।

4–लाइसेंस शुल्क वर्ष के प्रथम माह अप्रैल में देय होगी।

5–नियमावली तालिका में वर्णित मदों पर शुल्क लिये जाने की सूची तैयार करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज को है।

6–नगर पंचायत सिढ़पुरा के अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी/अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय दुकान के लाइसेन्स का निरीक्षण कर सकते हैं और प्रत्येक दुकान के अन्दर आवश्यक स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं।

7–अधिशासी अधिकारी/अधिकृत कर्मचारी सभी लाईसेंस निर्गत कर सकता है।

8–जो शुल्क इस तालिका में नहीं है, उन्हें सम्बन्धित व्यवसाय के समकक्ष मानकर उसी के अनुरूप लाइसेन्स शुल्क लिया जायेगा।

9–इस नियम के प्रभावी होते ही पूर्व से प्रभावी लाइसेन्स उपनियमावली की शुल्कों की दरें स्वतः ही निरस्त हो जायेंगी।

10–प्रत्येक व्यवसाय का लाइसेन्स लेना अनिवार्य होगा।

कंचन गुप्ता,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत सिढ़पुरा,
जनपद कासगंज।

कार्यालय, नगर पंचायत सिढ़पुरा जनपद कासगंज

नक्शा स्वीकृति सिढ़पुरा

11 अक्टूबर, 2021 ई0

सं0 84/न0पं0सिढ़/2019–नगर पंचायत वि0/उपविधियाँ–संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज ने भवन निर्माण उपविधियाँ बनाई हैं, जो उत्तर प्रदेश शासन की स्वीकृति के बाद सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज की सीमा में लागू हो जावेगी।

इस नियमावली का प्रकाशन जन साधारण की जानकारी व आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जाने हेतु किया जाता है।

यदि किसी व्यक्ति पर इस नियमावली का प्रभाव पड़ता है या पड़ने की सम्भावना है तो वह अपनी आपत्ति एवं सुझाव अधोहस्ताक्षरी के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दे सकता है। मियाद समाप्त होने के बाद प्राप्त आपत्ति एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

उपविधि

परिभाषा–

1–नगर पंचायत का तात्पर्य नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज से है।

2–सीमा– नगर पंचायत की वह सीमायें जो शासन से स्वीकृत हों।

3–बोर्ड का तात्पर्य निर्वाचित नगर पंचायत बोर्ड से है।

4–अध्यक्ष नगर पंचायत– अध्यक्ष नगर पचायत का तात्पर्य नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज से है।

5–अधिशासी अधिकारी– का तात्पर्य नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से है।

6–अवर अभियन्ता– का तात्पर्य नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज के अवर अभियन्ता से है।

7–राजस्व लिपिक–का तात्पर्य नगर पंचायत सिढ़पुरा जनपद कासगंज के राजस्व लिपिक से है।

भवन–भवन का तात्पर्य वह स्थान है, जो चारों ओर या किसी भी साइड से घिरा हुआ हो।

व्यवसायिक भवन–जिस भवन में किसी भी प्रकार का व्यवसाय होता हो।

गोदाम–जिस भवन में क्रय विक्रय के लिये किसी भी प्रकार का माल एकत्र किया जाता हो तथा रखा जाता हो।

रिहायशी भवन–जिस भवन में कोई परिवार रहता हो या परिवार के रहने के योग्य हो।

सामाजिक भवन–जो किसी भी सरकारी कार्यालय के रूप में अस्पताल, विश्राम गृह, स्कूल, पुस्तकालय, वाचनालय या अन्य किसी शासकीय प्रयोग में आता हो।

हॉल–भवन के अन्दर या बाहर वह बडा कमरा जो सामूहिक प्रयोग के लिये बनाया गया हो जिसकी लम्बाई 5×5 मी0 से कम न हो।

कमरा–भवन का वह कमरा होगा जो सोने बैठने व अन्य किसी प्रकार के कार्यों में प्रयोग होता हो जिसका माप कम से कम 4×3 मी0 होगा।

स्टोर–वह कमरा जिसमें गृहस्थी का सामान एकत्रित किया जाता हो जिनका नाप कम से कम 3×2 मी0 हो।

रसोई–जो केवल क्षमता खाना बनाने के प्रयोग में आता हो तथा उसका नाप 1.1/2 डेढ मी0 हो।

स्नानगृह–जो नहाने व कपड़े धोने के लिए प्रयोग किया जाता हो।

बरामदा–भवन का वह बाहरी भाग जो केवल प्लर पर छाया गया हो और आगे से बन्द न होता हो।

शौचालय–जो शौचालय के प्रयोग होता हो।

चक आवश्यक–इसके द्वारा मकानों के बीच का पानी सरकारी नाली में प्रवेश करता हो और दोनों नजदीकी मकानों की रोशनी की सुविधा हो चौड़ाई1(एक) मी0 हो।

वेन्टीलेटर–कमरा बन्द हो जाने के बाद जिसमें स्वच्छ हवा का प्रेशर होता रहे और जो दरवाजे की ऊंचाई से अलग लगा हो।

छज्जा–वह ऊपरी भाग जो धूप पानी रोकने के लिये छत से लेवल पर बाहर निकाला गया हो।

छजली–जो केवल खिड़की व दरवाजों पर ही ढ़काव के रूप में निकाली गयी हो, चौक का आंगन मकान का वह खुला भाग जो ढ़का न हो।

जंगला–जो लोहे की सरियों द्वारा बन्द हो तथा जिसके द्वारा निकासी न होती हो।

खिड़की–वह स्थान जिसके द्वारा दो कमरे मिल सकते हैं या हवा आदि के लिये मेन रास्ते पर भी खुलती हो।

मोरी–भवन का वह हिस्सा जिसके द्वारा धुलाई इत्यादि का पानी कमरे से बाहर निकलता हो या अन्य किसी प्रकार का पानी नाली में जाता हो।

फर्श–भवन का वह निचला भाग जो समतल हो।

छत–भवन का ऊपरी भाग जिससे कमरा इत्यादि छत के ऊपर में ढका हो चाहे वह टीन, लकडी, ईट, पत्थर, लिन्टर या अन्य किसी पदार्थ का बना हो।

अलमारी–कमरे का भाग जो दीवार में फिक्स किये जाने के बाद कोई सामान रखने के काम में आता हो।

गैठी–जो दीवार में आने को निकाली गई हो और नीचे का स्थान खाली हो।

वाटिका–भवन का वह खुला भाग जिसमें साग, सब्जी या फुलवारी लगाई जाती हो या उठने-बैठने के काम में प्रयोग किया जाता हो।

1–यह कि नगर पालिका, नगर पंचायत सिढ़पुरा जनपद कासगंज की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत की बिना पूर्व अनुमति के कोई भी भवन निर्माण न करायेगा, न अहाता, गैरेज या अन्य किसी भी प्रकार के भवन का रूप देगा।

2–नगर पंचायत सिढ़पुरा से स्वीकृति हेतु निम्न प्रक्रिया अपनानी होगी।

(अ) स्वीकृति चाहने हेतु एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा, जो कि रु0 100.00 के कोर्ट फीस के स्टाम्प पेपर पर होगा।

(ब) इस प्रार्थना-पत्र के नाम प्रार्थी को दो स्कैली मानचित्रों में भूमि का पूर्ण विवरण दिया जायेगा तथा यह भी दर्शाया जायेगा कि बनाने से पूर्व भूमि की क्या दशा है एवं भूमि का कितना क्षेत्रफल है।

(स) प्रार्थी इस मानचित्र के साथ एक प्रमाण पत्र इस आशय का प्रस्तुत करेगा कि यह भूमि जहां निर्माण कार्य कराना चाहता है उसकी अपनी है। उसका ब्यौरा प्रस्तुत करेगा।

(द) प्रार्थना-पत्र में निर्माण का विवरण देते हुये यह स्पष्ट करेगा कि वह मरम्मत या फेरबदल या ऊपरी भाग का पूर्व नवनिर्माण कराना चाहता है।

(य) जिस ड्राफ्टमैन से नक्शा बनवायेगा उसी से भवन की अनुमानित लागत का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

(र) नक्शा ग्राफ पेपर या ब्लू प्रिन्ट होंगे और एक तीसरा नक्शा जो नगर पचायत में रखा जायेगा वह क्लॉथ पेपर होगा।

3–कोई भी भवन निर्माण सरकारी सड़क या नाली के बाहरी किनारे से 5 फीट भूमि को छोड़कर किया जायेगा तथा तंग गलियों में 2 फीट भूमि छोड़कर निर्माण कार्य किया जायेगा।

4–(अ) भवन निर्माण–प्रत्येक भवन निर्माण करते समय ये विशेष ध्यान रखा जायेगा, भवन में आंगन या वाटिका के लिये कुल क्षेत्रफल की 1/5 भाग भूमि खाली छोड़ी जायेगी।

(ब) भवन में इस प्रकार के जंगले या वेन्टिलेटर लगवाना अनिवार्य होगा, जिससे धूप तथा हवा का आवागमन हो सके।

(स) इस प्रकार का जंगला या खिड़की न लगाई जायेगी, जिससे कि बराबर में रहने वालों को बेपर्दगी हो।

(द) नल का पानी नीचे पाइप द्वारा ही उतारा जायेगा तथा उसकी नाली सरकारी नाली में स्वयं अपने व्यय से मिलानी होगी, यदि वहां पर सरकारी नाली नहीं है तो प्रार्थी को उसके लिये सोकपिट अपनी ही भूमि पर बनवाना होगा।

(य) दो मंजिलें पर इस प्रकार का कोई भी शौचालय नहीं बनवाया जायेगा जिसका मल पाइप के द्वारा मकान के बाहर होकर नीचे उतरता हो या सडक पर गंदगी फैलाता हो।

(र) सरकारी नाली या सड़क के ऊपर जो प्रोजेक्शन निकाला जायेगा, उस पर अन्य किसी तरह का निर्माण नहीं किया जायेगा तथा नीचे का लिन्टर नाली के किनारे तक और ऊपर का नीचे के प्रोजेक्शन से एक फीट से अधिक नहीं निकाला जायेगा। सड़कें परदे किसी प्रकार का कोई प्रोजेक्शन नहीं दिया जायेगा।

(ल) भवन का परनाला सरकारी सड़क पर या गली में किसी भी हालात में नहीं डाला जायेगा, जब तक कि उसके पानी की सरकारी नाली पर पहुंचने की पूर्ण व्यवस्था न कर दी गई हो।

(व) भवन को सभी नालियों का गन्दा पानी स्वामी स्वयं अपनी लागत से पक्की नाली या पाइप के द्वारा नगर पंचायत की सार्वजनिक नाली तक पहुंचायेगा, यदि वहां पर नाली नहीं है तो वह अपनी भूमि में सोकपिट बनावाकर पानी की व्यवस्था करेगा।

(श) वाटिका या चौक में इस प्रकार का कोई गढ्ढा नहीं बनवायेगा जिससे कि पानी एकत्रित होकर सडता रहे या सड़ता हो।

(ष) रसोई तथा शौचालय के बीच में कम से कम 4 मी0 का अन्तर अवश्य होगा। शौचालय उत्तर या दक्षिण में इस प्रकार निर्माण करवाया जायेगा कि उसकी बदबू रसोई घर तक न पहुंचे।

स्वीकृति की विधियाँ

5–जब प्रार्थी मय नक्शे के अपना प्रार्थना-पत्र कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। सर्वप्रथम उसका इन्द्राज निर्माण रजिस्टर में किया जायेगा तथा उक्त प्रार्थना-पत्र पर राजस्व विभाग की रिपोर्ट की जायेगी, जो राजस्व के लिपिक इन्सपेक्टर इस प्रकार की रिपोर्ट सेवा देगा कि इस भूमि या भवन का स्वामी हमारे रिकार्ड में वही इन्द्राज है जो प्रार्थना दे रहा है तथा इस मकान पर भवन का नगर पंचायत का कोई भी किसी प्रकार टैक्स आदि अवशेष नही है।

6–कार्यालय की रिपोर्ट के पश्चात् यह प्रार्थना-पत्र मय नक्शे के अवर अभियन्ता को भेज दिया जायेगा जो किसी मौके पर जाकर भूमि तथा प्लान्ट का मिलान करेंगे और अपनी रिपोर्ट सही पाये जाने पर इस प्रकार देंगे नक्शे के मुताबिक नियमानुसार निर्माण उचित है चॉक तथा वाटिका ठीक प्रकार से सुरक्षित छोड़ दी गई है रसोई तथा शौचालय की व्यवस्था सही है, स्वास्थ्य के लिहाज से गन्दे पानी के निकास की उच्च व्यवस्था है और उस निर्माण की आज्ञा देने में नगर पंचायत की सम्पत्ति की हानि नहीं है।

7–उसके पश्चात् प्रार्थी को यह अवगत कराया जायेगा कि वह नियमानुसार फीस निर्माण कार्य की करवा दें। निर्माण फीस जमा होने के पश्चात् अधिशासी अधिकारी की संस्तुति के बाद अध्यक्ष के आदेश के बाद (बोर्ड की दशा में) स्वीकृति हेतु बोर्ड के सम्मुख प्रस्तुत किया जायेगा। बोर्ड पूरा निर्माण ले लेने के बाद जब यदि स्वीकृति दी जाती हो तो दो नक्शे एक स्वीकृति पत्र अधिशासी अधिकारी के माध्यम से प्रार्थी को भेज दिया जायेगा। इस आज्ञा के पश्चात ही प्रार्थी निर्माण कार्य आरम्भ कर सकता है, निर्माण कार्य आरम्भ करने को 24 घंटे के पूर्व कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

8–यह आज्ञा केवल 1 वर्ष के लिये होगी, यदि इस निश्चित अवधि में निर्माण कार्य पूरा नहीं होता है तो प्रार्थी कारण स्पष्ट करते हुये पुनः नगर पंचायत में अवधि बढाने हेतु प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करेगा और जो पूर्व फीस जमा की है उसका 1/2 आधा भाग पुनः फीस के रूप में जमा करनी होगी। यह अवधि 6 माह से अधिक नहीं बढाई जायेगी।

इस छह माह की अवधि बढाने के लिये अधिशासी अधिकारी सक्षम अधिकारी होगा। यदि विशेष परिस्थितियों में प्रार्थी इसके पश्चात् भी समय चाहता है तो एक प्रार्थना पत्र प्रभारी अधिकारी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

9–जैसे ही भवन कर निर्माण कार्य समाप्त होगा वैसे ही प्रार्थी नगर पचांयत को अवगत करायेगा तथा नगर पंचायत द्वारा कम्पलीशन सर्टीफिकेट प्राप्त करेगा, इसके बाद ही भवन रहने योग्य माना जायेगा।

दरें भवन निर्माण

1–व्यवसायिक भवन	40 वर्ग मी0 तक रु0 5.00 प्रति वर्ग मी0 आच्छादित
2–व्यवसायिक भवन	40 वर्ग मी0 से ऊपर रु0 6.00 प्रति वर्ग मी0
3–गोदाम	40 वर्ग मी0 तक रु0 7.00 प्रति वर्ग मी0 अधिक दो
4–गोदाम	40 वर्ग मी0 तक रु0 8.00 प्रति वर्ग मी0
5–होटल या विश्रामगृह	40 वर्ग मी0 से ऊपर रु0 7.00 प्रति वर्ग मी0
6–होटल या विश्रामगृह	200 वर्ग मी0 तक रु0 8.00 प्रति वर्ग मी0
7–रिहायशी भवन	200 वर्ग मी0 से ऊपर रु0 4.00 प्रति वर्ग मी0
8–रिहायशी भवन	500 वर्ग मी0 से तक रु0 5.00 प्रति वर्ग मी0
9–रिहायशी भवन	800 वर्ग मी0 से ऊपर रु0 6.00 प्रति वर्ग मी0

यदि कोई दुकान, रेस्टोरेन्ट या गोदाम किसी सामाजिक या धार्मिक संस्था के द्वारा बनाया जा रहा है तो उससे फीस की दरें उपरोक्त दरों की 1/2 होगी। यदि मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, गिरिजाघर, धर्मशाला, अस्पताल, स्कूल, वाचनालय या अन्य कोई पूजाघर जिससे किराये आदि कहीं आय न हो, वह शुल्कामुक्त होंगे।

यदि प्लान्ट की यदि बाउण्ड्री ही माननीय है तो उसके लिये मात्र रु0 100.00 (सौ रुपया मात्र) फीस देय होगी।

10–निर्माण का प्रार्थना-पत्र आने की तिथि के 90 दिन के भीतर स्वीकृति देना अनिवार्य होगा। यदि समिति को कोई आपत्ति है तो प्रार्थी को अवगत कराया जायेगा। अन्यथा प्रार्थी वाद गुजरने मियाद 90 दिन समिति को एक सूचना-पत्र प्रस्तुत करेगा जिसका समय 7 दिन का होगा, इसके बाद वह अपना निर्माण कार्य आरम्भ कर देगा।

11–समिति को यह पूरा अधिकार होगा कि उचित कारण दर्शाते हुए यह किसी भवन निर्माण की आज्ञा न दें।

12–प्रार्थी का यदि नक्शा स्वीकृत हो जाने के बाद कोई परिवर्तन है तो पुनः दूसरा नक्शा तथा स्वीकृति नक्शा जिस पर उसे आज्ञा प्राप्त हो चुकी है, प्रस्तुत करेगा तथा उपरोक्त अंकित फीस का 1/2 भाग जमा करेगा।

13–स्वीकृति देने के बाद यदि कोई जनहित में उक्त स्वीकृति को रद्द करना उचित समझता है तो पूरे कारण को स्पष्ट करते हुये भू-स्वामी को नोटिस दें और नोटिस देकर आज्ञा को रद्द कर सकता है जिसकी अपील अन्दर मियाद 30 दिन जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जा सकती है।

14–मरम्मत जिसमें केवल प्लास्टर आदि या छत रुकनी हो के लिये रु0 25.00 (पच्चीस रुपया मात्र) फीस तथा सादे कागज पर प्रार्थना-पत्र देगा यदि प्रार्थी पुरानी बुनियादों पर भी क्षतिग्रस्त होने के कारण छत बदलवाना चाहता है तो उसे रु0 60.00 (साठ रुपया) फीस जमा करेगा यदि नीचे की मंजिल बनी है और प्रार्थी दूसरी मंजिल बनाना चहाता है तो उसके उपविधियों में वर्णित पूर्ण प्रक्रिया अपनानी होगी।

15–सड़क पर निर्माण मलबा डालने पर हर 50 वर्ग फीट पर 30 दिन के लिये रु0 40.00 (चालीस रुपया) देय होगा। उसके लिये नियमानुसार कार्य आरम्भ करने से पूर्व अधिशासी अधिकारी द्वारा प्रार्थना-पत्र देकर स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। कार्य समाप्त होने पर सड़क पर पड़ा मैटेरियल साफ करायेंगे और गढ्ढे आदि भरवा देना। यदि यातायात में रुकावट होती है अधिकारी अलीगढ़ का पूर्ण अधिकार होगा कि वे बिना कारण बताये दी गई आज्ञा रद्द कर दे जमाशुदा धनराशि वापिस न की जायेगी।

16–कोई भी प्रोजेक्शन इस प्रकार निर्माण न किया जायेगा कि जिसका बरसाती पानी पूरे भाग में बहता हो जिसकी निकासी एक स्थान से दूसरे स्थान का सुरक्षा पाइप से सुरक्षित पाइप के द्वारा होगी।

दण्ड

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 (1) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत सिढ़पुरा, जनपद कासगंज यह निर्देश देती है कि उपरोक्त उपविधि के किसी भी प्रकार का उल्लंघन करने पर दण्ड दिया जायेगा जो रु0 1,000.00 (एक हजार रुपया) तक हो सकता है। यदि उल्लंघन निरन्तर जारी रहे तो ऐसे प्रत्येक दिन के लिये, जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराधकर्ता है, रु0 25.00 (पच्चीस रुपया) प्रतिदिन अतिरिक्त अर्थ दण्ड दिया जा सकता है और जुर्माना अदा न करने पर तीन मास तक का कारावास का दण्ड सक्षम न्यायालय द्वारा जा सकता है।

कंचन गुप्ता,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत सिढ़पुरा,
जनपद कासगंज।

कार्यालय, नगर पंचायत फतेहपुर जनपद–बाराबंकी

09 नवम्बर, 2021 ई0

सं0 1805/न0पं0फ0/यू0चा0 नियमावली/अधि0/2021-22–नगर क्षेत्र को स्वच्छ बनाने के लिये नगरपालिका अधिनियम, 1916 व ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन नगर पंचायत फतेहपुर, बाराबंकी में 28 अगस्त, 2020 को ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन उपविधि, 2020 लागू किये जाने हेतु उपविधि का 19 नवम्बर, 2021 के राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशन कर आपत्तियों/सुझावों को मांगा गया था। उक्त निर्धारित अवधि में लगभग 70 आपत्तियां प्राप्त हुयी है जिसके निस्तारण हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, गठित कमेटी द्वारा प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण कर लिया गया है। अतः ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन उपविधि, 2020 को लागू किये जाने हेतु उपविधि का अन्तिम प्रकाशन कराया जा रहा है।

नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 298 के आधीन नगर पंचायत फतेहपुर, बाराबंकी में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु यह उपविधि बनती है। यह उपविधि ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध (प्रबन्धन व हथालन) उपविधि, 2020 कहलायी जायेगी, जो गजट में प्रकाशित होने के पश्चात् लागू माना जायेगा।

नगर पंचायत फतेहपुर, जनपद बाराबंकी में एस0बी0एम0 के अन्तर्गत यूजर चार्ज नियमावली, 2020

1–यह नियमावली ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन उपविधि, 2020 कहलायेगी।

2–यह उपविधि नगर पंचायत फतेहपुर, बाराबंकी सीमान्तर्गत लागू होगी।

3– यह उ0प्र0 सरकारी गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

4–इस नियमावली में अधिशासी अधिकारी से तातपर्य नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी से है।

5–अधिनियम का तात्पर्य नगर पालिका अधिनियम 1916 से है।

6–भविष्य में एस0बी0एम0 के अन्तर्गत यूजर चार्ज सम्बन्धी कोई भी शासनादेश जारी होता है तो वह स्वतः लागू होगा।

प्राधिकारी का अर्थ–नगर पंचायत फतेहपुर, बाराबंकी के अधिशासी अधिकारी से होगा।

प्राधिकारी संस्था–नगर पंचायत फतेहपुर, बाराबंकी से है।

क्षेत्र–यह उपविधि नगर पंचायत फतेहपुर, बाराबंकी की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में समान रूप से प्रभावशाली होगी।

1–समस्त निवासियो के लिये यह अनिवार्य होगा कि वे ठोस अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 में उल्लिखित नियमों के अनुसार अपने स्थल पर उत्सर्जित/उनके द्वारा उत्पन्न किये गये अपशिष्ट को उद्गम स्थल पर तीन हिस्सों में गीला सूखा एवं परिसंकटमय अपशिष्टों में तीन क्रमशः हरा, नीला व लाल, सफेद ढक्कननुमा कचरा पात्र में भण्डारित करना होगा व दिन में एक बार ही नगर पंचायत फतेहपुर, बाराबंकी द्वारा निर्धारित कूड़ा चुनने वाले अथवा डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रहकर्ता को निर्धारित मासिक शुल्क देकर निस्तारण सुनिश्चित करना होगा। ताकि आम सड़कों मार्गों पर नगर पंचायत द्वारा स्वच्छ करने के पश्चात् किसी प्रकार की गंदगी कूड़ा-करकट नही फैले।

2–कोई व्यक्ति व संस्था निर्माण एवं ध्वस्तीकरण अपशिष्ट को पृथक रूप से अपने परिसर मे भंडारित करेगा एवं Construction and Demolation Waste Rule 2016 के अनुसार निपटान करेगा।

3–नगर में स्थित सभी को-आपरेटिव सोसाइटीज, एसोसियेशन आवासीय एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के प्रबन्धन की यह जिम्मेदारी होगी कि वे आवश्यक घनत्व में उपर्युक्त स्थान पर आवश्यक संख्या में अपने स्वयं के कंटेनर (नीला व हरा रंग के) स्थापित करेंगे जिनमें दैनिक उत्सर्जित कचरे का पृथक-2 भंडारण हो सके जिसका निस्तारण नगर पंचायत द्वारा निर्धारित देय यूजर चार्जेज देकर करायेगा।

4–कोई भी व्यक्ति/नागरिक अपशिष्ट को गली/मार्गो व खुले सार्वजानिक स्थानों नाली/नाला या जलाशयों में न फेंकेगा, न जलायेगा और न ही गाड़ेगा। उपविधि का पालन न करने की दशा में रु0 5,000.00 का जुर्माना वसूल किया जायेंगा अथवा न्यायालय में अभियोग दायर किया जा सकेगा।

5–कोई भी व्यक्ति/नागरिक अपने आवास के समीप खाली स्थानों पर कूडा नही डालेगा न डालने देगा कूड़े के समीप निवासी को जिम्मेदार समझा जायेगा जिसके लिये निकाय निर्धारित चालान करने में समर्थ होगा एवं अभियोग दायर किया जा सकेगा।

6–बूचड़ खानों, मांस-मछली बजारों, फल एवं सब्जी बाजारों के अपशिष्ट जो जैव निम्नकरणीय प्रवृत्ति का होता है का प्रबंध ऐसी रीति से किया जायेगा कि ऐसे अपशिष्ट को उपयोग में लाया जा सके ऐसे व्यवसायियों को स्वत अपने प्रबंध कर नियमानुसार नगर पंचायत को मासिक यूजर चार्ज देकर निस्तारण सुनिश्चित कराना होगा ।

7–अस्पतालों नर्सिंग होम्स क्लीनिक लैबोरेटरी आदि द्वारा जैव चिकित्सीय को नगरीय ठोस अपशिष्ट के साथ नही मिलाया जायेगा। अस्पतालों नर्सिंग होम्स एवं क्लीनिक आदि के प्रबंधन द्वारा जैव चिकित्सीय अपशिष्ट नियम, 2016 के निर्देशानुसार जैव चिकित्सीय अपशिष्ट का प्रबंध स्वयं सुनिश्चित कराना होगा एवं नगरीय ठोस अपशिष्ठ का प्रबंध नगर पंचायत द्वारा निर्धारित यूजर चार्जेज देकर सुनिश्चत कराया जायेगा।

8–कोई भी व्यक्ति/निवासी अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट को अपने ही परिसर में पृथक रूप से भण्डारित करेगा और समय-समय पर नगर निकाय द्वारा निर्धारित शुल्क (यूजर चार्जेज) देकर निपटान करेगा।

9–कोई भी व्यक्ति/व्यवसायी निर्माण सामग्री को किसी दशा में सार्वजनिक स्थान पर नही डालेगा। अनाधिकृत रूप से निजी मलवा/सामग्री डालना अधिनियम व नियमों के तहत दण्डनीय अपराध होगा।

10–अपशिष्ट कूड़ा करकट सूखी पत्तियों को जलाया नही जायेगा।

11–कोई व्यक्ति अग्रिम रूप से कम तीन दिवस पूर्व स्थानीय निकाय/नगर पंचायत को सूचित किये बगैर किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्ति से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नही करेगा और पृथक अपशिष्ट को पंचायत द्वारा निर्धारित यूजर चार्जेज जमा कर नियोजित अपशिष्ट संग्रहण अधिकरण को सौंपेगा।

12–मार्ग विक्रेता जिसके अन्तर्गत फेरीवाला, गली की लेन, सार्वजनिक पार्को, सार्वजनिक स्थानों या प्राइवेट स्थानों पर अस्थाई निर्मित संरचना पट या घूम-2 कर व्यवसाय करने वाले विक्रेताओं को उनके द्वारा उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट के निपटान हेतु ढ़क्कन युक्त कूड़ा पात्र रखना होगा।

13–कोई भी व्यक्ति नगर पंचायत द्वारा स्थापित अपशिष्ट कूड़ेदान के बाहर नही फेंकेगा। निर्धारित कूड़ेदान में निर्धारित अपशिष्ट डालेगा।

14–पशुओं को अपशिष्ट कूड़ादान स्थलों अथवा शहर के किसी अन्य स्थान के आस-पास घूमने नही दिया जायेगा इसका अधिकृत क्षेत्र/स्थल पर ही प्रबन्ध करना होगा।

15–कोई भी व्यक्ति अपने भवन संस्थान व्यापारिक प्रतिष्ठान से गन्दा पानी, कीचड़ पानी, नाईट स्वाइल, गोबर मलमूत्र दूषित जल अपने परिसर में किसी प्रकार एकत्रित नही करेगा न सार्वजनिक मार्गों एवं नालियों में बहने देगा जिससे वातावरण दुर्गन्ध से प्रदूषित हो व जन स्वास्थ को हानि होने की संभावना हो अथवा आवागमन में बाधक हो अन्यथा उसके विरुद्ध जुर्माना वसूल किया जा सकेगा एवं न्यायालय में अभियोजन किया जा सकेगा।

16–कोई व्यक्ति किसी प्रकार का मृत मवेशी अथवा उसके अवशेष सार्वजनिक स्थानों इत्यादि पर नहीं डालेगा। नगर पंचायत को निर्धारित यूजर चार्जेज देकर उसका निपटान करायेगा।

17–नगर पंचायत सीमा के अन्दर खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों सें पाँच सौ रुपये एंव पेशाब करने वाले व्यक्तियों पर सौ रुपये जुर्माना वसूला जायेगा। जिसकी अदायगी व्यक्तियों को तुरन्त करनी होगी।

18–यह कि माननीय उच्च न्यायालय की सुनवाई दिनांक 09 नवम्बर, 2016 व नगर विकास अनुभाग-5 के आदेश संख्या 3595/नौ-5-2016-29/2014 दिनांक 08 नवम्बर, 2016 के अनुपालन में सड़क के किनारे भवन निर्माण अवशेष रखने पर रु0 50,000.00 का आर्थिक दण्ड वसूल किया जायेगा।

19—कोई भी व्यक्ति/निवासी सरकारी भवनों, चौराहों एवं दीवारों व गेटों पर निजी या व्यापारिक प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर व स्लोगन नही लिखायेगा।

घर-घर कचरा संग्रहण योजना के तहत घर-घर कचरा एकत्रित करने हेतु निम्नानुसार दरें तय की जाती है।

क्र0 सं0	उपभोक्ता की श्रेणी	सहयोग राशि (उपभोक्ता द्वारा) प्रतिमाह नगर पंचायत फतेहपुर क्षेत्र/प्रतिमाह
1	2	3
		रु0
1	गेस्ट हाउस	500.00
2	हॉस्टल	400.00
3	व्यावसायिक कार्यालय, सरकारी कार्यालय, बैंक, बीमा कार्यालय, होटल रेस्टोरेंट।	500.00
4	नर्सिंग होम (50 बेड तक)	1,500.00
5	नर्सिंग होम (50 बेड से अधिक)	3,000.00
6	छोटे उद्योग (10 किलो कूड़ा प्रतिदिन)	500.00
7	गोदाम, कोल्ड स्टोर (कूड़ा)	1,000.00
8	बारात घर, धर्मशाला (3000 वर्ग मीटर तक)	1,500.00
9	बारात घर, धर्मशाला (3000 वर्ग मीटर से अधिक)	4,000.00
10	दो पहिया वाहन एजेन्सी	300.00
11	चार पहिया वाहन एजेन्सी	500.00
12	व्यावसायिक काम्पलेक्स अथवा मार्केट	1,000.00
13	माल	1,500.00

नगर पंचायत की शक्तिः—

1—नगर पंचायत क्षेत्र में नगरीय ठोस अपशिष्टों या कूड़ा-करकट फैलाना प्रतिषेध होगा यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थानों, मार्गों, निजी खुले स्थानों, पार्कों, पानी के श्रोतों इत्यादि पर गंदगी कूड़ा-करकट फैलाते व रखते पाया जाता है, तो प्राधिकृत अधिकारी जो निरीक्षक के स्तर से कम का नही हो अथवा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधिकृत कर्मचारी संलग्न "अनुसूची-अ" में घोषित/समय पर निकाय द्वारा निर्धारित जुर्माना (केरिंग चार्जेज) ऐसे दोषी व्याक्तियों से मौके पर ही वसूल करने में सक्षम होगा।

2—नियम को लागू कराने हेतु जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी द्वारा इसे सख्ती से लागू कराया जायेगा। लागू कराने मे असक्षम/लापरवाही/असमर्थ कर्मचारी के विरुद्ध नगरपालिका अधिनियम, 1916 में उल्लेखित नियमों के अधीन सख्त कार्यवाही का अधिकारी "प्राधिकारी" को होगा।

"अनुसूची-अ"

उपविधियों के उल्लंघन में किये गये कृत्यों के लिए निर्धारित कैरिंग चार्ज

क्र0 सं0	कृत्य	धनराशि प्रतिदिन
1	2	3
		रु0
1	रिहायशी भवनों के निवासियों	50.00
2	दुकानदारों द्वारा कचरा डालने पर	50.00
3	रेस्टोरेंट मालिकों द्वारा खुला कचरा डालने पर	2,000.00

1	2	3
		रु0
4	होटल मालिकों द्वारा कचरा डालने पर	5,000.00
5	औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा कचरा डालने पर	4,000.00
6	हलवाई, चाट, पकौड़ी, फास्ट फूड, आइसक्रीम, गन्ने का रस एंव अन्य जूस, सब्जी एवं फूट आदि ठेला व्यवसायियों पर	50.00
7	सार्वजनिक स्थानों पर पेशाब करने वालों पर	50.00
8	गोबर सार्वजनिक स्थान पर डालने पर	500.00
9	निजी मकान, दुकान इत्यादि के निर्माण का मलबा, निर्माण सामग्री ईट, सीमेन्ट लोहा, पत्थर सरकारी भूमि पर डालने पर।	500.00
10	निजी ट्रैक्टरों द्वारा बजरी, कचरा मलबा, गोबर इत्यादि परिवहन करते हुए नगर पंचायत की सड़कों पर अपनी सामग्री बिखेरने व गन्दगी फैलाने पर	1,000.00
11	सरकारी भवनों, चौराहों एवं दीवारों व उनके गेटों पर निजी वाणिज्यि प्रचार-प्रसार हेतु पोस्टर चिपकाने, स्लोगन लिखकर सरकारी दीवारें ऐतिहासिक भवनों की सुन्दरता को खराब करने व बैनर्स लगाने पर उस संस्था के मालिक अथवा मौके पर पाये गये व्यक्ति से (प्रत्येक कृत्य पर)	1,500.00
12	बिना सक्षम स्वीकृति के रोडकट करने पर	6,000.00
13	अपने मकानों का गन्दे पानी का निकास आम सड़क पर करने पर	500.00
14	अपने मकान भवन का सीवरेज कनेक्शन नही लेकर सीवरेज की गन्दगी आम नाली/नाले में बहाने पर	500.00
15	क्रमांक 02 से 06 तक वर्णित व्यवसाइयों द्वारा अपने व्यवसाय स्थल का कचरा एकत्रित रखने के निर्धारित ढ़क्कनदार कचरा पात्र आवश्यक क्षमता का नही रखने पर।	1,000.00
16	दुकान अथवा ठेला व्यवसाइयों द्वारा सड़क पर बैठकर स्कूटर व साईकिल रिपेरिंग कर आयल मिट्टी व पानी फैलाकर गन्दगी करने पर ।	600.00
17	मीट की दुकानों के सामने दुकानदार द्वारा काटे गये जानवरों की हड्डियां, मलबा, मलीदा, खून, मुर्गे के पंख, अण्डों के छिलके इत्यादि सड़क पर व आम रास्ते/रास्तों में डालकर गन्दगी फैलाने पर।	500.00
18	आम रास्ता सड़क व मकान के सामने गाय, भैंस, बकरी, कुत्ते, भेड़, ऊंट गधा, सुअर इत्यादि पालतू जानवरों से गन्दगी फैलाने पर।	500.00
19	शादी/विवाह स्थलों के बाहर कचरा डालने पर।	500.00
20	आम रास्ता सड़क पर खुले में या टेन्ट लगाकर खुले आम मांस-मछली पकाने व अंश सड़क पर डालने व गदंगी फैलाने पर	1,500.00
21	सार्वजनिक स्थान, जमीन व सड़क के किनारे बैठकर सब्जिया बेचकर छिलके व अंश सड़क पर डालने व गन्दगी पर।	50.00
22	हेयर कटिंग सैलून वालों द्वारा आम रास्ता व सड़क पर गन्दगी बाल इत्यादि डालने पर।	100.00

1	2	3
		रु0
23	दुकानदारों अथवा व्यवासायिक द्वारा आम सड़क अथवा जमीन पर अतिक्रमण कर भवन सामग्री डालकर व्यवसाय करने पर।	5,000.00 उपविधियों का लगातार उल्लघंन करने पर अभियोजन भी चलाया जा सकेगा।
24	आम रास्ता सड़क फुटपाथ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय ढ़ाबा चलाकर गन्दगी फैलाने पर।	500.00
25	प्राईवेट अस्पताल, नर्सिंग होम क्लीनिक जमीन पर अतिक्रमण कर भोजनालय ढ़ाबा चलाकर गन्दगी डालकर गन्दगी फैलाने पर।	1,000.00
26	खुले मे शौच जाने पर	100.00

निगहत मशकूर,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत फतेहपुर,
बाराबंकी।

कार्यालय नगर पंचायत फतेहपुर, जनपद बाराबंकी

17 अगस्त, 2021 ई0

स्वकर निर्धारण नियमावली/उपविधि

सं0 1686/न0पं0फ0/2021-22—शासनादेश संख्या 135/9-9-11-190 द्वि0रा0वि0मा0/04 नगर विकास अनुभाग-9 दिनांक 18 मार्च, 2011 द्वारा नगरपालिका परिषदों/नगर पंचायतों में गृहकर निर्धारण हेतु स्वकर मूल्यांकन व्यवस्था प्रभावी किये जाने हेतु आदेशित किया गया है। उक्त शासनादेश के क्रम में नगर पंचातय फतेहपुर जनपद बाराबंकी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले भवनों/भूखण्ड़ों के वार्षिक किराया मूल्य की गणना हेतु नगर क्षेत्र के समस्त मोहल्लों के अन्तर्गत भवनों/भूखण्डों के प्रत्येक समूह के लिये कार्पोरेट एरिया/क्षेत्रफल के प्रतिवर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर निर्धारित की जा रही है तथा उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1960 (उत्तर प्रदेश अधिनियम सं0 2 सन् 1916) की धारा 128 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुये अधिसूना 3732 ×× III-466 दिनांक 25 मार्च, 1943 तथा अधिसूचना संख्या 404-V/XI-140-1936 दिनांक 10 फरवरी, 1939 के अधीन प्रकाशित विज्ञप्ति क्रमशः गृहकर जलकर नियमावली में संशोधित करते हुये उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2011 की पठित धारा 128, प्रतिस्थापन करते हुये उल्लिखित धाराओं की शक्ति का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत फतेहपुर में सम्पत्ति कर, गृहकर, जलकर नियमावली/उपविधि बनायी है। इस क्रम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1352/न0पं0फ0/2020-21 दिनांक 15 सितम्बर, 2020 को अनन्तिम प्रकाशन 03 सितम्बर, 2020 को कराया गया था जिसमें 30 दिवस के भीतर आपत्ति/सुझाव मांगे गये थे। निर्धारित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नही हुये है। अतः उक्त नियमावली को अंतिम रूप से प्रकाशित किया जा रहा है उक्त स्वकर निर्धारण नियमावली नगर पंचायत, फतेहपुर में गजट प्रकाशन की तिथि से प्रभावी हो जायेगी।

(गृहकर-जलकर) नियमावली, 2020

नियमावली/उपविधि

1—यह नियमावली नगर पंचायत फतेहपुर की सीमा में स्थित भवनों तथा सम्पत्तियों पर स्वतः कर निर्धारण नियमावली, 2020 कही जायेगी।

2–यह नियमावली नगर पंचायत फतेहपुर की सीमा में लागू होती है।

3–बोर्ड बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि कोरोना महामारी को देखते हुए यह नियमावली राजकीय गजट के प्रकाश के पश्चात् वित्तीय वर्ष 2020-2021 से लागू होने के स्थान पर यह नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशन के पश्चात्/वित्तीय वर्ष 2021-22 से लागू होगी।

4–"नगर पंचायत" का तात्पर्य नगर पंचायत फतेहपुर से है।

5–"अधिशासी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत फतेहपुर के अधिशासी अधिकारी से है।

6–"प्रशासक/बोर्ड" का तात्पर्य नगर पंचायत फतेहपुर के प्रशासक/बोर्ड से है।

7–"अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी" का तात्पर्य नगर पंचायत फतेहपुर के अध्यक्ष/प्रशासक/प्रभारी अधिकारी है।

8–"अधिनियम" का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगरपालिका अधिनियम, 1916 से है।

9–"शासनादेश" का तात्पर्य उ0प्र0 शासन द्वारा जारी आदेशों/निर्देशों से है।

10–कोई भी व्यक्ति यदि नगर पंचायत फतेहपुर की सीमा में भवन/भूमि के स्वामी/अध्यासी है तो वे भवन/भूमि के सम्पत्ति कर का निर्धारण स्वमूल्यांकन द्वारा कर लेंगे। इसके लिये नगर पंचायत फतेहपुर से एक आवेदन-पत्र (प्रपत्र क और प्रपत्र ख) प्राप्त करके अपने मकान का ब्यौरा देकर उपविधि में दी गई निर्धारित दर के अनुसार स्वयं स्वकर निर्धारण करेंगे।

11–आवेदन-पत्र (प्रपत्र क और प्रपत्र ख) नगर पंचायत फतेहपुर से निर्धारित शुल्क जमा कर प्राप्त किया जा सकता है।

12–जिन भवन/भूमि स्वामी/अध्यासी द्वारा स्वकर निर्धारण का विकल्प नही अपनाया जायेगा, तो उनके सम्बन्ध में कर का निर्धारण व वसूली की कार्यवाही नियमानुसार नगर पंचायत फतेहपुर जनपद बाराबंकी द्वारा की जायेगी।

13–भवन/भूमि के स्वामी/अध्यासियों द्वारा आवेदन-पत्र में गलत तथ्य/सूचना देने पर उसको रुपये 3,000 से अनाधिक अर्थदण्ड देय होगा।

14–भवन–इसमें वह सभी अहाते, उपघर आदि तथा यदि एक संयुक्त परिसर में कई भवन स्थित है तो इस परिसर के सभी इमारतों के परिसर की भूमि सहित भवन कहा जायेगा और भवन का तात्पर्य सं0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा मे अंकित परिभाषा से है।

15–"सम्पत्ति" का तात्पर्य किसी भवन/भूमि या दोनों से है।

16–"आच्छादित क्षेत्रफल" का तात्पर्य कुर्सी के ऊपर जिस पर भवन निर्मित है के प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्रफल से है।

17–कारपेट एरिया की गणना निम्नानुसार की जायेगी–

(1) कमरें–आन्तरिक आयाम की पूर्णमाप।

(2) आच्छादित बरामदा–आन्तरिक आयाम की पूर्णमाप।

(3) बालकनी, कारीडोर, रसोई व भण्डार गृह-आन्तरिक आयाम की 50 फीसदी माप।

(4) गैराज–आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप।

(5) स्नानागृह, शौचालय पोर्टिकों और जीने से अच्छादित क्षेत्र-कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

अथवा

कारपेट एरिया–आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत भाग।

18–कर का निर्धारण–कर का निर्धारण निम्नांकित के आधार पर किया जायेगा–

(1) वार्षिक मूल्य की गणना वार्षिक मूल्य = कारपेट एरिया × निर्धारण प्रति ईकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12

या

आच्छादित क्षेत्रफल × निर्धारित प्रति ईकाई का क्षेत्रफल का किराया दर × 12 × 80 %

19–करों का भुगतान–अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा प्रधिकृत कोई अधिकारी बनाये गये नियम अधीन निर्धारित भवन/भूमि (सम्पत्ति) कर के भुगतान हेतु स्वामी/अध्यासी को बिल भेजेगा, जिसमें एक ऐसा दिन निर्दिष्ट होगा, नगर पंचायत फतेहपुर जनपद बाराबंकी कार्यालय अथवा उसके द्वारा अधिसूचित बैंक में कर का भुगतान किया जायेगा। स्वकर निर्धारण का भुगतान सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किये जाने पर भी निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। निर्धारित अवधि में भुगतान न करने की दशा में नियमावली में दी गई शास्ति तथा नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 173 (क) के भी अनुसार कर की वसूली की जायेगी। धारा 173 (क) के भी अनुसार कर की वसूली की जायेगी। धारा 173 (क) की कार्यवाही कर खर्च तथा व्यय धनराशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लिया जायेगा।

(1) यह कि नगरपालिका बोर्ड की ओर से अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी जैसी भी परिस्थिति हो नगरपालिका अधिनियम की धारा 158 (1) (2) के अर्न्तगत पत्र भेजकर किसी भवन/भूमि स्वामी को उसकी सम्पत्ति आदि के बारे में विवरण प्रस्तुत करने तथा अन्य दस्तावेज मांगने व प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(2) इस उपविधि के किसी भी प्राविधान के बारे में नगर पंचायत फतेहपुर यदि संतुष्ट है कि उपविधि के किसी भी प्राविधान का दुरुपयोग परिषद् द्वारा किया जा रहा है अथवा कोई प्राविधान जनहित में नहीं है, तो उक्त प्राविधान को निरस्त करनें, छूट देने अथवा संशोधित करने का अधिकार नगर पंचायत फतेहपुर का होगा।

20–स्वतः अधसित भवनों के लिये छूट–

(1) 10 वर्ष तक के पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 25 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(2) 10 वर्ष से 20 वर्ष तक के पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 32.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

(3) 20 वर्ष से अधिक पुराने भवनों के वार्षिक मूल्यांकन में 40 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी।

21–किराये पर उठे आवासीय भवन–किराये के भवनों में वास्तविक वार्षिक किराया मूल्यांकन निर्धारित दर पर देय होगा, परन्तु नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 140 (2) में यह प्रतिबन्ध है, कि जहां नगर पंचायत किराये में किसी कारण से आसाधारण परिस्थितियों में किसी भवन का वार्षिक मूल्य यदि उपर्युक्त रीति से गणना की गई हो, अत्यधिक हो, नगर पंचायत किसी भी धनराशि पर जो उसे न्याय संगत प्रतीत हो वार्षिक मूल्य नियत कर सकती है।

22–व्यवसायिक सम्पत्तियों से तात्पर्य–सभी प्रकार की फुटकर दुकानें, शोरूम बेकरी, आटा चक्की, कोयला लकड़ी, कृषि उपकरणों के विक्रय केन्द्र, शीतगृह, रिजार्ट, होटल व वेब-साईट, रेस्टोरेन्ट, भोजनालय, जलपान गृह, रेस्टोरेन्ट, कैन्टीन, सिनेमा व मल्टीप्लेक्स, अस्थाई सिनेमा, पी0सी0ओ0 पेट्रोल व डीजल फिलिंग स्टेशन, गोदाम/गैस, अधिष्ठान, भण्डारण तथा गोदाम निजी कार्यालय बैंक वाणिज्य कार्यालय से है।

23–औद्यौगिकी सम्पत्तियों से तात्पर्य सेवा/कुटीर उद्योग, पावरलूम, कारखाना, चीनी मिल, सूचना प्रौद्योगिकी/साफ्टवेयर टेक्नोलॉजी/एल0पी0जी0 व फीलिंग प्लाट, विद्युत उत्पादन/संयत्र/केन्द्र आदि से है।

24–इन्स्टीट्यूशनल (संस्थागत) सम्पत्तियों से तात्पर्य–राजकीय, अर्धराजकीय, स्थानीय निकाय कार्यालय, श्रमिक कल्याण केन्द्र, पी0ए0सी0 पुलिस लाईन, मौसम अनुसंधान केन्द्र, वायरलेस केन्द्र, अतिथि गृह, निरीक्षण गृह, धर्मशाला, रैनबसेरा, लांजिग, बोर्डिंग हाउस, छात्रावास, अनाथालय, सुधारालय, कारागार, हैंडीकैप, चिल्ड्रेन हाउस, शिशुगृह एवं दिवस देखभाल केन्द्र, वृद्धावस्था केन्द्र, प्राथमिक शैशिक संस्थान, उच्च माध्यमिक इण्टर/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/पॉलीटेक्निक, इंजीनियरिंग, विशिष्ट शैक्षिक संस्थान, आई0टी0आई0, डाकघर, तारघर, पुलिस स्टेशन/चौकी, अग्नि शमन केन्द्र, पुस्तकालय, नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, कला केन्द्र, सिलाई, बुनाई, कढ़ाई,

पेन्टिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण इत्यादि। आडिटोरियम, नाट्यशाला, थियेटर, योग, सामूदायिक केन्द्र, धार्मिक केन्द्र, बारात घर, कान्फ्रेस एवं मीटिंग हाल, प्रर्दशनी केन्द्र, रेडियों व टेलीवीजन कार्यालय/केन्द्र नर्सिंग होम व अस्पताल आदि।

नोट—जो भी सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक संस्थायें निःशल्क व जनहित में कार्य कर रही है, वे कर से मुक्त होगी । परन्तु जिस धार्मिक/राजनीतिक संस्था का जितने भाग का उपयोग व्यवसायिक होगा, उस पर कर देय होगा।

25—रेन्ट कन्ट्रोल के मकान—रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम, 1972 के अधीन आने वाले आवासीय भवनों पर नगर पंचायत फतेहपुर प्रत्येक करों की गणना के लिये वार्षिक किराये का निर्धारण रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम के अनुसार नहीं किया जायेगा, ऐसे भवनों के करों की देयता उ0प्र0 नगरपालिका अधिनियम, 1916 के प्राविधानों के अर्न्तगत शासनादेश संख्या 135/9-9-11—190 द्वि0रा0वि0मा0/04 नगर विकास अनुभाग-9 दिनांक 18 मार्च, 2011 निर्धारित की जायेगी।

26—जिन भवनों/व्यवसायिक भवनों में किरायेदार और सर्वे में भवन स्वामी का पता नही चलता है तो ऐसे भवनों में किरायेदार/अध्यासी को ही गृहकर-जलकर का भुगतान करना होगा।

27—करों में छूट—

(क) गृहकर/जलकर की देयता वार्षिक होगी। 01 अप्रैल से 30 सितम्बर के मध्य कर जमा कर दिये जाने की दशा में 10 प्रतिशत् की छूट अनुमन्य होगी। इसके पश्चात् कर जमा करने पर कोई छूट अनुमन्य नही होगी।

(ख) सम्बंधित वर्ष में कर जमा नही करने की दशा में आगामी वित्तीय वर्ष्रो में गृहकर/जलकर पर 12 प्रतिशत् सरचार्ज देय होगा।

(ग) विशेष परिस्थितियों में आर्थिक स्थिति को देखते हुए व्यक्ति के करो में कटौती करने का निर्णय बोर्ड द्वारा लिया जायेगा।

28—सम्बंधित सूचना प्रपत्र (क) प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। भवन के क्षेत्रफल एंव दरों के सम्बंध में कोई त्रुटिपूर्ण विवरण होने की दशा में स्वामी/अध्यासी से सम्पत्ति की देयता में होने वाले अन्तर के चार गुना धनराशि, शास्ति (जुर्माना) के रूप में ली जायेगी। निर्धारित अवधि तक विवरण न जमा करने की दशा में 50 वर्ग मीटर/200 वर्ग मीटर/400 वर्ग मीटर तथा उसके अधिक भू-खण्ड पर क्रमशः रु0 1,000.00/2,000.00/3,000.00/5,000.00 तक शास्ति (जुर्माना) आरोपित करके वसूल किया जायेगा तथा 30 दिन के विलम्ब की स्थिति में शास्ति (जुर्माना) का 05 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिया जायेगा।

29—भवन किराये पर देने या रिक्त होने, भवन में निर्माण/पुर्ननिर्माण होने से आच्छादित क्षेत्रफल (कारपेट एरिया) में वृद्धि होने पर तथा भवन के व्यवसायिक/औद्योगिक प्रयोग होने पर 60 दिनों के अन्दर प्रपत्र ख में ही पुनः विवरण भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर अथवा इसमें किसी प्रकार कि चूक करने नर सम्पत्ति कर दुगनी धनराशि अथवा रुपया 100.00 प्रतिदिन की दर से जो भी कम हो, शास्ति का भुगतान करना होगा।

30—जिन भवनों/भूमि को नगर पंचायत फतेहपुर जनपद बाराबंकी द्वारा भवन/भूमि की संज्ञा दी जा चुकी है उन्हें भी प्रपत्र "क" और प्रपत्र "ख" पर उपरोक्तानुसार भरकर जमा करना अनिवार्य है तथा उसके भवन/भूमि पर आदि कोई पूर्व का बकाया है तो प्रपत्र "क" के अनुसार देय कर एंव पूर्व बकाया कर भी जमा करेंगें।

31—मकानों को दर्ज करने सम्बंधी नियम—कोई भी व्यक्ति किसी भी समय यदि किसी भी भवन या भूमि पर अपना नाम अध्यासी अथवा स्वामी के रूप में करदाता सूची में अंकित कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रपत्र के साथ साक्ष्य सहित नगरपालिका परिषद द्वारा निर्धारित शुल्क जमाकर आवेदन करना होगा और यदि उसके नाम के सम्बन्ध में कोई आवेदन निरस्त करनें हेतु विचाराधीन है तो उसका उल्लेख लिखित रूप में आवेदन-पत्र में किया जायेगा अन्यथा उसके वाद कर सूची में आवेदन एंव साक्ष्य के अनुसार नाम कर निर्धारण सूची में अंकित कर दिया जायेगा।

32—मकानों के हस्तान्तरण सम्बन्धी नियम—

(क) यदि किसी भवन अथवा भूमि पर जिस पर कर आरोपित है स्वामित्व हस्तान्तरण होता है तो स्वतत्व हस्तान्तरित करने वाले व्यक्ति तथ संस्था अथवा स्वतत्व पाने वाला व्यक्ति या संस्था ऐसे हस्तान्तरण के तीन

माह के अन्दर उसकी सूचना साक्ष्य सहित नगर पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करकें निर्धारित प्रपत्र आवेदन-पत्र अधिशासी अधिकारी को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

(ख) यदि किसी कर दाता अथवा भवन/भूमि के स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस को मृत्यु के दिनांक से 03 माह के अन्दर इसकी लिखित सूचना नगर पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करके आवेदन-पत्र साक्ष्य सहित अधिशासी अधिकारी को देना होगा।

(ग) यदि किसी भूमि–भवन का वारिस/उत्तराधिकारी 03 माह के अन्दर सूचना देनें में असफल रहता है तो 03 माह के बाद प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर उसे अधिकतम मु0-100.00 प्रतिवर्ष अथवा नगर पंचायत द्वारा निर्धारित विलम्ब शुल्क लिया जायेगा।

33–कर निर्धारण दर–

(I) गृहकर वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत् तथा जलकर वार्षिक मूल्य का 5 प्रतिशत् देय होगा।

(II) किसी स्वामी द्वारा अध्यासित आवासित भवन जो 30 वर्गमीटर या 322.8 वर्गफुट की माप वाले तथा 15 वर्गमीटर या 161.4 वर्गफुट तक कारपेट क्षेत्रफल वाले भू-खण्ड पर निर्मित हो, उसके स्वामी के स्वामित्व में नगर पंचायत फतेहपुर में सीमा के अन्तर्गत कोई अन्य भवन/भू-खण्ड न हो वार्षिक मूल्य की गणना नही की जायेगी, कर से मुक्त होगें।

34–जलकर–जलमूल्य के जलकर से अधिक होनें की स्थिति में जलमूल्य देय होगा तथा जलमूल्य जलकर से कम हेाने की स्थित में जलकर देय होगा।

35–मुख्य मार्ग से तात्पर्य–मुख्य सड़क, प्रान्तीय मार्ग।

36–अन्य मार्ग से तात्पर्य–मुख्य मार्ग से अन्दर मोहल्ला/कालोनी में जानें वाली सड़के अन्य मार्ग में आयेगी।

37–अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत फतेहपुर द्वारा नगर पंचायत फतेहपुर सीमा में स्थित भवनों/भूमियों का वार्षिक मूल्यांकन नीचे दिये गये न्यूनतम दरों पर निर्धारित की जायेगी।

38–न्यूनतम मासिक किराये की दर का निर्धारण अधिशासी अधिकारी वार्ड के भीतर प्रत्येक दो वर्ष में एक बार, यथास्थिति भवनों के प्रत्येक समूह के लिये कारपेट एरिया को प्रति इकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) न्यूनतम मासिक किराये की दर या भूमि के प्रत्येक समूह के कारपेट एरिया को प्रति ईकाई क्षेत्रफल (वर्गफुट) लागू न्यूनतम मासिक किराये की दर निम्न को ध्यान में रखते हुये नियत करेगा।

(क) भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रयोजन के लिये कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल दर, और

(ख) ऐसे भवन या भूमि के लिये क्षेत्र में वर्तमान किराये की न्यूनतम दर।

प्रतिबंध यह है कि ऐसे मासिक किराये की दर नियत करने के पूर्व अधिशासी अधिकारी ऐसी प्रस्तावित दरों को ऐसे नगर में प्रचालित दैनिक समाचार-पत्र के माध्यम से अधिसूचित करेगा, और तत्पश्चात् हितबद्ध व्यक्तियों को आपत्तियां दाखिल करने के लिये न्यूनतम 15 दिवस का समय देगा। प्राप्त आपत्तियों को 15 भिन्न-भिन्न बंण्डलों का अधिकतम संख्या मे समूह बनाने के पश्चात् ऐसी सभी आपत्तियों पर वार्ड वार्डवार सुनवाई की जायेगी। प्रत्येक बंडल में, यथास्थिति भवनों के एक समूह के लिये प्राप्त आपत्तियां रहेगी। सभी आपत्तियों का निस्तारण स्वयं अधिशासी अधिकारी द्वारा या अधिशासी अधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकरी द्वारा आपत्तिकर्ताओं की कुल संख्या के कम से कम 10 प्रतिशत् व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर प्रदान के पश्चात् किया जायेगा। यह आवश्यक नही होगा कि सभी आपत्तिकर्ताओं को या हितबंद्व व्याक्तियों को व्यक्तिगत रूप से सुना जायेगा। आपत्तियों का बंण्डलवार विनिश्चत किया जायेगा।

(ग) सम्पत्ति का (गृहकर-जलकर) स्वकर निर्धारण प्रक्रिया के अन्तर्गत नगर पंचायत फतेहपुर जनपद बाराबंकी क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त वार्डों/मोहल्ले के भवनों/भू-खण्डों की प्रतिवर्ग फुट किराये की न्यूनतम मासिक दर निम्नवत् है–

सड़क चौड़ाई	आर0सी0सी0/आर0 बी0बी0सी0 छत सहित पक्का भवन हेतु	अन्य पक्का भवन हेतु	कच्चा भवन हेतु	रिक्त भूमि/भू-खण्ड हेतु
1	2	3	4	5
	रु0	रु0	रु0	रु0
10.1 मीटर से अधिक मार्ग पर स्थित भवन/भूमि	1.00 प्रति वर्ग फिट	0.75 प्रति वर्ग फिट	0.50 प्रति वर्ग फिट	0.30 प्रति वर्ग फिट
3.1 मीटर से 10 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भवन/भूमि	0.75 प्रति वर्ग फिट	0.50 प्रति वर्ग फिट	0.40 प्रति वर्ग फिट	0.20 प्रति वर्ग फिट
3 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर स्थित भवन/भूमि	0.50 प्रति वर्ग फिट	0.25 प्रति वर्ग फिट	0.20 प्रति वर्ग फिट	0.10 प्रति वर्ग फिट

वार्डों के नाम–फैय्याजपुरा वार्ड, पचघरा–2 वार्ड, नालापार दक्षिणी–05 वार्ड, काजीपुर–1 वार्ड, ब्रम्हनीटोला–2 वार्ड, काजीपुर–2 वार्ड, पचघरा–1 वार्ड, नालापार दक्षिणी–2 वार्ड, मोलवीगंज–1 वार्ड, नालापार दक्षिणी–4 वार्ड, नालापार दक्षिणी–3 वार्ड, नालापार दक्षिणी–1 वार्ड, नालापार उत्तरी वार्ड, काजीपुर–3 वार्ड, मोलवीगंज–2 वार्ड, ब्रम्हनीटोला–1 वार्ड।

भवन/भूमि अनावासिक/व्यवसायिक हो अथवा भागतः भाग अनवासीय होने की दशा में उक्त अनावासीय भवन/भूमि/भवन के भाग हेतु निर्धारित प्रति वर्ग फीट क्षेत्रीय आवासीय दरों में गुणांक निम्न प्रकार लागू होगा–

(1) प्रत्येक वाणिज्य काम्पेलक्स, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान बैंक कार्यालय, होटल 0 से 3 स्टार, निजी होटल, कोचिंग व प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त को छोड़कर) गुणांक 5 गुना, (2) प्रत्येक प्रकार के क्लीनिक, पालीक्लीनिक, डाइग्नोटिक्स केन्द्र, प्रयोगशालायें, नर्सिंग होम, चिकित्सालय, मेडिकल स्टोर, स्वास्थ्य परिचर्चा केन्द्र, पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, डिपो गोदाम, सामुदायिक भवन, कल्याण मंडप, विवाह क्लब इसी प्रकार के अन्य भवन, औद्योगिक मील/कारखाना, चीनी मिल, सरकारी, अर्धसरकारी सार्वजनिक उपक्रम में कार्यालय–4 गुना (3) टावर, होल्डिंग वाले भवन, टी0वी0 टायर, दूरसंचार टावर या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर शिखर पर या खुले स्थान प्रति स्थापित किये गये है 4 गुना (4) माल्स, 4 सितारा व उसके ऊपर के होटल, पब्स बार, वासगृह, जहाँ भेजन के साथ मदिरा परोसी जाती है–6 गुना (5) क्रीडा केन्द्र जैसे जिम स्वास्थ केन्द्र, थियेटर, छात्रावास, लाज, व्यावसायिक उद्देश्य से आवासीय किरायेदारी–3 गुना (6) अन्य प्रकार के अनावासीय भवन जो उपर्युक्त श्रेणियों में उल्लिखित नही है–3 गुना।

उ0प्र0 शासन नगर विकास अनुभाग-9 संख्या-2191/नौ-9-19-85ज/05 टी0सी0-1 लखनऊ, दिनांक 18 नवम्बर, 2019, उ0प्र0 नगरपालिका (भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर) द्वारा अनन्तिम सूचना जारी की गयी। जिसकी अन्तिम अधिसूचना जारी होते ही इस अधिसूचना को नगर पंचायत फतेहपुर, जनपद बाराबंकी में लागू कर दिया जायेगा।

कार्यालय, नगर पंचायत फतेहपुर, बाराबंकी

प्रपत्र 'क'

सम्पत्ति कर-स्व निर्धारण प्रपत्र

1–(i) स्वामी/अध्यासी का नाम.....

(ii) स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम.....

(iii) भवन /मकान/भू-भाग पर स्थित .....

(iv) किसी भी व्यक्ति का नाम हो तो.....

(v) अगर भवन पर नाम नहीं हो तो .....

(vi) स्वामी/अध्यासी का स्थाई पता .....

2–निम्नलिखित का भवन सम्बन्धी ब्यौरा.....

(i) समस्त कमरों और आच्छादित बरामदों का पूर्ण आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में) .....

(ii) समस्त बालकानी, कारीडोर, रसोई और भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप (वर्ग फुट में) .....

(iii) समस्त गैराज का आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप (वर्ग फुट में) .....

टिप्पणी–स्नानागृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र कारपेट ऐरिया का भाग नहीं होगा।

3–भवन का कारपेट ऐरिया (वर्ग फुट में)– = (i) +1/2 (ii) +1/4 (iii) वर्ग फुट

4–(i) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) .....

(ii) भूमि का क्षेत्रफल, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट में) .....

5–(अ) भवन अवस्थित है–

(1) 10.1 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

(2) 3.1 से 10 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

(3) 03 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

(ब) भवन के निर्माण की प्रकृति–

(1) पक्का भवन, आर0सी0सी0 छत या आर0बी0बी0सी0 छत सहित ☐

(2) अन्य पक्का भवन। ☐

(3) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (1) और (2) में अच्छादित नहीं है। ☐

(स) भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है–

(1) 10.1 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

(2) 3.1 मीटर से 10 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

(3) 03 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

टिप्पणी–कृपया उपर्युक्त 1, 2 या 3 के खाने में जो भी सही हो उसमें सही का निशान लगायें।

6–भवन स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है। कृपया उनमें से किसी एक का उल्लेख करें।

टिप्पणी–यदि वह एक वर्ष से कम की अवधि से खाली है तो उसे स्वामी, द्वारा अध्यासित समझा जायेगा।
यदि वह एक वर्ष से अधिक की अवधि से खाली है तो उसे खाली उल्लिखित किया जायेगा।

7–भवन के निर्माण का वर्ष.....

8–(i) अधिशासी अधिकारी द्वारा भवन के लिए निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर रु0 .....प्रति वर्ग फुट।

(ii) अधिशासी अधिकारी द्वारा भूमि के लिए निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो रु0 .....प्रति वर्ग फुट।

9–(i) भवन का वार्षिक मूल्य = 12 × अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित किराये की न्यूनतम मासिक दर × भवन का कारपेट एरिया=12×8(i) × भवन का कारपेट एरिया (3)

या

12 × अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर × आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत

(ii) भूमि का वार्षिक मूल्य यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो = 12 × अधिशासी अधिकारी द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक किराया दर × भूमि का क्षेत्रफल = 12 × 8 (ii) × 4 (ii)

10–(i) भवन का सामान्य गृहकर = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य × सामान्य गृहकर दर/100

(ii) भवन का जलकर = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य × जलकर दर/100

(iii) भवन का निस्तारण कर = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य × जल निस्तारण दर/100

(iv) भवन का स्वच्छता कर = यथा अवधारित वार्षिक मूल्य × स्वच्छता की दर/100

11–भूमि पर सामान्य कर, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो = 9 (ii) में यथा उल्लिखित वार्षिक मूल्य × सामान्य कर दर/100

12–अधिशासी अधिकारी द्वारा कर जमा करने के लिये निर्धारित नियत दिनांक.....

13–जमा किये गये कर विवरण–

क्र0सं0	कर	बकाया	वर्तमान कर	योग	महायोग	जमा कर की रसीद संख्या व दिनांक
1	2	3	4	5	6	7
1	गृहकर					
2	जलकर					

सत्यापन

मैं, एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि स्वमूल्यांकन कर विवरण में प्रस्तुत किये गये ब्योरे, जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है, ठीक और पूर्ण है। उक्त मूल्यांकन मात्र कर संचय हेतु किया जा रहा है जिसका स्वामित्व से कोई सम्बन्ध नहीं है।

दिनांक .....

अनुप्रमाणक साक्षी

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पिता–माता का नाम .....

पूरा पता .....

अभिस्वीकृति

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पिता–माता का नाम.....

पूरा पता.....

नोट–प्रपत्र क, ख भवन स्वामी के प्राप्ति की तिथि से 15 दिवस के अन्दर वांछित सूचना भरकर कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त करायें। अन्यथा विभाग द्वारा प्रपत्र ख स्वयं भरकर आपके भवन का कर निर्धारण कर दिया जायेगा। जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी स्वयं आपकी होगी।

कार्यालय, नगर पंचायत फतेहपुर, जनपद बाराबंकी

प्रपत्र 'ख'

(भवन के कारपेट एरिया के या भूमि के क्षेत्र के सम्बन्ध में सूचना प्रदान करने के लिये)

1–(i) स्वामी/अध्यासी का नाम.....

(ii) स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम.....

(iii) भवन/मकान/भू भाग पर स्थित .....

(iv) किसी भी व्यक्ति का नाम हो तो.....

(v) अगर भवन पर नाम नहीं हो तो .....

(vi) स्वामी/अध्यासी का स्थाई पता .....

2–निम्नलिखित का भवन सम्बन्धी ब्यौरा.....

(i) समस्त कमरों और आच्छादित बरामदों का पूर्ण आन्तरिक आयाम (वर्ग फुट में) .....

(ii) समस्त बालकानी, कारीडोर, रसोई और भण्डार गृह का आन्तरिक आयाम की 50 प्रतिशत माप (वर्ग फुट में) .....

(iii) समस्त गैरेज का आन्तरिक आयाम की एक चौथाई माप (वर्ग फुट में) .....

टिप्पणी–स्नानागृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने द्वारा आच्छादित क्षेत्र कारपेट ऐरिया का भाग नहीं होगा।

3–भवन का कारपेट ऐरिया (वर्ग फुट में)– = (i) +1/2 (ii) +1/4 (iii) वर्ग फुट

4–(i) भूमि का क्षेत्रफल जिस पर भवन निर्मित है (वर्ग फुट में) .....

(ii) भूमि का क्षेत्रफल, यदि उस पर कोई भवन निर्मित न हो (वर्ग फुट में) .....

5–(अ) भवन अवस्थित है–

(1) 10.1 मीटर से अधिक चौड़ाई वाले मार्ग पर

(2) 3.1 से 10 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

(3) 03 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

(ब) भवन के निर्माण की प्रकृति–

(1) पक्का भवन, आर0सी0सी0 छत या आर0बी0बी0सी0 छत सहित ☐

(2) अन्य पक्का भवन। ☐

(3) कच्चा भवन अर्थात् समस्त अन्य भवन जो (1) और (2) में अच्छादित नहीं है। ☐

(स) भूमि (यदि भूमि पर कोई भवन निर्मित नहीं है) अवस्थित है–

(1) 10.1 मीटर से अधिक की चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

(2) 3.1 मीटर से 10 मीटर तक चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

(3) 03 मीटर से कम चौड़ाई वाले मार्ग पर ☐

टिप्पणी–कृपया उपर्युक्त 1, 2 या 3 के खाने में जो भी सही हो उसमें सही का निशान लगायें।

6–भवन स्वामी द्वारा अध्यासित है या किराये पर है। कृपया उनमें से किसी एक का उल्लेख करें।

टिप्पणी–यदि वह एक वर्ष से कम की अवधि से खाली है तो उसे स्वामी, द्वारा अध्यासित समझा जायेगा।

यदि वह एक वर्ष से अधिक की अवधि से खाली है तो उसे खाली उल्लिखित किया जायेगा।

7–भवन के निर्माण का वर्ष.....

सत्यापन

मैं, एतद्द्वारा घोषित करता हूं कि स्वमूल्यांकन कर विवरण में प्रस्तुत किये गये ब्योरे, जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है, सत्य एवं पूर्ण है। विवरण सम्बन्धी किसी प्रकार की त्रुटि का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा है, नियत सरचार्ज भी देने का हकदार हूं, नियत सरचार्ज भी देने का हकदार हूं तथा सम्पत्ति विवाद उत्पन्न होने की दशा में मैं स्वयं उत्तरदायी हूंगा।

दिनांक .....

अनुप्रमाणक साक्षी

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पिता-माता का नाम .....

पूरा पता .....

अभिस्वीकृति

हस्ताक्षर .....

नाम .....

पिता-माता का नाम.....

पूरा पता.....

अभिस्वीकृति

जिस व्यक्ति से प्रपत्र "क" एवं "ख" प्राप्त किया उसका विवरण नीचे दिया गया है–

1–स्वामी/अध्यासी का नाम.....

2–स्वामी/अध्यासी के पिता का नाम.....

3–भवन /मकान/भूमि संख्या .....

4–भवन/भूमि की अवस्थिति का पता.....

5–स्वामी/अध्यासी का अस्थाई पता .....

6–स्वामी/अध्यासी का स्थाई पता .....

नोट–इस प्रविष्ट का अंकन मात्र "कर" संचय की दृष्टि से है।

दिनांक .....

कर्मचारी हस्ताक्षर.....

नाम .....

पदनाम .....

निगहत मशकूर,
अध्यक्ष,
नगर पंचायत फतेहपुर,
बाराबंकी।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि साझेदारी फर्म श्री लक्ष्मी गैस सर्विस कस्बा व पोस्ट सिकन्दरपुर, तहसील सिकन्दरपुर, जिला बलिया, उ0प्र0 जिसकी पत्रावली संख्या AZ-7173 है। जिसे दिनांक 03 दिसम्बर, 2021 को विघटित कर दी गयी है। फर्म के दो पार्टनर थे जिसमें प्रथम पार्टनर राम विलस जायसवाल पुत्र उमाशंकर जायसवाल, निवासी ग्राम व पोस्ट सोनाडीह, थाना उभांव, तहसील बेल्थरा रोड, जिला बलिया व द्वितीय पार्टनर प्रदीप कुमार गुप्ता पुत्र श्री हरिहर प्रसाद, निवासी ग्राम मलकौली, पोस्ट परसूपुर, तहसील मधुबन, जिला मऊ है। फर्म में किसी प्रकार की किसी भी व्यक्ति की लेनदारी व देनदारी नहीं है। उक्त फर्म के साझेदारों को उक्त विघटन में कोई आपत्ति नहीं है।

राम विलास जायसवाल,
पुत्र उमाशंकर जायसवाल,
निवासी–ग्राम व पोस्ट–सोनाडीह,
थाना–उभांव, तहसील–बेल्थरा रोड,
जिला बलिया।

सूचना

फर्म मेसर्स डी0डी0 आहूजा एण्ड ब्रदर्स, कानपुर नगर में श्री ह्रदय कुमार लालवानी पुत्र स्व0 वरियल दस लालवानी, निवासी 126, मुगलपुरा, फैजाबाद एवं श्रीमती कौशिल्या देवी आहूजा पत्नी श्री दुर्गा दस आहूजा, नि0 120/500-बी, लाजपत नगर कानपुर नगर एवं श्रीमती सुनीता मध्यान पत्नी श्री मनोहर लाल मध्यान, नि0 347 बी ब्लाक, इन्दिरा नगर, लखनऊ, दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को रिटायर्ड हो गये हैं तथा श्री विमल आहूजा पुत्र श्री बेगराज आहूजा नि0 161/9, कोशी राज नगर, कटघर, इलाहाबाद एवं श्री मयंक आहूजा पुत्र श्री जय प्रकाश आहूजा, नि0 120/500-बी, लाजपत नगर, कानपुर नगर, दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को सम्मिलित हो गये हैं तथा वर्तमान में फर्म में निम्न पार्टनर है। श्री दुर्गा दास आहूजा पुत्र स्व0 करम चन्द, नि0 120/500-बी, लाजपत नगर, कानपुर नगर, श्री बेगराज आहूजा पुत्र स्व0 करम चन्द, नि0 161/9, काशीराज नगर, कटघर, इलाहाबाद, श्री जय प्रकाश आहूजा पुत्र श्री दुर्गा दास आहूजा, नि0 120/500-बी, लाजपत नगर कानपुर नगर, श्री विकास आहूजा पुत्र श्री बेगराज आहूजा, नि0 161/9, काशीराज नगर, कटघर, इलाहाबाद श्री विमल आहूजा पुत्र श्री बेगराज आहूजा, नि0 161/9,, काशीराज नगर, कटघर, इलाहाबाद श्री मयंक आहूजा पुत्र श्री जय प्रकाश आहूजा, नि0 120/500–बी, लाजपत नगर, कानपुर नगर तथा फर्म का पता दिनांक 01 अप्रैल, 2021 को 120/500-बी, लाजपत नगर, कानपुर नगर के स्थान पर 87/8-(2) भन्नानापुरवा, आचार्य नगर, कानपुर नगर हो गया है।

दुर्गा दास आहूजा,
पार्टनर,
मेसर्स डी0डी0 आहूजा एण्ड ब्रदर्स,
87/8-(2) भन्नानापुरवा, आचार्य नगर,
कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित करना है कि मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रो ल्यूब, ए-3/9, गोपालपुर, यू0पी0एस0 आई0डी0सी0 इण्डस्ट्रीयल एरिया, सिकन्द्राबाद, जिला बुलन्दशहर-203205 की साझेदारी में श्री रवि अग्रवाल, श्री राकेश कुमार अग्रवाल एवं श्री विकास गुप्ता साझीदार थे। दिनांक 01 जनवरी, 2022 को श्री राजेन्द्र कुमार, श्री ललित कुमार शर्मा, श्री योगेश एवं श्री कपिल शर्मा फर्म की साझीदारी में सम्मिलित हुये। दिनांक 01 जनवरी, 2022 को श्री रवि अग्रवाल, श्री राकेश अग्रवाल एवं श्री विकास गुप्ता फर्म की साझीदारी से अपना हिसाब-किताब ले-देकर अलग हो गये हैं। अब दिनांक 01 जनवरी, 2022 की संशोधित डीड के अनुसार श्री राजेन्द्र कुमार, श्री ललित कुमार शर्मा, श्री योगेश एवं श्री कपिल शर्मा साझीदार हैं तथा फर्म का शाखा कार्यालय 78/2, गौड प्लाजा, मैन जी0टी0 रोड, निकट बैंक ऑफ बडौदा, लाल कुंआ, गौतमबुद्धनगर–201009 हो गया है। यह घोषणा करता हूं कि एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी है।

ललित कुमार शर्मा,
साझीदार,
मेसर्स हिन्दुस्तान पेट्रो ल्यूब,
ए-3/9, गोपालपुर, यू0पी0एस0,
आईडी0सी0 इण्डस्ट्रीयल एरिया,
सिकन्द्राबाद, जिला-बुलन्दशहर-203205।

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि मेसर्स वीर इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स, म0नं0-509/19, पुराना हैदराबाद, निकट काला कांकर, भवन, जिला लखनऊ, साझेदारी फर्म 1932 58(1) साझेदारी अधिनियम के अन्तर्गत लखनऊ से पंजीकृत है जिसमें अभी तक श्री सचिन यादव पुत्र श्री वीरपाल सिंह, श्री राहुल वीर सिंह पुत्र श्री अजय वीर सिंह एवं श्री रोनित वीर सिंह पुत्र श्री अजय वीर सिंह तीन साझेदार थे, फर्म के प्रथम साझेदार श्री सचिन यादव पुत्र श्री वीरपाल सिंह दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 से आपसी सहमती से फर्म से निकल रहे है तथा एक नये साझेदार श्रीमती गीतिका सिंह पत्नी श्री सचिन यादव फर्म में शामिल हो रही है वर्तमान में तीन साझेदार क्रमशः श्रीमती गीतिका सिंह पत्नी श्री सचिन यादव, श्री राहुल वीर सिंह पुत्र श्री अजय वीर सिंह एवं श्री रोनित वीर सिंह पुत्र श्री अजय वीर सिंह फर्म का संचालन अपनी-अपनी साझेदारी प्रतिशत के आधार पर करेंगे जिसकी सूचना दी जा रही है।

साझेदार,
राहुल वीर सिंह,
साझेदार
वीर इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स
म0न0–509/19, पुराना हैदराबाद,
निकट–काला कांकर, भवन, जिला–लखनऊ

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म-मेसर्स कोहली ब्रदर्स, पता-चारबाग, निकट सुदर्शन टाकीज, लखनऊ–226004, पंजीयन संख्या 197865, में एक साझेदार श्री नरेन्द्र सिंह कोहली पुत्र श्री इन्दर सिंह कोहली, निवासी–1बी, सिंगार नगर, लखनऊ का आकस्मिक निधन दिनांक 10 जुलाई, 2020 को हो गया। उक्त फर्म में एक साझेदार का पद दिनांक 10 जुलाई, 2020 से रिक्त होने के कारण श्री तरविंदर सिंह कोहली पुत्र स्व0 श्री रविंदर सिंह कोहली, निवासी-1बी, सिंगार नगर, लखनऊ दिनांक 11 जुलाई, 2020 से उक्त फर्म मं स्वेच्छा से सम्मिलित हो रहे हैं, जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं मेरे द्वारा स्वयं पूर्ण की गयी है।

ओंकार सिंह कोहली
साझेदार
फर्म मेसर्स कोहली ब्रदर्स,
पता–चारबाग, निकट सुदर्शन टाकीज,
लखनऊ–226004

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म-मेसर्स सूर्या इन्फ्रा डेवलपर्स, पता 13/20, इन्दिरा नगर, लखनऊ–226016, पंजीयन संख्या LUC/0002986, में दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 से तीन साझेदार श्रीमती मंजू अग्रवाल पुत्री श्री अनन्त राम मित्तल, श्री मोहित पाण्डेय पुत्र श्री लाल चन्द्र पाण्डेय व प्रशान्त कुमार सिंह पुत्र श्री शोभ नाथ सिंह दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 से उक्त फर्म में स्वेच्छा से सम्मिलित हो रहे हैं।, जिसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

एतद्द्वारा यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकतायें मेरे द्वारा स्वयं पूर्ण की गयी है

अशोक कुमार अग्रवाल,
साझेदार,
फर्म-मेसर्स सूर्या इन्फ्र डेवलपर्स,
पता-13/20, इन्दिरा नगर,
लखनऊ-226016।

सूचना

सूचित है कि हमारी फर्म सैनिक सर्विस स्टेशन 90, सिविल लाइन्स बरेली, उ0प्र0 पंजी0 संख्या बी-11649, दिनांक 31 मई, 2008 में दिनांक 22 जुलाई, 2019 तक तीन पार्टनर आर0के0 कपूर, अतुल गंगवार व जी0एस0 बडौला थें दिनांक 22 जुलाई, 2019 को जी0एस0 बडौला व दिनांक 27 मई, 2021 को अतुल गंगवार का देहान्त हो जाने की वजह से नई डीड के अनुसार आर0के0 कपूर एवं बरखा गंगवार पार्टनर होंगे अब फर्म का उनसे एवं उनका फर्म से कोई लेना-देना नहीं है।

रनवीर कुमार कपूर,
साझेदार,
सैनिक सर्विस स्टेशन,
90, सिविल लाइन्स,
बरेली, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स हिन्दुस्तान इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल एरिया बस्ती, जनपद बस्ती, उ0प्र0 नामक फर्म में साझेदारी डीड दिनांक 02 मई, 2019 से श्री विनोद कुमार चौधरी, श्री कबीन्द्र चौधरी, श्री सौरभ चोधरी एवं श्रीमती मोनिका चौधरी, जी साझेदार थे। उक्त फर्म कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसायटी एवं चिट्स, गोरखपुर में पंजीकरण संख्या जी-3139 पर पंजीकृत है। उक्त फर्म में साझेदार डीड दिनांक 07 अप्रैल, 2021 से श्रीमती मोनिका चौधरी जी उक्त फर्म से रिटायर्ड हो चुकी हैं तथा दिनांक 07 अप्रैल, 2021 से श्री अरविन्द कुमार चौधरी जी उक्त फर्म में साझेदार के रूप में शामिल हो चुके हैं, किसी का कोई लेन देन बकाया नहीं है।

विनोद कुमार चौधरी,
साझेदार,
मेसर्स हिन्दुस्तान इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रियल एरिया,
जनपद बस्ती, उ0प्र0।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मधु ओमर पुत्री बुद्धू लाल ओमर व मधुलिका ओमर, पुत्री श्री बुद्धू लाल ओमर दोनों नाम एक ही महिला के ही हैं। भविष्य में मुझे मधुलिका ओमर, पुत्री श्री बुद्धू लाल ओमर, निवासिनी फ्लैट नं0 604, संगीता अपार्टमेन्ट 14/59-ए सिविल लाइन्स, कानपुर नगर-208001 के नाम से जाना व पहचाना जाये।

मधुलिका ओमर,
पुत्री श्री बुद्धू लाल ओमर,
निवासिनी फ्लैट नं0–604,
14/59-ए, सिविल लाइन्स,
कानपुर नगर।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमने अपने फर्म मेसर्स एस0पी0 एसोसिएट, 76ए/4बी, चक मुण्डेरा, प्रयागराज पार्टनर शिव प्रकाश सिंह को उक्त पाट्नरशिप डीड नं0 AZ007254 से सेवामुक्त कर रहा हूं, जिसमें शिव प्रकाश सिंह को कोई आपत्ति नहीं है, न ही फर्म से जुड़े किसी अन्य सदस्य को है तथा उनके स्थान पर बीना सिंह पत्नी धर्मेन्द्र सिंह को पार्टनर नियुक्त करता हूं।

पार्टनर,
मे0 एस0पी0 एसोसिएट।

पी0एस0यू0पी0–42 हिन्दी गजट–भाग 8–2022 ई0।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उ0प्र0, प्रयागराज।